जनपद गोंडा

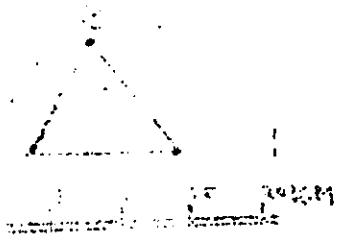

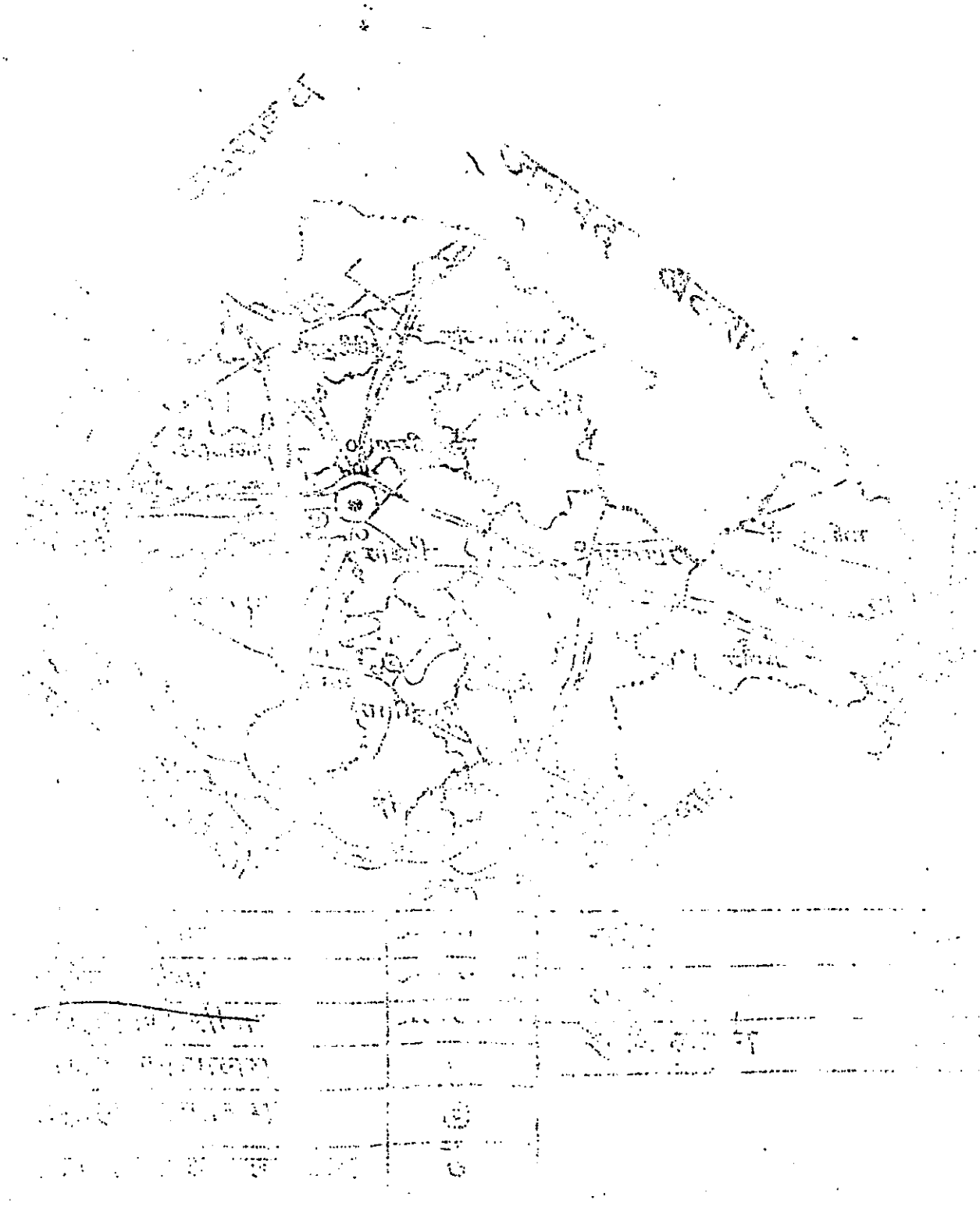

अध्याय-१

जनपद की पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

जनपद गोण्डा एक अति प्राचीन नगरी है जो भगवान राम के जन्मस्थल अयोध्या के सन्निकट हैं। प्राचीन काल में यह जमदग्नि तथा पाराशर ऋषियों का तपस्थली रहा है जिसका प्रभाव आज भी यहॉ की सांस्कृतिक एवं लोक–कलाओं में परिलक्षित होता हैं। यह जनपद पूर्व के कौशल राज्य जिसकी राजधनी अयोध्या थी का एक भाग था। बौ(काल में इस भाग को श्रावास्ती राज्य में सम्मिलित कर लिया गया । मुगल शासन में वर्ष 1773 में अवध राज्य से इस जनपद को पृथक करके स्वतंत्रा जनपद घोषित किया गया एवं इसे बहू बेगम को जागीर के रूप में दे दिया गया । वर्ष 1799 तक इस जागीर पर उनका अध्किार रहा । पफरवरी 1856 में ब्रिटिश शासन काल में इस जागीर को पुनः अवध प्रान्त में सम्मिलित कर लिया गया और बहराइच कमिश्नरी में सम्मिलित करते हुए स्वतंत्रा जनपद घोषित किया गया । स्वतंत्राता संग्राम में इस जनपद के वीर सेनानियों ने अपना सर्वस्व कुर्बान किया हैं ।

जनपद में तुलसीपुर के निकट देवीपाटन अति प्राचीन शक्ति पीठ है जिसके नाम से देवी पाटन मण्डल का गठन किया गया जिसमें यह जनपद सम्मिलित हैं । 27 मई वर्ष 1997 में इस जनपद के 9 विकास खण्ड को अलग करके जनपद–बलरामपुर गठित किया गया जो अब स्वतंत्रा जनपद के रूप में संचालित हैं । स्तंत्राता पूर्व इस जनपद का शैक्षिक परिदृश्य सामन्त युगीन का पूर्ण प्रभाव था। साध्न सम्पन्न लोग ही अन्य प्रसिद्व दूरस्थ जनपदों में शिक्षा ग्रहण करते थे। सामान्य जन मानस शिक्षा के प्रकाश से दूर ही रहे है। परिवहन संचार साध्न का अभाव तथा तराई क्षेत्रा का भी दुस्प्रभाव रहा है। स्वतंत्राता के आरम्भ में भी इस जनपद के शैक्षिक विकास मन्द रहा है विशेषकर वालिका शिक्षा न्यूनतम रहा है।

भौगोलिक पृष्ठ भूमि :-

इस जनपद का भौगोलिक परिदृश्य विभिन्नताओं से भरा है । नेपाल देश से निकलने वाली छोटी, बड़ी नदियॉ अपने बहाव व कटाव से सीमा रेखा अथवा कृषि योग्य भूमि प्रभावित करती रहती है जिससे मांझा क्षेत्रा अथवा अकृिष भूमि का विकास होता हैं । जनपद के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम सीमा से घाघरा एवं सरयू नदियॉ बहती हैं। इसके अतिरक्त अन्य छोटी नदियॉ जैसे–टेढ़ी, कुआनों भी अपना प्रभाव दिखाकर समस्यायें पैदा करती रहती हैं । इस जनपद के पूरब में बस्ती, पश्चिम में बाराबंकी, उत्तर में बलरामपुर, दक्षिण में पफैजाबाद तथा पश्चिम– उत्तर में श्रावस्ती जनपद की सीमायें हैं ।

प्रशासनिक इकाइयॉ :-

प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को 04 तहसील तथा 16 विकास खण्डों में विभक्त किया गया हैं । सदर तहसील में झंझरी, पंडरीकृपाल, रूपईडीह, इटियाथोक, एवं मुजेहना कुल 05 विकास खण्ड हैं । तहसील कर्नलगंज में कर्नलगंज, कटराबाजार , हलध्रमउफ तथा परसपुर कुल 04 विकास खण्ड हैं । तहसील तरबंगज में तरबगंज, नवाबगंज, वजीरगंज तथा बेलसर कुल 04 विकासखण्ड हैं। तहसील मनकापुर में मनकापुर , बभनजोत एवं छपिया कुल 03 विकासखण्ड हैं।

जनपद में कुल 166 न्याय पंचायतें, 1054 ग्राम सभाये तथा 1821 राजस्व ग्राम हैं। इनमें से गैर आबाद ग्राम 07 तथा बनग्राम 03 हैं । आवाद ग्रामों की कुल संख्या 1814 हैं ।

सारिणी १.१

जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ

क्रमांक	प्रशासनिक इकाई	संख्या
1.	तहसील	04
2.	विकास=खण्ड	16
3.	न्याय=पंचायत	166
4.	ग्राम सभायें	1054
5.	राजस्व ग्राम	1814
6.	ग्राम/बस्तियॉ	1889
7.	न्गर एवं नगर समूह	06
8.	नगरपालिका परिषद	03
9.	न्गर पंचायत	03
10.	न्गर महापालिका	शून्य
11.	न्गर निगम	शून्य

स्रोत–सांख्यिकी पत्रिका जनपद गोण्डा 1999

आर्थिक पृष्ठभूमि :

जनपद गोण्डा की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधरित हैं । यहॉ की मुख्य पफसल गन्ना एवं धन हैं। कृषि आधरित लघु एवं वृहद् उद्योग राइस मिल एवं चीनी मिलें हैं। जन्पद में बस्ती सीमा पर बभनान, मैजापुर एवं नवाबगंज में चीनी मिले हैं । बड़ी राइस मिल गोण्डा सदर में स्थित हैं । जनपद के पूर्वी दक्षिणी भाग में टिकरी वन रेंज हैं जिनके सहयोग से वनीकरण करके शीशम, सागौन जैसे मूल्यवान वृक्ष से लकड़ी उद्योग संचालित हैं । जल श्रोत के रूप में सरयू नहर योजना, लघु सिंचाई टयूबवेल से कृषि सिंचन का कार्यपूर्ण किया जाता हैं ।

जनसंख्या :

वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार गोण्डा जिले की कुल आबादी 2204.45 हजार है जिसमें से 1174.74 हजार पुरूष तथा 1029.70 हजार महिलायें हैं । ग्रामीण क्षेत्रा में कुल 2054.85 आवादी है जिसमें 1095.05 हजार पुरूष तथा 960.79 हजार महिलायें हैं। जनपद की औसत जनसंख्या वृ(2.61 प्रतिशत हैं । नगरीय क्षेत्रा की कुल जनसंख्या 149.59 हजार हैं । जनपद में अनुसूचित जाति की आवादी 360.57 हजार हैं । जनपद में ध्र्म के अनुसार कुल जनसंख्या का हिन्दू 74.47 प्रतिशत मुस्लिम 25.36 प्रतिशत ईसाई 0.02 प्रतिशत सिक्ख 0.04 प्रतिशत हैं । इस प्रकार मुस्लिम आबादी द्वितीय स्थान पर हैं ।

सारिणी १.२

विकास खण्ड वार/नगर क्षेत्रावार जनसंख्या

क्र०	नाम विकास खण्ड	1999 की जनसंख्या						2001 की अनुमानित जनसंख्या		
		कुल जनसंख्या			अनु० जाति की कुल जनसंख्या			कुल जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रूपईडीह	79264	67704	146968	13937	11762	25699	87366	79868	167234
2	इटियाथोक	69382	59575	128957	10286	8931	19217	84861	76359	161210
3	पड़रीकृपाल	42370	36201	78571	9855	8240	18095	54047	47721	101768
4	झझंरी	80313	69921	150234	13660	11885	25545	104766	93957	198723
5	मुजेहना	70114	62553	132667	11709	10476	22185	89615	80870	170485
6	कटराबाजार	67830	58343	126173	10609	8981	19590	78767	63389	141656
7	हलध्रमउफ	58330	51468	109798	8689	7595	16284	75998	68158	144156
8	कर्नलगंज	61889	52469	114358	8771	7184	15895	61889	52469	114358
9	परसपुर	86537	78194	164731	14123	12482	26605	105703	98093	203796
10	बेलसर	69396	62213	131609	13562	11943	25505	78785	72673	151258
11	तरबगंज	57148	50910	108058	9440	8370	17810	71255	65068	136323
12	वजीरगंज	61905	56771	118676	11283	10315	21598	79284	72735	152019
13	नवाबगंज	61243	53726	114969	11539	10205	21744	69661	62766	142727
14	मनकापुर	80475	70074	150549	15994	14095	30089	102238	87091	109329
15	बभनजोत	75477	67353	142830	9745	8365	18110	98978	88481	187459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	छपिया	71751	62860	134611	14314	12734	27048	81234	75752	156786
17	बनक्षेत्रा	641	458	1099	79	60	139	891	771	1662
	योग ग्रामीण	1094065	960793	2054858	187535	163623	351158	1355188	1218010	2573198
18	नगर क्षेत्रा	80679	68908	149587	5023	4388	9411	101272	91284	192556
महायोग		1174744	1029701	2204415	192558	168011	360569	1456460	1309294	2765754

श्रोत जिला सख्याधिकारी गोण्डा

जनसंख्या वृद्धिदर :-

२००१ जनगणनुनसार आयुवर्ग नगरीय /ग्रमीण

कम	वय वर्ग	कुल			ग्रामीण			नगरीय		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	06.11	217012	195084	412096	204173	179055	383228	15385	3463	28848
2	11.14	90383	81093	171476	89622	68080	157702	7395	6379	13774

श्रोत विभागीय आंकडे सत्रा 2001–02

अध्याय-२

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद गोण्डा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ सितम्बर 1997 से हुआ जिसमें शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु विशिष्ट उद्देश्य रखे गये हैं शिक्षा का विस्तार बच्चों का ठहराव उनके गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबंध क्षमताओं में विकास प्रमुख रहे । उस परियोजना से शैक्षिक विकास में तीव्रता आई हैं । इस कार्य में और आर्थिक गतिप्रदान करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान का शुभारम्भ इस जिलें में किया जा रहा हैं ।

वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 29.5 हैं । जिसमें पुरूष 43.4 एवं 13.4 प्रतिशत महिला साक्षर हैं । साक्षरता एक दृष्टि में निम्नवत् हैं :-

सारिणी २.१ A

क्रमांक	विवरण	प्रतिशत
1	कुल साक्षरता	29.5
2	ग्रमीण साक्षरता	27.1
3	बन क्षेत्रा	14.7
4	कुल पुरूष साक्षरता	43.4
5	कुल महिला साक्षरता	13.4
6	कुल नगरीय साक्षरता	63.4

श्रोत जिला सांख्यिकी कार्यालय गोण्डा-1999

कमांक	विवरण/क्षेत्रा	सक्षरता प्रतिशत		
		पुरूष	महिला	सम्पूर्ण साक्षरता
1	ग्रामीण	41.3	18.6	27.1
2	नगर क्षेत्रा	72.7	52.3	63.4
कुल				

श्रोत जिला सांख्यिकी कार्यालय गोण्डा-1999

वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 42.99 हैं। पुरूष साक्षरता दर 46.5 तथा महिला साक्षरता दर 27.29 प्रतिशत हैं । वर्तमान दशक में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई हैं।

सारिणी २.१ B

कमांक	विवरण	साक्षरता	
1.	सम्पूर्ण साक्षरता	पुरूष	महिला
2.	42.99	46.55	27.29

श्रोत डी0पी0ई0पी0 गोण्डा–1999

सारिणी २.२

विकास खण्डवार साक्षरता दर (वर्ष १९९१)

कमांक	विकास खण्ड/ नगर क्षेत्रा	साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	योग
1	रूपईडीह	38.9	7.7	24.7
2	ढटियाथोक	39.0	8.1	24.9
3	पड़रीकृपाल	36.2	8.1	23.4
4	झझंरी	47.0	13.0	31.4
5	मुजेहना	39.2	8.7	24.9
6	कटराबाजार	34.1	5.5	21.1
7	हलध्रमउक	42.9	9.9	27.4
8	कर्नलगंज	37.6	9.8	25.0
9	परसपुर	45.2	12.6	29.9
10	बेलसर	40.0	10.7	26.2
11	तरबगंज	41.6	10.8	27.2
12	वजीरगंज	45.4	12.3	29.6
13	नवाबगंज	37.7	10.2	25.0
14	मनकापुर	45.5	14.1	31.0
15	बभनजोत	38.3	9.7	24.9
16	छपिया	48.1	15.8	33.2
17	नगर क्षेत्रा	72.7	52.3	63.4

श्रोत–जनपद की सांख्यिकी पत्रिका–1999

वर्ष 1991 की जनगणनानुसार सबसे कम साक्षरता दर वाले विका खण्ड–कटरा बाजार, रूपईडीह पंडरीकृपाल, इटियाथोक , मुजेहना, बभनजोत नवाबगंज, कर्नलगंज, जहॉ साक्षरता प्रतिशत 21 से 25 प्रतिशत के मध्य हैं वहं सर्वाधिक साक्षरता वाले विकासखण्ड छपिया, मनकापुर, एवं झंझरी हैं । जनपद में महिला साक्षरता का दर 13.4 है के सापेक्ष महिला साक्षरता की न्यूनतम दर वाले विकास खण्ड कटरा बाजार, रूपईडीह, इटियाथोक पंडरीकृपाल, मुजेहना, बभनजोत, हलधरमउफ, कर्नलगंज है वही अधिक महिला साक्षरता वाले विकास खण्ड छपिया मनकापुर एवं झंझरी हैं । इस जनपद में वर्तमान 1572 जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय हैं । परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1994 हैं ।

शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता

जनपद में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं का विवरण

सारिणी २.३

क्र0	विद्यालय विवरण	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल योग			अमान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रमीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	1571	35	1606	285	68	353	1891	103	1994	180	05	185
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्रा0 वि0	01	01	02	03	06	09	04	07	11	–	–	–
3	उच्च प्रा0 वि0	328	06	334	165	24	189	493	30	523	–	–	–
4	माध्यमिक वि0 से सम्बद्ध उ0 प्रा0 वि	03	06	09	89	17	106	92	23	115	–	–	–
5	हाई स्कूल	–	–	–	41	05	46	41	05	46	–	–	–
6	इण्टरमीडिएट	01	02	03	48	12	60	49	14	63	–	–	–
7	डिग्री कालेज	–	–	–	03	01	04	03	01	04	–	–	–
8	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	–	–	01	–	01	–	01	01	–	–	–
9	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	केन्द्रीय विद्यालय	01	04	05	–	–	–	01	04	05	–	–	–
11	नवोदय विद्यालय	01	–	01	–	–	–	01	00	01	–	–	–
12	तकनीकी संस्थान आई0टी0आई0पाल टिकनिक	01	01	02	–	–	–	01	01	02	–	–	–
13	कम्प्यूटर शिक्षा	–	–	–	–	06	06	–	06	06	02	02	04
14	आंगनवाडी	1912	–	1912	–	–	–	1912	–	1912	–	–	–

15	मक्तब / मदरसा	–	–	–	34	04	38	34	04	38	–	–	–
16	संस्कृत पाठशाला	–	–	–	10	02	12	10	02	12	–	–	–
17	उफ्धेव त्रिकलांग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	01	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	–
19	बी0 आर. सी0	16	–	16	–	–	–	16	–	16	–	–	–
20	एन0पी0 आर.0 सी0	166	–	166	–	–	–	166	–	166	–	–	–

श्रोत–जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दर्जी कुआ गोण्डा

परिवारिक सर्वेक्षण वर्ष २००३-०४ के अनुसार जनपद में चिन्हित एवं जुलाई २००३ तक नामांकन की स्थिति निम्न सारणी से स्पष्ट है

सारणी २.४

जाति	कुल बच्चों की संख्या				स्कूल जाने वाले बच्चे				स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या						विकलांग बच्चों की संख्या				सम्पूर्ण योग		
	बालक		बालिका		बालक		बालिका		बालक			बालिका			बालक		बालिका				
	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	5से6	7से10	11–14	5से6	7से10	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	बा०	बालि०	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
सामान्य	66868	31230	55665	26680	59061	25276	50039	22010	4100	3707	5954	3665	1971	4670	416	234	250	134	13761	10296	24057
अ०जा०	41613	20823	39612	15785	42214	13355	32349	11994	2950	3449	7468	3026	4237	3791	364	205	218	118	13867	11054	24921
अ०ज०ज०जा०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पि० जाति	82576	35080	67282	25659	73930	27587	58107	19935	4400	4296	7473	4908	3667	5724	545	260	300	160	16119	14299	30418
अल्पसंख्यक	46184	20043	40374	16014	38996	14838	35418	12229	3050	4138	5205	2731	2225	3785	290	191	201	112	12393	8741	21134
योग	2447241	107156	202933	84138	214201	81056	176513	766168	14500	15540	26100	14320	12100	17970	1615	890	969	524	56140	44390	100530

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

कारण	5+ से 6+		7 से 10+		11 से 14		योग		
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1. घरेलू कार्य	1590	1650	1770	132	6315	4575	9675	6357	16032
2. बच्चों की देखभाल	4560	2920	3630	2400	5700	4170	13890	9490	23380
3. अक्षमता	3360	2400	3900	2970	4200	3925	11460	9295	19755
4. श्रमिक	2240	2000	4140	810	4785	1950	11165	6260	19125
5. अन्य	2750	3150	2100	5788	5100	4350	9950	13288	23238
योग	14500	14220	15540	12100	26100	17970	56140	44390	100530

विकलांग बच्चों के कारण :

कारण	बालक		बालिका	
	6–11	11–14	6–11	11–14
1. दृष्टि	134	61	65	34
2. सुनना	142	82	84	42
3. बोलना	217	86	112	61
4. अधिगम अक्षमता	143	67	82	59
5. मानसिक मन्धता	240	156	143	82
6. शारीरिक अक्षमता	733	358	405	217
7. अन्य	119	75	57	59

स्रोत सर्वेक्षणानुसार शैक्षिक आंकड़े

सारणी नं० २.५

स्कूल चलो अभियान अन्तर्गत चिन्हांकन से नामांकन

क्र०स०	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या	हाउस होल्ड सर्वे द्वारा चिन्हांकन बच्चे							31 जुलाई 2003 तक नामांकित बच्चे							नमांकन प्रतिशत
			5+ से 6+		7 से 10		11 से 14		योग	5+ से 6+		7 से 10		11 से 14		योग	
			बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	बमनजोत	58811	616	546	1861	1673	1831	1668	8195	410	406	1601	1503	1601	1460	6981	85.19
2	बेलसर	36858	651	1003	773	816	940	739	4922	501	805	502	610	820	505	3743	76.05
3	नगर क्षेत्र	31589	591	585	968	699	1225	695	4763	570	450	818	503	1104	510	4955	83.04
4	इटियाथोक	35315	987	907	1003	518	1700	821	5936	807	800	802	410	1400	630	4849	81.69
5	मनकापुर	39633	885	820	945	1068	806	786	5310	690	680	805	908	602	605	4290	80.79
6	चण्डरी कृपाल	26075	642	465	772	682	636	528	3725	502	215	620	502	500	302	2641	70.90
7	झंझरी	44760	920	898	866	807	1843	1098	6522	702	610	606	607	1500	800	4825	73.98
8	हलघरमऊ	31811	798	827	589	839	553	1274	4880	608	605	485	630	420	1104	3852	78.93
9	तरबगंज	31113	583	895	1017	556	1895	894	5840	380	630	815	406	1505	674	4410	75.51
10	कर्नलगंज	35609	595	879	1007	333	1340	598	4752	490	789	805	201	1200	418	3903	82.13
11	वजीरगंज	28861	806	842	791	800	1263	1264	5766	402	630	590	505	1103	1160	4390	76.14
12	कटरा बाजार	43653	1217	843	1177	916	5201	3072	12426	1005	623	1070	810	4900	289	8697	69.99
13	नवाबगंज	39716	873	816	730	581	1989	1080	6069	750	610	520	480	1610	920	4890	80.57
14	छपिया	26143	950	935	934	467	949	395	4630	810	810	780	210	629	210	3449	74.49
15	मुजेहना	39664	874	989	500	303	1013	1094	4773	770	780	310	200	910	904	3874	81.16
16	परसपुर	46428	1710	1505	932	568	1301	987	7003	1500	1405	830	450	1100	810	6095	87.03
17	रूपईडीह	42304	802	565	674	384	1615	977	5018	600	380	515	214	1415	817	3941	78.54
	योग	638343	14500	14320	15540	12100	26100	17970	100530	11497	11228	12474	9149	22319	12118	78785	78.37

नामांकन

(क) प्राथमिक स्तर

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक वर्ष 2003–2004 में ई0 एम0 आई0एस0के अनुसार नामांकन सरिणी निम्न है :–

सारिणी २.६

परिषदीय जी0ई0आर0निम्नवत है :–

वर्ष	6–11 आयुवर्ग की कुल संख्या			पंजीकृत छात्रा संख्या			परिषदीय जी0 ई0 आर0	अनुसूचित जाति			जी0 ई0 आर0
2003–04	बालक	बालिका	योग	बलक	बालिका	योग		बालक	बालिका	योग	
	244241	202933	447174	175484	145374	320850	78.3 %	36852	30528	67380	20.99%

श्रोत–डी0पी0ई0पी0 गोण्डा

सारिणी २.७

सम्पूर्ण जनपद का जी0ई0आर0 नामांकन निम्नांकित हैं :–

वर्ष	6–11 आयुवर्ग की कुल संख्या			पंजीकृत छात्रा संख्या			परिषदीय जी0ई0 आर0	अनुसूचित जाति			जी0 ई0 आर0
2003–04	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		बलक	बालिका	योग	
	244241	202933	447174	238172	196890	435062	97.29%	48613	39612	88225	20.27 %

श्रोत–डी0पी0ई0पी0 गोण्डा

(ख) परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं सम्पूर्ण जनपद में विद्यालयों में शैक्षिक वर्ष 2003–04 में ई०एम०आई०एस० के अनुसार नामांकन सारणी द्वारा स्पष्ट है।

सारणी २.८

परिषदीय उच्च प्रा०वि० जी०ई०आर० वर्ष 2003–04 है :–

वर्ष	6–11 आयुवर्ग की कुल संख्या			पंजीकृत छात्रा संख्या			परिषदीय जी0ई0 आर0	अनुसूचित जाति			जी0 ई0 आर0
2003–04	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		बलक	बालिका	योग	
	107156	84138	191294	35648	30476	66124	34.56%	10429	9030	19459	29.42 %

श्रोत–शैक्षिक आंकड़े

सारणी २.९

सम्पूर्ण जनपद में 11–14 वय वर्ग के जी०ई०आर० वर्ष 2003–04 में निम्नवत है :–

वर्ष	11–14 आयुवर्ग की कुल संख्या			पंजीकृत छात्रा संख्या			परिषदीय जी०ई० आर०	अनुसूचित जाति			जी० ई० आर०
2003–04	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		बलक	बालिका	योग	
	107156	84138	191294	103575	78286	181661	94.96%	20823	15783	36608	20.15 %

श्रोत–शैक्षिक आंकड़े

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

जनपद में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की स्वीकृत पद, कार्यरत संख्या , रिक्त पद एवं शिक्षा मित्रों की सं० निम्नवत हैं ।

सारणी २.१०

	सृजिद पद	कार्यरत	रिक्त	शिक्षामित्रों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	4532	2465	2058	1778
उच्च प्राथमिक विद्यालय	847	619	228	–

श्रोत विभागीय आंकड़े

सारणी २.११

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय	1 किमी० से अधिक किन्तु 1.5 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय	थरक्त 1.5 किमी० से अधिक दूरी पर विद्यालय	प्रस्तावित प्रा०वि० / ई०जी०एस०
ऐसे ग्रामों / बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी 300 से अधिक है ।	115	647		0
ऐसे ग्रामों / बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी 300 से कम है	356	691	380	272

श्रोत विभागीय आकड़े

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	3 कि0मी0 से कम दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय	3 किमी0 से अध्कि दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उ0प्रा0 नि0 तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 2:1 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उ0 प्रा0 विद्यालय/ ए0आई0ई0
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 800 से अधिक हैं ।	585	0	0
ऐसे ग्रामों/ बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 800 से कम हैं ।	1284	191	17

श्रोत विभागीय आंकड़े

सारणी-२.१२

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता १:२ के अनुपात पर निम्नवत होगी -

विवरण	ग्रामीण	नगर
वर्तमान प्राथमिक विद्यालय	1571	35
प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	0	0
1:2 के अनुपात में प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय	785	18
वर्तमान में उपलब्ध उच्च माधमिक वि0 की आवश्यकता	785	18
वॉक्षित	—	—

जनपद गोण्डा में कक्षा 5 में प्रमोशन दर 98.63 हैं । जिसमें बालको का 98.58 एवं बालिकाओ का प्रमोशन दर 98.19 प्रतिशत है। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में नांमाकन का बालको का प्रतिशत 82.67 तथा बालिकाओ का 36.32 प्रतिशत है।

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें :-

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधओं का विवरण निम्न तालिका 2.13 में दिया गया हैं।

सारणी २.१३

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	
A. 1	प्राथमिक विद्यालय शून्य अथवा जर्जर एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	1606 33 58	
2	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	879	
3	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	471	
4	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	133	
5	पांच कक्षीय विद्यालयों की संख्या	32	
6	पांच से अध्कि कक्षीय विद्यालयों की संख्या	05	
B	मरम्मत योग्य विद्यालयों की कुल सं0	लघु – 337	वृहद–145
C	शौचालय युक्त विद्यालय	1078	
D	हैण्डपम्प विद्यालय	1606	
E	च्हारदीवारी युक्त विद्यालय	138	

श्रोत विभागीय आकड़े

उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रम सं०	विवरण	संख्या	
1	डच्च प्राथमिक विद्यालय	334	
2	मरम्मत योग्य	लघु – 42	वृहत – 25
3	एक कक्षीय विद्यालय	91	
	दो कक्षीय विद्यालय	04	
	तीन कक्षीय विद्यालय	40	
	चार कक्षीय विद्यालय	165	
	पांच कक्षीय विद्यालय	28	
	पांच से अध्कि कक्षीय विद्यालय	06	
4	शौचालय	आवश्यकता – 80	
5	हैण्डपम्प	आवश्यकता – –	
6	चहारदीवारी	आवश्यकता – 184	

श्रोत विभागीय आकड़े

उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में :-

क्रम सं0	विवरण	संख्या
1	विद्यालय भवन	13
2	शौचालय	13
3	हैण्डपम्प	13
4	चहारदीवारी का निर्माण कराया गया।	13

श्रोत विभागीय आकड़े

भौतिक सुविधओं की मॉग

सारणी-२.१४

क्रम सं0	आदटम सुविध	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
1	नवीन विद्यालय	कमी —	D.P.E.P. वित्त प्राविधन—	मॉग —	कमी —	D.P.E.P. वित्त प्राविधन	मॉग —
2	विद्यालय पुर्नानिर्माण	33	"	33	—	"	—
3	अतिरिक्त कक्षा कक्षा प्रतिशिक्षक प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि	400		— 400	—	"	—
4	पेयजल सुविध	—	"	—	—	"	—
5	शौचालय	200	"	200	—	"	—
6	चहारदीवारी	1448	"	1448	184	..	184

श्रोत डी0पी0ई0पी0 गोण्डा

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़े व महत्वपूर्ण संकेतांक :-

यह जनपद डी0पी0ई0पी0–द्वितीय योजना से वर्ष 1997 से आच्छादित है तथा कम्प्यूटरराइज्ड इकाई सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है । ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षो की स्थिति निम्नवत है:–

प्राथमिक विद्यालयों का नामांकन	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
कक्षा–1	91816	87749	91135	99425
कक्षा–2	65268	68620	65321	69627
कक्षा–3	42200	51203	54533	57623
कक्षा–4	28880	33618	40123	43925
कक्षा–5	24301	25238	28891	33761
योग	**260465**	**266428**	**280005**	**303827**

ई0एम0आई0एस0 –वर्ष 2000 के अनुसार

श्रोत डी0पी0ई0पी0 गोण्डा

G.E.R

जी0 ई0 आर0	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
कुल	62.24	70.62	82.64	85.74
बलिका	45.00	54.30	65.60	72.45

N.E.R.

कुल	50.86	60.03	70.41	73.39
बलिका	41.27	46.59	55.73	61.54

श्रोत डी0पी0ई0पी0 गोण्डा

जनपद में छात्रा नामांकन में कमशः 3% वार्षिक वृद्धि हुई है, G.E.R.—N.E.R. में प्रतिवर्ष सुधर हुआ हैं । बालिकाओं का G.E.R.–N.E.R बालकों के जी0ई0आर०, एन0आई0आर0 के समतुल्य हो रहा हैं । इससे इस बात की पुष्टि होती है कि संपूर्ण नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 में नामांकन में उच्चोत्तर वृद्धि हो रही हैं । जिसका प्रभाव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत बढ़ रहा हैं ।

D.P.E.P. संचालन के अवधि में प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्न हैं –

सारणी २.१५

	1997–98	2000–2001	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	1464	1586	8.33%
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	3575	3819	6.8%

विभागीय आकड़े

ड्र ाप आउट दर

सारणी २.१६

वर्ष	कुल प्रतिशत	बालिका प्रतिशत
1997	59 प्रतिशत	66%
1998	60.8 प्रतिशत	69%
1999	56.6 प्रतिशत	63%
2000	48.1 प्रतिशत	56%

श्रोत डी0पी0ई0पी0 गोण्डा

सारणी २.१७

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाए पूर्ण करने में औसत वर्षो की संख्या
1997--98	14.81	8.13
1998--99	12.15	8.21
1999--2000	5.84	8.11
2000--01	3.82	8.01

श्रोत डी0पी0ई0पी0 गोण्डा

रिपीटीशन दर मात्रा 4 प्रतिशत है तथा प्राथमिक स्तर की कक्षाए पूर्ण करने में औसत वर्ष 8.11 है । इसका प्रमाण शिक्षा के विकास से सिद्ध हुआ हैं । आगामी वर्षो में सुधर होगा।

अध्यापक छात्रा अनुपात वर्ष	–	2001–02	– 1:1221
एकल अध्यापकीय विद्यालयों प्रतिशत	–	2001–02	– 48%
छात्रा कक्षा कक्ष अनुपात वर्ष	–	2001–02	– 88:1

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षा मित्रों के पद सृजित किए गए है जिसकी प्रतिपूर्ति होने पर छात्रा अध्यापक अनुपात में कमी आयेगी किन्तु अभी भी एकल अध्यापकीय विद्यालय अवशेष रह जायेगें। आगामी वर्षो में 1:40 के अनुपात को मानक पर लाने के लिए नियुक्तियों से पूर्ण करना है । अतिरिक्त कक्षा कक्ष हेतु भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए मानकानुसार सुनिश्ति कार्ययोजना लागू करना हैं ।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात :-

सारणी २.१८

	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्रा0 वि0	माध्यमिक विद्यालय	3–4 योग	अनुपात
ग्रामीण	1891	493	90	583	4.5
नगरीय	103	30	19	49	1.03
योग	1994	523	109	632	3.81

श्रोत जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान

माध्यमिक विद्यालयों के 6 से 8 अनुभागों को सम्मिलत करने पर उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात **1: 3.81** आता हैं।

सन् 2001 की जनगणना के आधार पर आवश्यक विस्तृत आकड़े प्राप्त नही हुए है। आंकड़ें प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) मे एवं जनसख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

अध्याय-3

नियोजन प्रक्रिया

प्रारम्भिक शिक्षा को समाज के अंतिम इकाई तक सुलभ कराने हेतु राज्यों की भागीदारी समयबद्व समेकित प्रयास अति-आवश्यक है तभी सर्व शिक्षा का अभिलाक्षित लक्ष्य की सप्राप्ति हो सकता है इस ऐतिहासिक प्रयास हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सम्पूर्ण बदलाव लाने की अपेक्षा की जाती है। हमारा लक्ष्य 2010 तक 6-14 वय वर्ग के सभी बालक /बालिकाएं/को सुरूचि, सुफल तथा गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर सकें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विद्यालयीय पद्वतियों में सुधार, समुदाय आधारित कोटिपरक प्राथमिक शिक्षा को एक मिशन के रूप में संचालित करने का प्रयास होगा। हमारा लक्ष्य बालक, बालिका के शैक्षिक संतुलन को कम करना तथा अंत में समाप्त करना होगा।

इस योजना के क्रियान्वयन में समाज की सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि सामाजिक चेतना से ही लक्ष्य की प्राप्ति है। इसके लिए न्यूनतम इकाई तक कार्यालय, विकेन्द्रीकरण, पंचायतीराज्य संस्थाओं, परिषदों जिसमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है, की स्वीकृति प्रदान करने के अलावा राज्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों, स्वंय-सेवी संगठनों, कलाकारों, महिला संगठनों आदि को शामिल करके अपने जबावदेही के क्षेत्र का विस्तार कर सके ।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना:-

किसी भी परियोजना की शत प्रतिशत सफलता उसमें निहित सूक्ष्म नियोजन की प्रकिया एवं उसके क्रियान्वयन पर आधारित होता है।

शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक बस्ती एवं ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-14 वय वर्ग के बालक बालिकाओं तक ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्व व्यक्तियों, शिक्षकों को इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गयी है। इस जनपद में वर्ष 1994-95 में प्रथम चरण में शैक्षिक सर्वेक्षण का कार्य किया गया उस पर आधारित कार्यक्रम का सूक्ष्म नियोजन आरम्भ हुआ। दूसरा चरण

1997-98 तक सभी ग्राम वासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सूचनाओं का संकलन करके समस्याओं को चिन्हित किया गया जो निम्न है-

- ग्राम/वस्ती में 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या का आकलन।
- औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नांमाकित तथा पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की समस्यायें व उसकें कारण।
- शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण।
- मानक के अनुसार विद्यालय उपलब्धता एवं आवश्यकता।
- मानक के अनुरूप विद्यालय अनुपलब्धता के प्रति शिक्षा की बैकल्पिक व्यवस्था करना ।
- उपलब्ध संशाधन भवन आदि की पर्याप्तता।
- यदि नहीं तो इसके प्रति ग्राम वासियों के सुझाव।
- छात्र/अध्यापक अनुपात को रेखांकित करना।
- शिक्षकों का नियमित रूप से विद्यायल में उपस्थित होना।
- शिक्षकों के शैक्षिक किया-कलाप एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार के सुझाव।

<u>सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचनायें संकलित करने के पश्चात ग्राम वासियों के सहयोग से निम्नलिखित कार्य किये गये:-</u>

1- परिवार का सर्वेक्षण/बालगणना 6-11 एवं 11-14 वय वर्ग।

2:- स्कूल का मानचित्र तथा शैक्षिक मानचित्र।

3:- सूचनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण।

4:- ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण।

<u>शैक्षिक मानचित्र, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी:-</u>

जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समितियों, सदस्यों, शिक्षा के प्रति अनुराग रहित युवक-युवतियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं की एक सभा करके गॉव के शैक्षिक समस्याओं के साथ-2 अन्य

भौतिक,सामाजिक समस्याओं पर चर्चा किया गया। सर्वेक्षित प्रपत्रों के माध्यम से गॉव के प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण भी कराया गया। इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्र द्वारा गॉव के सम्पूर्ण परिस्थितियों की परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं के सहयोग से शिक्षा-योजना बनाया गया। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए:-

1:- ग्राम सभा एवं बस्तियों की आबादी।

2:- विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या।

3:- स्त्री-पुरूष का अनुपात एवं आबादी।

4:- विद्यालयों में नामांकित/अनामांकित बच्चों की संख्या।

5:- शालात्यागी बालक/बालिकाओं की संख्या।

6:- विशेष आवश्यकताओं बालक बालिकाओं की जानकारी।

7:- ग्राम में बालिका शिक्षा की स्थिति एवं स्तर।

ग्राम स्तरीय विश्लेषण का सदुपयोग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं किया गया केवल अभिलेख के रूप में विकास खण्ड स्तर पर संचित रहा। वर्ष 1998-99 में माइक्रो प्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ-2 ग्राम शिक्षा योजना तैयार किया गया जिसे ग्राम स्तर पर रखा गया जिससे इनका उपयोग ग्राम स्तर पर आसानी से किया जा सके।

वर्ष 1998-2000 तक माइक्रो प्लानिंग के जो आंकड़े प्राप्त हुए उसे जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया।

सर्व शिक्षा अभियान को सटीक एवं सफल बनाने हेतु माइक्रो प्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों को विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत करके 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को श्रेणीबार विभाजन किया गया जिसमें योजनानुसार प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा, नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को संकल्पित करते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 तथा 9-14 वय वर्ग समूहों में आंकलित किया गया। बालक-बालिकाओं की संख्या ज्ञात होने के साथ-2 ऐसे बच्चों का आकलन किया

गया जो कामकाजी हैं पैतृक व्यवसाय में संलग्न है, अथवा स्ट्रीट चिल्ड्रेन हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर असेवित बस्तियों की सूची तैयार की गयी, जहां नवीन विद्यालय का सृजन किया जायेगा।

ऐसे क्षेत्रों तथा वस्तियों को चिन्हित किया गया जहां मानक के अनुसार विद्यालय हैं किन्तु प्राकृतिक या सामाजिक अवरोध के कारण विद्यालय नहीं जा सकते, उनके लिए बैकल्पिक शिक्षा, नवाचार शिक्षा केन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्तावित किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद की समिति का गठन किया गया है। तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी तथा विद्यालय स्तर पर 1054 ग्राम पंचायतों के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। यह भी निर्देश किया गया है कि शिक्षा विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी अपने-2 क्षेत्र भ्रमण के समय "स्कूल चलों अभियान" के कियान्वयन का मूल्यांकन कर लें। जिला विकास अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना , जिला समाज सल्याण अधिकारी, सचिव साक्षरता समिति, सूचना अधिकारी विशेष रूप से कार्यक्रम को सफल बनायेंगे।

माह सितम्बर 2001 के अंतिम सप्ताह में जिला शिक्षा योजना के कियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक करके अक्टूबर माह में प्रत्येक तहसील विकास खण्ड, न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गोष्ठियां की गयी है । जिसमें नगर अथवा ग्राम स्तर के सभी बच्चे, अध्यापक, गणमान्य व्यक्तियों, समाज सेवी संस्थाओं, पत्रकार बन्धुओं का सहयोग लिया गया है।

जनपद गोण्डा में सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना तैयार करने हेतु निम्नांकित प्रयास किये गये हैं।

1:-कार्यक्रम की सफलता उसके नियोजन तथा तंत्रजाल पर निर्भर होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के लिए छः सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया है।

2:-बस्ती/ ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना, समुदाय के राय को जानना, एफ0 जी0 डी0 प्रकिया से उन क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया गया है, जिसमें समाज के उत्साही कार्यकर्ता, संदर्भ व्यक्ति , सोशल ऐक्टिविस्ट के रूप में सहयोग कर सकें। संदर्भ व्यक्तियों की पहचान स्वयं सेवी संस्थाओं की पहचान, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की सोंच, उनके सहयोग की जानकारी, एफ0 जी0 डी0 से ही हो सकती है। यह कार्य एक उच्च कोटि के पर्सपेक्टिव प्लान बनाने में सहायक सिद्व हुए हैं ।

एफ0 जी0 डी0 टीम के अधिकारी/ कर्मचारी जिन्होंने प्लान बनाने के लिए सीमैट इलाहाबाद के तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया है। इस नियोजन में डी0 पी0 ई0 पी0 के जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, वी0 आर0 सी0, एन0पी0 आर0 सी0, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालक के अध्यापक, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि सभी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। एफ0 जी0 डी0 के निष्कर्षो से योजना निर्माण में अतुलनीय सहयोग मिला प्रीप्रोजेक्ट गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के प्रधान, पंचायत सदस्य, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक तक यह संदेश एन0 पी0 आर0 सी0 के द्वारा दिया गया। ग्राम शिक्षा समितियों को कार्यक्रम के सफलता पर केन्द्रित किया गया है। यह योजना एफ0 जी0 डी0 के माध्यम से समाज की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन ग्रास रूट प्लानिंग के आधार पर निर्मित किया गया है । योजना निर्माण के पश्चात इसका क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समाज के हर तबके के सहयोग से किया जायेगा। ग्राम पंचायतों को आर्थिक एवं प्रशासनिक स्तर पर सुदृढ़ किया जायेगा। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम में उनकी पूर्ण सहभागिता होगी। वास्तविक अर्थ में यह जनता के लिये और जनता द्वारा अभिचयनित होगा।

जनपद के शैक्षिक नियोजन में राष्ट्रीय डी0 बी0 ई0 पी0 कार्यक्रम विगत 4 वर्ष से चल रहा है। उनके बृहत स्वरूप में सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है उनके अतिरिक्त जो विभाग मानव संसाधन का सृजन करते हैं उन विभाग के अधिकारियों से बैठकें की गयी।इनमें से प्रमुख

- विद्यालय का वातावरण आकर्षक न होना।
- अध्यापक/अभिभावक में सामंजस्य का न होना।
- सतत् मूल्यांकन का अभाव।
- निरीक्षण परिवेक्षण में कमी।
- सक्रिय सामाजिक सहभागिता का अभाव।
- विकलांग बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करना।
- बाल श्रमिकों के अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता देना।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/ विभागों से समन्वय व सहयोग

प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा उन्नयन हेतु निम्नलिखित विभागों से सुनियोजित ढ़ग से सहयोग प्राप्त किया जायेगा ।

(अ) आई0 सी0 डी0 एस0 के साथ समन्वय :-

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्यकर्मी, एन0जी0ओ0 आदि को सम्मिलित करके जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया गया हैं । जिसके प्रमुख विन्दु निम्न है

- आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूल के समय के अनुसार निर्धारित किया जाय ।
- आगंनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, विद्यालय प्रांगण या उसके निकट किया जाय ।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराया जाय ।
- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु अनुपालिक ढ़ंग से अतिरिक्त धनदेय की व्यवस्था किया जाय ।

(ब) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय :-

स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा । जिससे चिन्हित छात्र/छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जायेगा । स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक विद्यालय को दिए गए है और उसकी व्यवस्था उन्ही के स्तर से होगा । स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवायें ली जायेगी । चिकित्सक के आने जाने की व्यवस्था विभाग द्वारा किया जायेगा ।

(स) <u>समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग आयोग/अल्पसंख्यक कार्यालय से समन्वय</u> :-

समाज कल्याण /पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने हेतु क्रमशः 300/- व 480/- प्रतिछात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जायेंगी ।

(द) <u>ग्राम पंचायत से समन्वय</u> :-

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि प्राप्त किया जायेगा जहाँ भवन निर्माण कराकर विद्यालय संचालित किया जायेगा ।

(य) <u>खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय</u> :-

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एंव सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा को 3 किलोग्राम प्रतिछात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यन्न वितरित कराया जाता हैं ।

(र) <u>विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय</u> :-

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र और छात्राओं को उपकरण जैसे:- ट्राइसाइकिल बैशाखी आदि उपलब्ध कराये जायेगें । शासनादेश के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

(ल) <u>उ0 प्र0 जल निगम / यू0पी0 एग्रो से समन्वय</u> :-

दोनो विभागों के माध्यम से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्प की स्थापना किया जाता हैं ।

(व) <u>युवा कल्याण विभाग से समन्वय</u> :-

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित करके छात्रों की क्रीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है जिससे खेल भावना का विकास होता हैं । नेहरू युवक केन्द्रो तथा युवक मंगल दल के कार्य कर्त्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम लाये जाते है । ग्राम शिक्षा समितियों स्थानीय समुदाय की सहभागिता को विकसित किया जायेगा ।

(श) <u>जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय</u> :-

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60 प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है । जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को अच्छादित किया जा सके ।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा । उपयुक्त विभागों के साथ पूर्व से ही संबन्ध स्थापति है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा ।

जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला बेशिक शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठक, माननीय संसद व विधायक गण के साथ बैठक, प्रमुख क्षेत्र पंचायत तथा समितियों के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षक संगठनों, अभिभावकों, विशिष्ट समूहों से विचार विमर्श किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में समुदाय के सदस्यों से तथा स्वयंसेवी संगठनों से विचार विमर्श किया गया।

<u>नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही से उभरे मुख्य विन्दु</u>

- विना भेद भाव के बालिकाओं की शिक्षा पर बल।
- समाज में महिलाओं के बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता।
- बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन।
- बच्चों का विद्यालय में ठहराव।
- अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं का शतप्रतिशत नामांकन।
- अल्पसंख्यक समुदाय के बालक/ बालिकाओं का नामांकन।
- शिक्षा से अन्ध विश्वास मिटाने की अपेक्षा।
- शिक्षा के साथ-2 कार्यानुभव संबंधी कौशल सिखाया जाय।
- पैत्रिक धन्धों में संलग्न बालकों को शिक्षित करना।
- असंगठित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के बालकों को साक्षर बनाना।
- बैकल्पिक/नवाचार शिक्षा केन्द्रों का सृजन करना।
- प्राकृतिक अवरोधित क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा साधन उप्लब्ध कराना।
- गुणात्मक शिक्षा हेतु अपेक्षित सुधार करना।
- विद्यालयों को भौतिक संसाधनों से सुदृढ़ करना ।
- शौचालय,पेयजल,एवं चाहरदीवारी की कमी को दूर करना।
- गरीबी के कारण शिक्षा न प्राप्त करने वाले बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित करना।
- अन्य आर्थिक कार्य हेतु छात्रबृति प्रदान करना।
- शिक्षक के व्यवहारकुशलता एवं व्यक्तित्व में कमी।
- मानकानुसार शिक्षकों की अनुपलब्धता।
- अध्यापकों से अन्य विभागों का कार्य कराना।
- अध्यापक का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना।

स्कूल चलो अभियान

प्राथमिक विद्यालय की छात्र संख्या (2003–2004)

कुल बाल गणना			उपलब्धि			अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
244241	202933	447174	238172	196890	435062	47205	38014	85219	80674	67387	148061	44602	39283	83885

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की छात्र संख्या

कुल बाल गणना			उपलब्धि			अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
107156	84138	191294	103375	78286	181661	14371	21349	35720	33416	24400	57816	18898	15181	34079

स्रोत-विभागीय आंकड़ें

सारिणी-3.3

हाऊस होल्ड सर्वेक्षण के अनुसार जनपद के नामांकन की स्थिति (वर्ष 2003–2004)

वय वर्ग	हाउसहोल्ड सर्वेक्षण द्वारा चिन्हांकित बच्चे			स्कूल जाने वाले बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6-11	244241	202933	447174	238172	196890	435062	6069	6043	12112
11-14	107156	84138	191294	103375	78286	181661	3781	5852	9633
कुल	**351397**	**287071**	**638468**	**341547**	**275176**	**616723**	**9850**	**11895**	**21745**

स्रोत–शैक्षणिक आंकड़ें

अध्याय-4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु भारत सरकार ने देश के समस्त 6-14 आयु वर्ग के बच्चों हेतु कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु विभिन्न राज्यों में **सर्व शिक्षा अभियान** के नाम से एक योजना कियान्वित करने का निर्णय लिया हैं । यह अभियान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाई जायेगी । इस योजना में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अंश दान क्रमश: , नवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र का 85प्रतिशत तथा राज्य का 15 प्रतिशत एवं दसवी पंचवर्षीय योजना में 75:25 एवं आगे के अवधि में 50:50 के अनुपात अंशदान होगा ।

मूल रूप में जनपद में सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप जनपद में मानक निर्धारित किया गया हैं-

योजना का प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2005 तक सभी बच्चों का शतप्रतिशत नामांकन, जिसके लिए मुख्य रूप से वैकल्पिक स्कूल, ई0 जी0 एस0 केन्द्र, बैक-टू-स्कूल शिविर आदि के माध्यम से लिया जायेगा ।

1. विद्यालय में नामांकित शत प्रतिशत बच्चे को वर्ष 2007 तक कक्षा 1-5 तक की शिक्षा को पूर्ण कराया जायेगा ।
2. इसी क्रम में 2010 तक शत प्रतिशत बच्चों को कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कराया जायेगा ।
3. समस्त बच्चों को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कराया जायेगा ।
4. वर्ष 2007 तक समस्त नामांकित बालक/बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य से नामांकन शत प्रतिशत एवं सम्प्रप्ति के अन्तर को समाप्त कर प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना एवं वर्ष 2010 तक उच्च प्रा0 शिक्षा को पूर्ण कराना होगा ।

वर्ष 2010 तक शत प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित किया जायेगा । उपरोक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों की राज्य स्तर पर यथावत स्वीकार किये गये हैं तथा सम्बन्धित जनपदों के विभिन्न स्थानीय समस्याओं के आधार पर कुछ दिशिष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किए गये हैं ।

नामांकन के लक्ष्य

बाल गणना तथा नामांकन को दर्शाने हेतु अपनायी गई विधा :-

जनगणना के द्वारा जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने हेतु जन गणना 2001 के आंकड़े प्राप्त हो गये हैं । ऐसी दशा में पूर्व की जनगणना के आकडे को आधार मानते हुए

पिछले के दशक में हुयी जनजंख्या वृद्धि के आधार पर नीपा नई दिल्ली के माडयूल में वर्णित Compound rate of growth method से जनपद की वार्षिक वृद्धि ज्ञात की गयी है। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.54 हैं । इसी दर को मानक मान कर वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या निकाली गयी हैं ।

जनसंख्या की आयु वर्गवार आकड़ा उपलब्ध नही हैं । इसके लिए 1991 की जनगणना के आयु वर्गवार जनसंख्या को आधार मान कर 2001 से आगे की जनसंख्या दर्शायी गयी हैं । वर्ष 2001 की अनुमानित जनगणना के आधार पर विभिन्न वर्गानुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार किया गया है ।

नामांकन के लक्ष्यों को दर्शाने के लिए GER के आधार पर नीपा नई दिल्ली के द्वारा प्रतिपादित Inrolment ratio method से 2002 से 2010 तक GER दर्शाया गया हैं । शतप्रतिशत नामांकन में कुछ बच्चे Over Age तथा कुछ Under Age भी होगें। अत: GER का लक्ष्य 100% से अधिक रखा गया है क्योकि प्रा0 स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्रा0 स्तर पर 2007 के बाद GER में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेगें उतने नामांकन भी बढ़ेंगे ।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार आंकलित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल गणना व नामांकन तथा 11-14 की बाल गणना तथा नामांकन निम्नवत होगा :-

सारिणी 4.1

प्रा0 स्तर पर नामांकन के लक्ष्य — जनपद गोण्डा

वर्ष	6-11 वय वर्ग की बच्चो की सं0			नामांकन			GER
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
01-02	217012	195084	**412096**	209661	**173588**	**383249**	**92.99**
02-03	222783	197555	**420338**	219627	179698	**399321**	**94.99**
03-04	227389	201356	**428745**	231094	189076	**420170**	**97.99**
04-05	231822	205498	**437320**	231822	205498	**437320**	**100.00**
05-06	236526	209540	**446066**	245987	217922	**463909**	**104.00**
06-07	241207	213780	**454987**	262916	233020	**495936**	**109.00**
07-08	245966	218121	**464087**	263184	233389	**496573**	**107.00**
08-09	250886	222483	**473369**	250886	222483	**473369**	**100.00**
09-10	255903	226933	**482836**	255903	226933	**482836**	**100.00**

स्रोत:विभागीय आकड़े

सारिणी 4.2

उ0प्रा0 स्तर पर नामांकन

वर्ष	11-14वय वर्ग की बच्चों की सं0			नामांकन			GER
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
01-02	90383	81093	171476	63210	24353	87563	51.06
02-03	92700	82206	174906	91826	39353	131179	77.99
03-04	94554	83850	178404	93945	75538	169483	94.99
04-05	96445	85527	181972	96445	85527	181972	100.00
05-06	98374	87237	185611	102309	90726	193035	100.00
06-07	100341	88982	189323	107365	95211	202576	104.00
07-08	102348	90762	193110	102348	90762	193110	107.00
08-09	104395	92577	196972	104395	92577	196972	100.00
09-10	106483	94428	200911	106483	94428	200911	100.00

स्रोतःविभागीय आकड़े

सत्रा 2003 से 2007 तक बालिकाओ के नामांकन हेतु विशेष कार्यक्रम संचालित किए जायेगे। जिसके लिए बजट में प्रतिवर्ष 50 लाख रूपये का प्राविधान किया गया है।

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य उददेश्य में यह सम्मिलित है कि वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक उ0 प्रा0 स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जायेगा । जो निम्न तालिका में स्पस्ट हैं ।

वर्ष	प्रा0 स्तर पर ड्राप आउफट की दर
00-01	15.72%
01-02	13.63%
02-03	11.25%
03-04	8.41%
04-05	5.18%
05-06	2.09%
06-07	0%
07-08	0%
08-09	0%
09-10	0%

ड्राप आऊट रेशियो जानने के लिए समय-समय पर कोहार्टज स्टडी कराया जायेगा । वर्तमान सत्र 2001-02 में ड्राप आउट दर 36.9 प्रतिशत है जिसे शनैःशनैः सत्र 2005-6 में 2 प्रतिशत तथा

2006-07 में शून्य प्रतिशत लाया जायेगा। उत्तर प्रदेश स्तर पर विभिन्न विकास खण्डों से पॉच विद्यालयो से सर्वेक्षण के आधार पर ड्राप आउट 15.72 है जो सारिणी के आधार पर कम किया जायेगा।

अध्याय-5

जनपद की विभिन्न समस्याएं एवं उनके निस्तारण हेतु योजनाए :-

जनपद गोण्डा की शिक्षा प्रतिशतता को देखते हुए विभिन्न प्रकार के समस्याओं जैसे भौगोलिक स्थिति, शिक्षा का वातावरण एवं संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं । इसके लिए भवन, अध्यापक , नवीन विद्यालय , भौतिक संसाधन एवं रूचि पूर्ण बालक केन्द्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए रोचक एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रयास किया गया हैं । जिससे हर वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं के सामाजिक असमानताओं के अन्तर को समाप्त किया जा सके एवं शतप्रतिशत ठहराव के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके ।

कम	समस्यायें/पहुँच	उपाय/रणनीतियॉ
1	2	3
1	शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता	शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार, विभिन्न नुक्कड़ नाटक दीवाल लेखन व प्रोत्साहन
2	आर्थिक समस्याएं	मुफ्त शिक्षा, कमजोर एवं मजदूर वर्ग के बच्चों हेतु विशेष वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था जिससे खाली समय में बच्चों को शिक्षा दी जा सकें ।
3	सामाजिक पिछड़ापन एवं उदासीनता	बच्चों के अभिभावकों समाज के प्रबुद्ध लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए ग्रा0 शि0 स0 को सक्रिय करना, शिक्षा, की उपयोगिता का प्रदर्शन, बाल विकास परि0 की कार्यकत्रियों को और प्रभावी बनाना, एनम द्वारा स्वा0 सेवाए उपलब्ध कराना , कला जत्था जैसे कार्यक्रमों का प्रदर्शन , नेहरू युवा केन्द्र तथा NGO का सहयोग लेकर जनजागरण अभियान चलाना ।
4	शिक्षा के सार्थकता की अनिश्चितता	पढ़ लिख कर क्या करूगा ऐसी भावना निकालने हेतु उ0प्रा0 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना, बालिकाओं को गृह विज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कढ़ाई,बुनाई, फाइन आर्ट, ब्यूटी पार्लर, सिलाई इत्यादि एवं बालको हेतु स्थानीय व्यवसाय पर आधारित शिक्षा प्रदान किया जायेगा ।

1	2	3
5	अरोचित क्षेत्रों में विद्यालय का अभाव	जिस क्षेत्र में 1 किमी0 की दूरी में विद्यालय नही है ऐसे क्षेत्रों में 30 छात्रों की उपस्थिति पर एक EGS केन्द्र खोले जायेगे जिसमें 6 से 8 वर्ष के बच्चे पढ़ेगे तथा 9-14 वर्ष के बच्चों हेतु AIE केन्द्रो की स्थापना की जायेगी । लगभग 300 आबादी पर 1-1/2 किमी0 की दूरी में विद्यालय न होने पर नवीन विद्यालय खोला जायेगा ।
6	भौगोलिक समस्याएं	माझा एरिया, जंगली एरिया सम्पों की अनुपलब्धता वाले क्षेत्रों में लक्ष्यों की पूर्ति हेतु EGS एवं नवाचार तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेगे ।
7	भौतिक संसाधन का अभाव	छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुये नवीन शिक्षण कक्ष का निर्माण, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी , शौचालय, विद्युत आपूर्ति , छात्रों के बैठने हेतु डेस्क-बेंच इत्यादि का प्रस्ताव हैं ।
8	जन-मानस एवं बच्चों में शिक्षा के प्रति अरूचि	बच्चो तथा अभिभावकों को बताना की विद्यालयों में अब रूचि पूर्ण शिक्षा, बाल केन्द्रित शिक्षा , खेल,खेल में शिक्षा दिया जाना प्रस्तावित है यह शिक्षा बच्चों पर थोपा नही जायेगा । बच्चों के अन्दर क्रियात्मकता का सृजन करना, कलात्मक क्रिया कलापों का सृजन, व्यावहारिक शिक्षा प्रदान कराना, जिससे शिक्षा के प्रति बच्चों में रूचि पैदा की जा सके ।
9	विद्यालय वातावरण का आकर्षक न होना	विद्यालय परिसर चाहरदीवारी युक्त कराकर चारों तरफ छात्रों द्वारा वृक्षारोपण, फूलदार पौधारोपण, क्यारी बनाकर कृषि सम्बन्धी अभ्यास, खेल मैदान तथा भवन के अन्दर एक निश्चित माप के अन्दर पाठ्यक्रम आधारित चित्र लेखन , दीवारों पर शैक्षिक वातावरण दर्शने वाले चित्र तथा TLM के चित्र टागें होने चाहिए , बाहर ग्रुप डिस्कशन हेतु चबूतरे का निर्माण प्रार्थना स्थल, झंडा रोहण चौकी का निर्माण ।

1	2	3
10	अध्यापकों की व्यस्तता के कारण उत्पन्न समस्या	अध्यापकों को इतर कार्य से मुक्त करा कर पूर्ण रूपेण शिक्षण कार्य में तल्लीन करा कर जिम्मेदारी का बोध तथा बच्चे अपने आपको उपेक्षित न महसूस करें इसके लिए छात्र एवं अध्यापक की सक्रिय सहभागिता निर्धारित की जायेगी पठन पाठन की समस्त जिम्मेदारी अध्यापक की मानी जायेगी । कमजोर छात्रों पर विशेष बल, अच्छे अध्यापको को पुरस्कार तथा खराब प्रदर्शन वाले शिक्षकों को सुझाव के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि वेतन वृद्धि में अवरोध इत्यादि का प्रस्ताव हैं ।
11	छात्र : अध्यापक की कमी	बच्चो की संख्या को ध्यान में रखते हुए 40:1 के अनुपात के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रस्ताव है ऐसे में शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने हेतु शिक्षा मित्र का सहयोग लिया जायेगा वही उ0 प्रा0 वि0 में भी विषयाध्यापकों की कमी को पूरा किया जायेगा, उ0 प्रा0 वि0 तथा प्रा0 वि0 के मध्य आपसी समन्वय स्थापित रखा जायेगा ।
12	शिक्षकों के व्यक्तित्व एवं व्यहवार कुशलता में क्षीणता	शिक्षकों को गुणवतापरक एवं प्रभावी शिक्षण पद्वति अपनाने हेतु प्रशिक्षण द्वारा प्रेरित किया जायेगा । छात्र/अध्यापक का पारस्परिक व्यवहार-अभिभावक सम्पर्क बच्चो की क्षमता एवं कमी का पता लगा कर निराकरण करना जिससे छात्रों के प्रति अध्यापकों का संवेगात्मक जुड़ाव हो सके । समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
13	समुदाय की सहभागिता की कमी	ग्रा0 शि0 स0 प्रधान एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों हेतु एक शिविर के माध्यम से सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हे प्रेरित करना , सामाजिक उत्प्रेरक प्रशि0 शिविर का आयोजन राष्ट्रीय पर्वो पर जन प्रतिनिधि द्वारा ध्वजारोहण एवं सम्बोधन तथा साथ-साथ ग्राम वासियों /अभिभावकों को यह बताना कि यह विद्यालय आपका है आपकी ग्रा0 पं0 इसका मूलयांकन कर सकती हैं । आंकड़ों के संकलन हेतु ग्राम के वरिष्ठ लोगो द्वारा सलाह करके विद्यालय में स्वच्छता , अनुशासन, यूनीफार्म, समय-समय पर गांव के पढ़े लिखें अनुभवी लोगो का शिक्षण कार्य में सहयोग तथा गांव के गरीब एंव प्रतिभावान बच्चो को पुरस्कृत करके इस कमी को दूर किया जायेगा।

1	2	3
14	विद्यालय का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की कमी	स0बे0शि0अ0/प्रति उ0 वि0 दि0 /वि0आर0 सी0 /ए0बी0 आर0 सी0, एन0 पी आर0 सी0 द्वारा समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास तथा सुझाव दिया जायेगा । इसके लिए निर्धारित प्रारूप तैयार कराया जायेगा ।
15	छात्रों का प्रभावी मूल्यांकन	छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त कराने हेतु सतत् मूल्यांकन अतिआवश्यक है इसमें कमजोर छात्रों को मुख्य धारा मे लाने के लिए अभिभावक से सम्पर्क कर निदान प्रस्तुत किये जायेगें एवं पिछड़े विषयों में अध्यापक द्वारा उन बच्चों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा तथा छात्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता का दृष्टिकोण विकसित करने हेतु पुरस्कार तथा विशेष अवसरों पर सम्मान-पत्र वितरित किया जायेगा ।
16	अभिभावकों एवं अध्यापकों में मतभेद तथा सामंजस्य का न होना	विद्यालय स्तर पर ग्रा0 शि0 स0 के साथ -साथ समस्त अभिभावकों एवं अध्यापकों की एक बैठक आयोजित की जाय जिसमें समस्त समस्याएं एवं उनका निराकरण खोजा जोयगी । इस बैठक में विभिन्न वर्गो को अभिभावक सम्मिलित होगें । अध्यापको की कमी को शिक्षा विभाग के अधिकारी तक प्रेषित की जायेगी तथा अभिभावक की कमी को ग्रा0 शि0 स0 के माध्यम से हल निकाला जायेगा एवं अच्छे अभिभावको की एक सूची तैयार कर विद्यालय भवन मे अंकित कराया जायेगा ।
17	छात्रों के पास पाठ्य पुस्तक का अभाव	विद्यालय में नामांकित समस्त 1-8 तक के छात्रों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं ।
18	विषयाध्यापकों की कमी	उ0 प्रा0 वि0 में विषयाध्यापकों की कमी को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित हैं ।
19	अध्यापक द्वारा वि0 में पूरा समय न दे पाना	विभिन्न सूचनाओं के संकलन एवं कार्य संपादन हेतु अध्यापक को जाना पढ़ता है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है इसे समाप्त करने के लिए NPRC/BRC/ABRC को सक्रिय एवं धानात्मक भूमिका का सुदृढ़ीकरण तथा ब्लाक स्तर पर BRC पर समस्त सूचनाएं कम्प्यूटरीकृत किये जायेगे जिससे बार-बार सूचनाओं का संकलन न करना पड़े और इससे अध्यापक का समय बचेगा । जिससे वह ससमय प्रभावी शिक्षण सम्पादित कर सकेगा ।

1	2	3
20	अध्यापको का शिक्षण कार्य में उदासीन होना	अध्यापकों के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताएँ करवाना जिससे उनके कौशलो का विकास हो सके एवं इससे उनके अन्दर स्वाध्याय की भावना विकसित होगी ।
21	विद्यालय में विशेष अवश्यकता वाले बच्चो के शिक्षक/प्रशिक्षक की कमी	बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु विशषज्ञो की व्यवस्था की जायेगी तथा उनकी विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर कक्षा शिक्षण कराया जायेगा एवं विशेष शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण कराया जायेगा । अध्यापकों द्वारा अक्षमता ग्रस्त बच्चों को प्राथमिकता देने का निर्देश जारी किया जायेगा ।
22	वि0शि0 आ0 वाले बच्चों की आवश्यकता पूर्ण न होना	CWSN को आवश्यक कृत्रिम अंग /उपकरण उपलब्ध कराया जाना हैं ।
23	विकलांगता के प्रति समुदाय में अज्ञानता	समुदाय में लोगो को बताया जायेगा कि विकलांगता क्या होती हैं , क्या सुविधाएं है, विकलांगो की शिक्षा मे क्या व्यवस्था है विकलांग छात्र क्या-क्या कर सकता है सभी विन्दुओ पर जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी ।
24	विशेष आवश्यकता वाले बच्चो को पढ़ाने में अध्यापक की अरूचि	अध्यापको को अक्षमता,ग्रस्तता से सम्बनधित विशेष प्रशि0 दिलाकर जागरूक कराना ।

उपरोक्त समस्याओं के अलावा भविष्य में अन्य शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को दृष्टिगत् रखते हुए रणनीति तैयार किया जायेगा ।

अध्याय–6

शिक्षा का विस्तार

1. नवीन प्रा0 वि0 भवन की आवश्यकता :

जनपद की विभिन्न भौगोलिक एवं वातावरणीय स्थिति का ध्यान में रखकर जनपद के असेवित क्षेत्रों का चिन्हांकन किया गया उनमें से कुछ स्थानों पर (DPEP II) द्वारा विद्यालय भवन निर्मित करा दिया गया है, जब भी कुछ बस्तियां असेवित हैं जिनकों आगामी वार्षिक कार्य योजना में दर्शाया जायेगा। जनपद में ऐसे ग्रामों व वस्तियों की संख्या जिनकी आवादी 300 से अधिक है जो 1 कि0मी0 से कम दूरी पर है उनकी संख्या 115 तथा 1 से 1.5 से कम दूरी पर कुल विद्यालय 642 है। तथा ऐसे/वस्तियाँ जिनकी आवादी 300 से कम है तथा 1 कि0मी0 के अन्दर 356 तथा 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर 691 विद्यालय है 1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर 300 से अधिक आबादी वाले जातियाँ 70 है। तथा 300 से कम आबादी वाले ग्रामों व वस्तियाँ 380 हैं जहाँ पर 272 ई0जी0एस0 केन्द्रो द्वारा शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उ0प्रा0 विद्यालयों के नवीन भवन :

सर्वशिक्षा अभियान में प्रत्येक विकास खण्डों के सभी बच्चों को कक्षा 8 तक शिक्षा सुनिश्चित करने की योजना में प्रति दो प्रा0वि0 पर एक उ0प्रा0वि0 की स्थापना की जानी हैं। सभी उ0प्रा विद्यालय स्तर पर 1 प्रधानाध्यापक तथा 4 सहायक अध्यापकों की व्यवस्था की जानी हैं। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सृजन हेतु 800 से अधिक आवादी वाले ग्रामों व वस्तियों में 3 कि0मी0 से कम दूरी पर 5815 विद्यालय है। ऐसे ग्राम व वस्तियाँ जहाँ 800 से कम आवादी है जहाँ 3 कि0मी0 से कम दूरी पर 1284 विद्यालय तथा 3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर 191 उच्च प्रा0 वि0 है। ऐसी वस्तियों में जहाँ 800 से कम आबादी है वहाँ 17 ए0आई0ई0 का सृजन किया गया है।

सारणी–6.1

क्रम	विद्यालय	ग्रामीण	नगर
1	उ0 प्रा0 विद्यिालय की आ0	–	–
2	वर्तमान प्रा0वि0सं0	1571	35
3	नवीन प्रा0वि0सं0	–	–
4	1:2 के अनुपात में उ0प्रा0 वि0	–	–
5.	वर्तमन में उपलब्ध उ0प्रा0वि0	482	30
	कुल आवश्यकता	–	–

श्रोत–विभागीय आंकड़े एवं सवेक्षण

शिक्षक व्यवस्था :

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सृजित प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है जो कि छात्र सं0 के आधार पर बढ़ायी जायेगी। नवीन उ0प्रा0 विद्या0 में एक प्रधानाध्यापक के साथ 4 सहायक /विषयाध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है। बालिकाओं की शिक्षा का ध्यान में रखते हुए प्रत्यक उ0प्रा0वि0 में कम से कम एक महिला शिक्षक की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सारणी–6.2

क्र०सं०	विवरण	2004–05	2005–07	2006–07
प्राथमिक विद्यालय				
1.	पेयजल	—	—	—
2.	शौचालय	300	228	—
3.	चाहरदीवार	—	—	—
4.	पुनःनिर्माण	33	—	—
5.	अति० कक्षाकक्ष	200	100	100
उ0प्रो0 विद्यालय				
1.	पेयजल	—	—	—
2.	शौचालय	—	—	—
3.	चाहरदीवार	—	—	—
4.	पुनःनिर्माण	—	—	—
5.	अति० कक्षाकक्ष	—	—	—

उपरोक्त सारिणी के अनुसार जनपद में किए गये कार्य विवरण निम्नवत हैः–

पेयजल :

जनपद के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक वि० में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।

शौचालय :

400 प्राथमिक विद्यालय में तथा 80 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय का निर्माण किया जायेगा जिसके लिए 10 हजार प्रति विद्यालय धन उपलब्ध कराया गया है।

चाहरदीवारी :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चाहरदीवारी के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं है।

पुनः निर्माण :

33 प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय का पुनः निर्माण कराया जायेगा। इसके लिए प्राथमिक विद्यालय में 3 लाख 83 हजार प्रति विद्यालय को धन प्राविधानित किया गया है।

जनपद के ध्वस्त एवं जर्जर प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक विवरण जहाँ कुल 33 नये भवन का निर्माण होना है :–

सारणी – 8

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	स्थापना वर्ष
1.	कटरा बाजार	2	1965-66
2.	अपई डीह	1	
3.	कर्नल गंज	3	
4.	परसपुर	3	
5.	नवाबगंज	2	
6.	मनकापुर	2	
7.	हडिया कोल	2	
8.	गुजेहना	2	
9.	बेलसर	1	
10.	वजीरगंज	2	
11.	तरबगंज	2	
12.	हलधर मऊ	2	
13.	झंझरी	2	
14.	पंडरी कृपाल	2	
15.	छपिया	2	
16.	बभनजोत	2	
17.	नगरक्षेत्र	1	
	योग	**33**	

अतिरिक्त शिक्षण कक्ष :

जनपद में वर्ष 2001–02 से क्रमशः 2009–10 तक कुल प्राथमिक विद्यालयों में 400 कक्षाकक्ष की व्यवस्था किया गया है। जिसके लिए रू0 70 हजार प्रति कक्षाकक्ष धन प्राविधानित

विद्यालय साज–सज्जा एवं सुदृढीकरण :

प्रत्येक नवीन प्रा0 वि0 तथा उ0प्रा0 वि0 के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित मानक अनुसार धन ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें टाटपट्टी, कुर्सी, मेज श्यामपट, अलमारी, सन्दूक, पंजिकाए, पुस्तकालय, पुस्तक एवं साहयक शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, बाल्टी, गिलास, रंगाई–पुताई, दीवाल लेखन, इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी व सुचारू रूप से संचालित किए जाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही साथ पेय जल हेतु हैन्ड पम्प विद्युत, चाहर दीवारी, वृक्षारोपण, फुलवारी, बालक बालिकाओं हेतु अलग–अलग शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। इस प्रकार कुल 1606 प्रा0 वि0 एवं 334 उच्च प्रा0 वि0 में 5 हजार रूपये प्रति विद्यालय की दर से उपलब्ध कराया जायेगा। इसी के साथ पूर्व संचालिक विद्यालयों को भी उक्त सुविधा प्रदान किया जायेगा।

विद्यालय विकास अनुदान :

जनपद के 1606 प्राथमिक तथा 334 उ०प्रा०वि० में प्रतिवर्ष 2 हजार का अनुदान प्राविधानित है।

निर्माणी संस्था :

समुदाय में यह भावना जगृत हो कि यह भवन हमार है हमारे लिए है इसे स्वच्छ रखना हमारा कर्त्तव्य है इसके लिए निर्माण की व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्रा0 शि0 स0 की होगी।

तकनीकी पर्यवेक्षण :

योजना द्वारा निर्धारित मानको की गुणवत्ता को जांचने के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस हेतु मानदेय की व्यवस्था की जायेगी।

अध्याय–7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार–II

शिक्षा गारंटी योजना / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा :

साक्षर जन समुदाय का राष्ट्र की उन्नति एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान है इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चो की शिक्षा के प्राविधाान के प्रति अपनी वचन बद्वता व्यक्त की है। संविधान में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि इस (6-14) आयु वर्ग के बच्चो के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्धा करायी जाये। नई शिक्षा नीति ने इस बात को स्वीकार किया है कि बड़ी संख्या में बालिकाओ की पहुँच शिक्षा तक नही है। इसके लिये अनिवार्य है कि सभी अभिकरण, संस्थान एवं कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करें कि समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में बालिकाओं व महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो।

बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीति में समय के साथ बदलाव आया है। 1986 में आयी शिक्षा नीति तथा तत्पश्चात आरम्भ की गई कार्य नीति के अर्न्तगत महिलाओं की समानताके लिये शिक्षा को आधार भूत रखा गया। जिससे (महिलाओं/पुरूषो) समुदाय मे सक्रियता आयी। बालिकाओ/महिलाओं व प्राथमिक शिक्षा की विचारधारा में भी परिवर्तन आया है तथा ग्रा0 शि0स0 व जन समुदाय में भी जागरूकता आयी।

सारिणी – 7.1

प्राथिमक स्तर पर न पढ़ने वाले बच्चों का विवरण

वर्ष	6–11 वय वर्ग के कुल बच्चे			न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
01-02	217012	195084	412096	7351	21496	28847
02-03	222783	197555	420338	3156	17857	21017
03-04	244241	202933	447174	6069	6043	12112

श्रोत–पर्सपेक्टिव योजना

2003–04 के पश्चात आगामी वर्ष में शत–प्रतिशत नामांकन पूर्ण करा दिया जायेगा।

सारिणी – 7.2

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न जाने वाले बच्चों का विवरण

वर्ष	11–14 वय वर्ग के कुल बच्चे			न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
01-02	90383	81093	171476	27173	56740	83913
02-03	92700	82206	174906	874	42853	43727
03-04	107156	84138	191294	3781	5852	9633

श्रोत–पर्सपेक्टिव योजना

2004–05 के पश्चात आगामी वर्ष में शत–प्रतिशत नामांकन पूर्ण करा दिया जायेगा।

उक्त बातो को मद्दे नजर रखते हुए जनपद गोण्डा में यहॉ की स्थानीय जरूरतों समस्याओं के आधाार पर समस्त 6–14 वय वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधाा उपलब्धा कराने के लिये EGS व AIE केन्द्रो को खोला जायेगा केन्द्रों के खोले जाने के लिये निम्न मानक निर्धारित किये गये।

1. असेवित क्षेत्रो में विद्यालय का न होना।
2. भौगोलिक/प्राकृतिक समस्यायें
3. सामाजिक पिछड़ापन एवं उदासीनता
4. आर्थिक समस्यायें

EGS शिक्षा गारंटी योजना) :–

जनपद में वर्ष 2003–04 में प्राथमिक स्तर पर कुल 272 ई.जी.एस. केन्द्र की स्वीकृतियां प्राप्त हुयी हैं जिसमें से 38 पूर्व स्वीकृतियां में से उप केन्द्र संचालित हैं। आवश्यकता वाले स्थलों का चयन किया जा रहा है। वर्ष 2004–05 में 100 तथा 2005–06 में 50 ई.जी.एस. केन्द्र संचालित किये जायेंगे।

AIE (वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्य क्रमद्ध :–

शाला त्याग व अधिाक आयु तक शिक्षा न प्राप्त होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे विशेषकर कामकाजी तथा बाल श्रमिक (खेत मजदूरी करने वाले व ईटा भट्टा पर काम करने वाले) एवं नवाचार शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रो को उन गांव/मजरे/मुहल्ले में खोला जायेगा जहां 15 बालक/बालिका शिक्षा की मुख्य धारा

से वंचित होगे। ये केन्द्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दानो स्तरों पर चलाये जायेगे। प्राथमिक स्तर के केन्द्र पर 01 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 02 अनुदेशको की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद में वर्ष 2003–04 में प्राथमिक विद्यालयों में 32 नवाचार शिक्षा केन्द्र तथा उच्च प्रा0 वि0 हेतु 18 नवीन केन्द्र सृजित किये गये हैं। इन केन्द्रों को आवश्यकता वाले क्षेत्रों में सृजित किया जायेगा।

प्रथमे सञ्चालित

AIE केन्द्रो का चरणबद्धसूची (खण्डवार)

सारणी–7.5

क्रमांक	विकास खण्ड	कुल वैकल्पिक केन्द्र	वर्षवार प्रगति / केन्द्रो का निर्धारण	
			2001–02	2002.03 से 2009.10 तक
1	रूपईडीह	1	–	1
2	इटियाथोक	1	–	1
3	पंडरीकृपाल	–	–	–
4	झंझरी	–	–	–
5	मुजेहना	–	–	–
6	कटराबाजार	2	–	2
7	हलधरमउफ	1	–	1
8	कर्नलगंज	–	–	–
9	परसपुर	2	–	2
10	बेलसर	1	–	1
11	तरबगंज	1	–	1
12	वजीरगंज	1	–	1
13	नवाबगंज	1	–	1
14	मनकापुर	1	–	1
15	बभनजोत	2	–	2
16	छपिया	2	–	2
	योग	16	–	16
	नगरक्षेत्रा	1	–	–
	महायोग	17	–	17

श्रोत–विभागीय सर्वेक्षण

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन की प्राथमिकता :–

1. असेवित क्षेत्रों में विद्यालय का न होना।
2. अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक वाहुल्य क्षेत्रा।
3. ऐसे क्षेत्रा जहॉ बालिकाओ के नामांकन का प्रतिशत कम हो।
4. अधिाकतम शाला त्याग के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चो की संख्या अधिाक हो।
5. जिन क्षेत्रो में घुमन्तू, मंगता जाति (कंकाली, व बंजारा जाति) के बच्चों, मजदूरी/खेत मजदूरी में संलग्न बच्चों की संख्या अधिाक हो।
6. जनपद के माझा, जगंली एवं रास्तो की अनुपलब्धता वाले क्षेत्रो में लक्ष्य की पूर्ति हेतु केन्द्र खोले जायेगे। (विकास खण्ड–परसपुर,बेलसर, तरबगंज, नवाबगंज, मनकापुर, छपिया, बभनजोत एवं कटरा बाजार विशेष रूप से उक्त समस्याओ से ग्रस्त है)
7. सामाजिक पिछड़ापन एवं आर्थिक परेशानियॉ।

परिवारिक सर्वेक्षण वर्ष २००३ ०४ के अनुसार जनपद में विद्यालय एवं गुलाई २००३ तक नामांकन की स्थिति निम्न सारणी से स्पष्ट है

सारणी २.४

जाति	कुल बच्चों की संख्या				स्कूल जाने वाले बच्चे				स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या						विकलांग बच्चे की संख्या				सम्पूर्ण योग		
	बालक		बालिका		बालक		बालिका		बालक			बालिका			बालक		बालिका				
	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	5से6	7से10	11–14	5से6	7से10	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	बा०	बालि०	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
सामान्य	66868	31230	55665	36680	59061	25276	50039	22010	4100	3707	5954	3655	1971	4670	416	234	250	134	13761	10296	**24057**
अ०जा०	41613	20823	39612	15785	42214	13355	32349	11994	2950	3449	7468	3026	4237	3791	364	205	218	118	13867	11054	**24921**
अ०ज०जा०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पि० जाति	82576	35080	67282	25659	73930	27587	58707	19935	4400	4296	7473	4908	3667	5724	545	260	300	160	16119	14299	**30418**
अल्पसंख्यक	46184	20043	40374	16014	38996	14838	35418	12229	3050	4138	5205	2731	2225	3785	290	191	201	112	12393	8741	**21134**
योग	2447241	107156	202933	84138	214201	81056	176513	766168	**14500**	**15540**	**26100**	**14320**	**12100**	17970	1615	**890**	**969**	**524**	**56140**	**44390**	**100530**

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

कारण	5+ से 6+		7 से 10+		11 से 14		योग		
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1. घरेलू कार्य	1590	1650	1770	132	6315	4575	9675	6357	16032
2. बच्चों की देखभाल	4560	2920	3630	2400	5700	4170	13890	**9490**	23380
3. अक्षमता	3360	2400	3900	2970	4200	3925	11460	9295	19755
4. श्रमिक	2240	2000	4140	810	4785	1950	11165	6260	19125
5. अन्य	2750	3150	2100	5788	5100	4350	9950	13288	23238
योग	14500	14220	15540	12100	26100	**17970**	**56140**	**44390**	**100530**

विकलांग बच्चों के कारण :

कारण	बालक		बालिका	
	6–11	11–14	6–11	11–14
1. दृष्टि	134	61	65	34
2. सुनना	142	82	84	42
3. बोलना	217	86	112	61
4. अधिगम अक्षमता	143	67	82	59
5. मानसिक मन्धता	240	156	143	82
6. शारीरिक अक्षमता	733	358	405	217
7. अन्य	119	75	57	59

स्रोत सर्वेक्षणानुसार शैक्षिक आंकड़े

सारिणी-3.3

हाऊस होल्ड सर्वेक्षण के अनुसार जनपद के नामांकन की स्थिति (वर्ष 2003–2004)

वय वर्ग	हाउसहोल्ड सर्वेक्षण द्वारा चिन्हांकित बच्चे			स्कूल जाने वाले बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6-11	244241	202933	447174	238172	196890	435062	6069	6043	12112
11-14	107156	84138	191294	103375	78286	181661	3781	5852	9633
कुल	**351397**	**287071**	**638468**	**341547**	**275176**	**616723**	**9850**	**11895**	**21745**

स्रोत–शैक्षणिक आंकड़ें

सारणी संख्या 2.4 के अनुसार वर्ष 2003–04 में हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार जनपद में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 100530 है जिसमें सत्र 2003–04 में नामांकन के पश्चात प्राथमिक स्तर पर 12112 तथा उच्च प्राथनिक स्तर पर 9633 छात्र शिक्षा से वंचित हैं इनके शिक्षण व्यवस्था हेतु जनपद में निम्न योजनायें संचालित करने का प्राविधान किया गया हैं जो निम्न सारणी से स्पष्ट है–

क्र0सं0	प्रस्तावित केन्द्र	वर्षवार केन्द्र							
		2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
1	ई0जी0एस0	272	10880	100	4000	50	2000	–	–
2	ए0आई0ई0 प्रा0	32	1600	–	–	–		–	–
3	ए0आई0ई0उच्च प्रा0	18	990	–	–	–		–	–
4	बृजकोर्स	166	8300	166	8300	166	8300	166	8300
	योग –		21770		12300		10300		8300

1. ई0जी0एस0 एवं शिक्षा घर केन्द्र

जनपद में अवेसित वस्तियों तथा स्यालात्यागी क्षेत्रों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुल 272 ई0जी0एस0 एवं शिक्षा घर का सृजन किया गया है इन केन्द्रों पर कम से कम 40 बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे पूर्व में संचालित 34 केन्द्रों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। आगामी वर्षो में क्रमशः 100 एवं 50 केन्द्र संचालित किए जाएंगे।

2. ए0 आई0 ई0

घरेलू कार्यो के कारण विशेषकर वालिका शिक्षा के वंचित रह जाते हैं जिन्हें मुख्य धारा में जोड़ने हेतु जनपद में 32 प्राथमिक तथा 18 उच्च प्राथमिक स्तर पर ए0आई0ई0केन्द्रों का सृजन किया गया है इन केन्द्रों पर कम से कम 25 बच्चे अध्ययन करेंगे इस योजना को आगामी वर्षो में समाप्त कर दिया गया है।

3. बृज कोर्स

जनपद के घूमन्तू तथा श्रमिकों के बच्चों के अध्ययन हेतु यह योजना संचालित की गयी है वर्ष 2003–04 में अनुसूचित जाति के बच्चों को मुख्य धारा में लाने हेतु 7 गैर आवासीय एवं छः आवासीय केन्द्र स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचातिल किये जा रहे हैं इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 166 न्याय पंचायतों में केन्द्रों का सृजन किया गया है जहाँ छूटे हुए तथा न पढ़ने वाले बच्चों को साक्षर करके मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

शिक्षा गारंटी केन्द्र (EGS) वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्र (AIE) का स्वरूप :–

जनपद के असंवित क्षेत्रो एवं शालात्यागी छात्रा/छात्राओं के लिए शिक्षा गारंटी केन्द्र
वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र चरणबद्व रूप से खोला जाना प्रस्तावित है।
दोनो ही केन्द्रो (EGS,AIE) के संचालन का समय मौसम परिर्वतन व स्थानीय जरूरत के अनुसार रखा जायेगा। ये केन्द्र प्रतिदिन 04 घन्टे संचालित किये जायेगे। केन्द्र संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि में नही होगा।

अनुदेशक चयन प्रक्रिया :–

EGS व AIE को संचालित करने के लिये प्रत्येक केन्द्र पर एक अनुदेशक/2 अनुदेशक होगे। अनुदेशक यथा सम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहॉ पर केन्द्र स्थापित किया जायेगा। उसी ग्राम सभा का व्यक्ति न मिलने पर बिलकुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अनुदेशक की योग्यता के मानक निम्नानुसार है –

1. अनुदेशक केन्द्र स्थापित ग्राम सभा का व्यक्ति हो ;महिला या पुरूषद्ध उसी ग्राम सभा का व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति हो सकता है।
2. अनुदेशक/अनुदेशिका की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। ।प्र के दो अनुदेशको में से एक महिला को रखने के लिये वरीयता दी जायेगी। ;विधवा तलाक शुदा को वरीयता गरीबी रेख से नीचे जीवनयापन करने वाले व विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायद्ध
3. केन्द्र अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी।
4. अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा सीमिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाई स्कूल परीक्ष। के अंको के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात अनुदेशक को आमन्त्राण पत्र। आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा।
5. किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
6. नगर क्षेत्रा में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक

नगर क्षेत्रा, सभासद सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्रा का वरिष्ठतः प्रधानाध्यापक आदि की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

7. मकतब/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी/हापिफज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक योग्यता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतबो/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो की मकतवों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।

अनुदेशकों के चयन के सम्बन्ध में ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय को अनुदेशक के आवश्यकता व चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी हैं ग्राम शिक्षा समिति अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों विश्लेषण चार्ट बनाकर उपयुक्त व्यक्ति को चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रो के लिये अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यून्तम आयु 21 वर्ष की होगी। स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता है।

ग्राम शिक्षा समिति एवं चयनित अनुदेशक के मध्य एक संविदा प्रपत्रा भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्सर के साथ संलग्न किया जायेगा।

अनुदेशक का प्रशिक्षण :–

चयनित अनुदेशको का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या ब्लाक रिसोर्स सेन्टर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सन्दर्भ व्यक्तियों द्वारा कराया जायेगा। सन्दर्भ दाताओं में डायट प्रवक्ता/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0/ब्लाक प्रोग्राम आपफीसर/ब्लाक रिसोर्स पर्सन व अध्यापक होगे। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय परियोजना समिति द्वारा रू0 1500/– प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण के समय में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नही होगी।

अनुदेशक मानदेय वितरण :–

जनपद में संचालित केन्द्रों के अनुदशको का मानदेय रू0 1000/– प्रति अनुदेशक की दर से सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित किया जायेगा। जिसका भुगतान ग्रा0शि0स0 अध्यक्ष एवं सचिव के माध्यम से अनुदेशक को चेक द्वारा माह के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

ग्रा0 शि0 समिति को छः माह की मानदेय अग्रिम धनराशि खातों में प्रेषित की जायेगी।नगर क्षेत्रा में अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर/प्रोग्राम आपफीसर/प्रोग्राम पर्सन एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य के संतोषजनक कार्य सम्पन्न किये जाने के पश्चात किया जायेगा। धनराशि कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। सभासद/प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी चेक द्वारा अनुदेशक को मानदेय होगा।

पर्यवेक्षण :–

केन्द्रो के नियमित संचालन व अकादमिक सहयोग के लिये केन्द्रो का समय–समय पर पर्यवेक्षण कार्य व अनुश्रवण कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0/ब्लाक रिसोर्स पर्सन/न्याय पंचायत प्रभारी के द्वारा किया जायेगा।

नगर क्षेत्रा के केन्द्रो के पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्य शिक्षा अधीक्षक/नगर प्रोग्राम आपफीसर/नगर रिसोर्स पर्सन/सहायक शिक्षा अधीक्षक/जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समिति भी केन्द्रों के संचालन का कार्य करेगी व समय–समय पर अपने विचारों सुझावों को देगी। डायट के लोगों द्वारा इन केन्द्रो का नियमित रूप से का पर्यवेक्षण व अनुश्रवण किया जायेगा ।

पर्यवेक्षण व अनुश्रवण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली से किया जायेगा।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री :–

केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चो को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके भी उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षण सामग्री एवं साज–सज्जा हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्रा0शि0स0 सामान नियमानुसार खरीद कर केन्द्र अनुदेशको को देगी। धानराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद से किया जायेगा। इस मद का प्रबन्धन 5 प्रतिशत राज्य/जनपदीय प्रबन्धान हेतु किया जायेगा।

छात्र–छात्राओं एवं अनुदेशक का मूल्यांकनः–

केन्द्रों (EGS, AIE) पर पढ़ने वाले बच्चों का सतत एवं नियमित मूल्यांकन अनुदेशक द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन तीन चरणों में किया जायेगा। जैसे तिमाही, छमाही एवं वार्षिक तथा मूल्यांकन लिखित एवं मौखिक दोनों ही माधयम से किया जायेगा। सतत् मूल्यांकन के लिए दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेने के लिये अनुदेशक का दायित्व होगा कि बच्चों के शैक्षिक एवं व्यवाहरिक स्तर को बढ़ायें व सुधारें। उनके (बच्चों के) सुधार के सम्बन्धा में व मूल्यांकन के पश्चात की स्थिति से समय–समय पर अभिभवक व ग्रा0शि0स0 को समय–समय पर अवगत कराना होगा। बच्चों की परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के निर्देशानुसार समीप के प्रा0वि0 के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी अनुदेशक के कार्यो व व्यवहारों का मूल्यांकन ग्राम शिक्षा समिति/नगर शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

समूहों/संघो का गठन (P.T.A/kN.P.W.C.) :-

केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चो के अभिभावको का एक संघ बनाया जायेगा अभिभावक शिक्षक संघ जो प्रत्येक केन्द्र पर होगा जिसमें बच्चों के नांमांकन, ठहराव, पुस्तक वितरण, शैक्षिक स्तर आदि से सम्बन्धित चर्चाओं के साथ–साथ आवश्यकता विशेष के अनुसार बैठक संगोष्ठी आदि की जायेगी जिससे अनुदेशक को खुलकर कार्य करने व समुदाय को भी अपने कार्यो से अवगत कराने का अवसर मिलेगा च्ज्ज्। में 10 सदस्य होगे जिसका विवरण निम्नवत होगा।

1. सदस्यों की संख्या दस होगी।
2. महिला/पुरूष दोनों ही सदस्य रखे जायेगे।
3. 9 सदस्य अभिभावक होगे व एक सचिव जो होगा वह अनुदेशक स्वयं होगा।
4. सदस्य अभिभावक प्रखर बुद्वि के बच्चे के माता–पिता मंद बुद्वि के माता–पिता विकलांग बच्चे के माता–पिता होगे एवं अनुसूचित जाति के बच्चे के माता–पिता होगे।
5. माह में एक बार बैठक अवश्य की जायेगी।

न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत कार्य समिति (N.P.W.C) गठित की जायेगी जिसमें प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्य सभा के सदस्य सम्मलित होगे व सदस्यों की संख्या 20 होगी इसमें 1/3 महिला सदस्य भी होगी इस समिति के साथ तिमाही, छमाही व वार्षिक बैठकें होगी व समिति में अभिभावक/जागरूक व्यक्ति/सेवानिवृत अध्यापक/सेवा निवृत व्यक्ति/ग्राम

प्रधान आदि सम्मलित होगे जो समय–समय पर मार्ग दर्शन प्रदान करेंगे। न्याय पंचाचत प्रभारी इसका पदेन सदस्य सचिव होगा।

पाठ्य क्रम एवं शिक्षा व्यवस्था की विशेषता :–

सभी केन्द्रों के लिये पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं को जोड़ते हुए रखा जायेगा।

पाठ्यक्रम में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जायेगा कि पाठ्यक्रम लिंग भेदभाव रहित हो व अधिकतम गतिविधि आधारित हो। अन्य विषयों जैसे कानून, जेन्डर, पंचायत व स्वास्थ्य आदि का भी समावेश होगा इसके साथ ही अन्य निम्न बिन्दुओं का मिश्रण किया जायेगा जैसे :–

1. सहभागिता के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
2. जो सिखाया गया है उसे भूलने न पाये इसके लिये अभ्यास कार्य कराया जायेगा। प्रकाशन एवं पुस्तकालय के प्रयोग को विकसित किया जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर पुस्तकालय स्थापित किया जायेगा जहाँ पुस्तकें होगी और उसकी पंजिका होगी। जिसमें पुस्तकों का विवरण, वितरण विवरण आदि रखा जायेगा पुस्तकों के रखरखाव के लिये आलमारी होगी। जिस व्यक्ति द्वारा पुस्तकालय की देखरेख की जायेगी उसका उसे अतिरिक्त मानदेय देय होगा। P.T.A./kN.P.W.C. के सदस्य को वरीयता दी जायगीं ।
3. नव सृजनात्मकता को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसमें अनुदेशक/अध्यापक को प्रशस्ति पत्रा व न्याय पंचायत प्रभारी को 500/– तक 01 ब्लाक समन्वयक को 1500/– के अन्दर तक की धन राशि पुरस्कार स्वरूप देयें होगी। इसकी घोषण सत्रा की समाप्ति माह मई/जून में की जायेगी व पुरस्कार 5 सितम्बर शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले स्तर पर दिये जायेगे।

बैठक/कार्यशाला/गोष्ठी का आयोजन :–

प्रत्येक केन्द्र के अनुदेशक प्रतिमाह अपने केन्द्र पर अभिभावक संघ ;च्ज्ए।द्व की बैठक अन्तिम कार्य दिवस से एक दिन पूर्व आयोजित करेंगे जिसमें आवश्यकता अनुसार शिक्षा के स्तर व बच्चों के ठहराव व आकस्मिक एजेन्डों पर वार्ता की जायेगी। न्याय पंचायत स्तर पर माह के प्रारम्भ में (पहले सप्ताह) बैठक होगी जिसमें विगत माह के कार्यो पर चर्चा की जायेगी मुख्य रूप में पाठ्यक्रम पर नवीन गति विधि/नव सजनात्मकता/और बच्चो के शैक्षिकस्तर पर चर्चा होगी प्रत्येक अनुदेशक द्वारा कोई एक पाठ पर कार्य योजना प्रस्तुत की जायेगी/वच्चो के शैक्षिक व उपस्थिति की आख्या दी जायेगी जिसका रखरखाव न्याय पंचायत प्रभारी करेगे/ब्लाक स्तर पर न्याय

पंचायत प्रभारी की गोष्ठी ब्लाक के समन्वयक/स0बे0शि0अ0/नगर शिक्षा अधीक्षक/नगर प्रोग्राम आपफीसर/नगर रिसोर्स पर्सन के साथ आयोजित की जायेगी जो न्याय पंचायत स्तर की कार्यशाला के चर्चाओ पर कार्यवृत देगे व पाठ्यक्रम पूर्णतः बच्चो के शैक्षिक स्तर व उनकी उपस्थिति की समीक्षा करेगे व आगामी योजना तैयार करेगे।

प्रबन्धन लागत :–

जनपद के केन्द्रों की अधिकतम लागत पर होने वाले व्यय में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला/विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक/प्रबन्धन भी सम्मिलित है।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत रखी जायेगी।

80–100 केन्द्रो के मध्य : 2.50 लाख रू0 प्रति वर्ष

50–80 केन्द्रो के मध्य : 2.00 लाख रू0 प्रति वर्ष

25–50 केन्द्रो के मध्य : 1.5 लाख रू0 प्रति वर्ष

25 केन्द्रो से कम : रू0 100.0 प्रति छात्रा/छात्राा प्रति वर्ष

ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन/क्षेत्रा आधारित कोर्स :

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/आधारित शिविरः–

मलिन बस्तियों, प्लेटफार्म, दुकानों, घुमन्तू बच्चों, मंगता (भिखारी) बच्चें, खेत मजदूरी एवं ईंटा भट्ठा पर लगे बच्चे जिनका व्य वर्ग 9–14 है के साथ ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्रा विशिष्ट आधारित शिविर संचालित किये जायेगे। सरयू व टेढ़ी नदी पर माझा क्षेत्रा में ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है।

प्रत्येक ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्रा विशिष्ट आधारित शिविरों में 9 से 14 वर्ष तक के न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेगे तथा ये शिविर आवासीय होगे। इन शिविरों में बच्चो के रहने, खाने पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। निर्धारित मानको के अर्न्तगत ब्रिज कोर्स/शिविरो में

* एक केयर टेकर
* दो पैरा टीचर

* एक रसोइया
* एक चौकीदार

उक्त के चयन की मानक के अनुसार प्रक्रिया की जायेगी। जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अर्न्तगत व्यवस्था की जायेगी। केयर टेकर, दो फेरा टीचर के प्रशिक्षण की व्यवस्था छात्रा/छात्राओ के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भॉति ही की जायेगीं केवल आवासीय व्यवस्था खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज सज्जा आदि के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था में ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति /जनसमुदाय का सहयोग /कुछ अंशदान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा ।

ब्रिज कोर्स खोलने हेतु उस क्षेत्रा को वरीयता दी जायेगी जहॉ पर निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके । ब्रिज कोर्स विकास खण्ड/जनपद मुख्यालय पर स्थापित किया जायेगा ।

आवासीय ब्रज कोर्स हेतु विकास खण्डवार सृजन एवं व्यय विवरण

सारणी–7.7

क्रमांक	जनपद मुख्यालय	सृजन वर्ष	केन्द्र संख्या	कुल छात्र	व्यय प्रति छात्र / /1500/– (हजार में)
1	गोण्डा	2001–02	–	–	–
2	"	2002–03	1	30	360
3	"	2003–04	8	240	360
4	"	2004–05	8	240	360
5	"	2005–06	8	240	360
6	"	2006–07	8	240	360
7	"	2007–08	–	–	–
8	"	2008–09	–	–	–
9	"	2009–10	–	–	–
योग			33	990	1485

श्रोत पर्सपेक्टिव् योजना

ब्रिज कोर्स का संचालन ग्रामीण /नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में किया जायेगा । आवासीय व्यवस्था निःशुल्क उपलब्धा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायगी । ब्रिज कोर्स की अवधि 4 माह से 18 माह तक रखी जायेगी । इस हेतु रू0 1500/– प्रति छात्र–छात्रा अनुमन्य होगी और इसी मानक धानराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी ।

. . . . ग्रीष्मकालीन शिविर (ड्राप आउट बालिकाओं हेतु)

सारणी–7.8

कमांक	सृजन वर्ष	सृजन केन्द्र	कुल छात्र
1	2001–02	–	–
2	2002–03	64	1920
	योग	64	1920

स्रोत पर्सपेक्टिव योजना

सर्वशिक्षा अभियान में बैक टू स्कूल कैम्प का प्रस्ताव

वर्ष	संख्या
2002–03	17
2003–04	34
कुल	51

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को जनपद में संचालित करने हेतु जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति गठित की जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होगें ––

1.	जिलाधिकारी	:–	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	:–	उपाध्यक्ष
3.	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा / जि0बे0शि0अ0	:–	सदस्य सचिव
4.	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफिसर (EGS)	:–	सदस्य
5.	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	:–	सदस्य
6.	जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी	:–	सदस्य
7.	जिला पंचायत राज अधिकारी	:–	सदस्य
8.	वित्त एवं लेखाधिकारी (कार्यालय बे0शि0अ0)	:–	सदस्य
9.	स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	:–	सदस्य

(स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किय. जायेगा)

जनपद में संचालित की जाने वाली योजनाओं के प्रस्तावों को तैयार करने एवं संचालित करने का पूर्ण उत्तर दायित्व उक्त समिति का होगा ।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका :–

प्रस्तावित शिक्षा गारंटी /वैकल्पिक शिक्षा योजना के लिये ग्राम सभा स्तर पर ग्रा0 शि0 स0 व शहर में नगर शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित हैं ।

विद्यालय न जाने वाले 6–14 वय वर्ग के बच्चों की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हे चिन्हित करना ।

1 कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना ।

2 अनुदेशकों का चयन करना ।

3 केन्द्रो का समय निर्धारित करना ।

4 केन्द्रो की साज–सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार मूल्यों पर नियमानुसार कय कर केन्द्रो का संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना ।

5 प्रशिक्षणोपरान्त अनुदेशकों को केन्द्र का दायित्व सौपना ।

6 केन्द्रो का निरीक्षण करना एवं अनुदेशक व बच्चों की उपस्थिति के साथ प्रबन्धन कार्यो का अनुश्रवण करना ।

7 केन्द्रो के पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने व विद्यालय में प्रवेश कराने हेतु निरन्तर प्रोत्साहित करना ।

8 अनुदेशकों के मानदेय का नियमित रूप से भुगतान करना ।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका :–

योजना को सफल बनाने के लिए विकास खण्ड स्तर पर समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित हैं ।

– ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।

– ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग करना, समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना।

– क्लस्टर रिसोर्स परशन/न्याय पंचायत संसाधान केन्द्र समन्वयक की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पयर्वेक्षण/अनुश्रवण की व्यवस्था करना।

– जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर जनपद के मास्टर ट्रेनर अथवा प्रशिक्षित सन्दर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित किया जायेगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्वः–

EGS व AIE केन्द्रों के सफल नियोजन हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति को निम्नांकित दायित्व प्रस्तावित हैः–

1 शिक्षा गारंटी /वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा केन्दों हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर /विकास खण्ड स्तर से तैयार करा कर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना ।

2 केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्रा विशिष्ट/सेमीनार/शिविर के प्रस्ताव को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना ।

3 कार्यकम का कियान्वयन कराना ।

4 अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कनवरजेन्स (Convergence) कार्यकमों का संचालन करना ।

5 कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों /कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

6 विभिन्न समितियों के मदवार धनराशियों के प्रेषण के पश्चात् विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों से संचालनार्थ अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना ।

विशेष आवश्यक्ता वाले बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :–

जनपद गोण्डा में जो विशेष आवश्यक्ता वाले बच्चे शिक्षा से वंचित है उन बच्चों को विकास खण्डवार चिन्हांकन कर प्राथमिकता के आधार पर EGS एवं AIE केन्द्रो की स्थापना की जायेगी ।

विकलांग बच्चों के वै0के0 में निम्न व्यवस्था की जायगी

– न्यूनतम छात्रा संख्या को 15 से कम भी किया जाना प्रस्तावित हैं ।

– ग्राम/बस्ती/मजरे/टोले मुहल्ले में विकलांग बच्चे जहॉ है उनकी आवश्यकता को घ्यान में रखकर छात्रा संख्या एवं उम्र की पूरी छूट दी जाये प्रस्तावित हैं ।

– जो बच्चा चलने फिरने एवं देखने में असमर्थ है तो उसके घर पर केन्द्र खोला जायेगा ।

– बच्चो की अक्षमता व आवश्यकता को अनुसार उन्हे (यन्त्रा तथा साइकिल, बैसाखी, चश्मा) उपकरणों को भी उपलब्ध कराना प्रसतावित हैं ।

इस बात का पूरा प्रयास किया जायेगा कि कोई भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जायें ।

बालिकाओ के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :

जिन ग्रामो/बस्तियों/मजरो/मोहल्लो में बालिका/महिला साक्षरता दर न्यूनतम है ऐसे ग्रामों में बालिका वै0शि0के0 खोले जायेगे तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इसमें सामुदायिक सहभागिता, कला जत्था, महिला मंगल दल, महिला प्रेरक समूह मॉ बेटी मेला, किशोरी संघ आदि के सहयोग लेकर चेतना जागृति एवं बालिका शिक्षा में रूचि को बढाने का प्रयास किया जायेगा। महिला साक्षरता दर में न्यूनता के आधार पर विकास खण्ड कटरा बाजार, रूपईडीह एवं इटियाथोक में महिला साक्षरता दर 5.47,7.71 एवं 8.08 के आधार पर बालिका शिक्षा केन्द्र प्राथमिकता के

आधार पर खोले जाने प्रस्तावित है। और बालिकाओ की रूचि व आवश्यकता को ध्यान में रखकर कला कौशल सम्बन्धी पाठ्यक्रम रखा जायेगा।

अल्पसंख्यकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :

जनपद में निरक्षर आबादी में अधिकाशतः अल्पसंख्यक समुदाय के 6 से 14 वय वर्ग से सम्बन्धित है जो केवल मकतब में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है। इनके लिये व खास कर के बालिकाओं के लिये केन्द्र खोले जायेगे जिसमें महिला अनुदेशिका नियुक्त होगी और निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्धा करायी जायेगी।

मक्तव मदरसा केन्द्र का चरणवद्ध सृजन

सारणी–7.9

क्रमांक	सृजन वर्ष	केन्द्रों की संख्या	व्यय प्रतिकेन्द्र / 15.35 (हजार में)
1	2001-02	-	-
2	2002-03	7	107.45
3	2003-04	20	307.00
4	2004-05	-	-
5	2005-06	-	-
6	2006-07	-	-
7	2007-08	-	-
8	2008-09	-	-
9	2009-10	-	-
	योग	**27**	**414.45**

श्रोत–विभागीय सर्वेक्षण एवं पर्सपेक्टिव योजना

जनपद गोण्डा में प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना व वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम की रणनीति

सारणी – 7.10

क्र0सं0	विकास खण्ड व नगर क्षेत्र	न्याय पंचायत	विद्यालय प्रा0 वि0 की संख्या	प्रस्तावित E.G.S.	पूर्व0 मा0 वि0 की संख्या	प्रस्तावित AIE	केन्द्रो के खुलने का वरीयता क्रम
1	16	166	1571	20	328	03	माझा क्षेत्र
2	04		35	02	06	–	जंगल क्षेत्र
3				12		14	असेवित क्षेत्र
							महिला सा0 दर न्यूनतम
							अल्पसंख्यक
योग	**20**	**166**	**1606**	**34**	**334**	**272**	बाहुल्य क्षेत्र (प्रस्तावित है)

श्रोत–विभागीय सर्वेक्षण एवं पर्सपेक्टिव योजना

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनो की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न माडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अर्न्तगत अभिनव कार्यक्रमो की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में कार्य कर रही अनुभवी स्वयं सेवी संगठनो को शिक्षा केन्द्रो के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। जिन स्वयं सेवी संगठनो को सहभागी बनाया जायेगा उनको चयनित करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था होगी। समाचार पत्रो में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयं सेवी संगठनो की सहभागिता ली जायेगी। स्वयं सेवी संगठनो से प्राप्त आवेदन पत्रा प्रस्ताव का टेस्ट टापॅ अप्रैजल तथा फील्ड अप्रैजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनो के प्रस्ताव का अप्रैजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना

के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त है। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारन्टी स्कीम वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्रा में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशको को प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है उनका भी सहयोग ई0जी0एस0 एजुकेशन गारन्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा इन स्वयं सेवी संगठनो/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ो का वार्षिक अद्यावधिकरण

जनपद में माइक्रो प्लानिंग के अर्न्तगत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6–11 व 11–14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर आउट आपफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया जाता है। अण्डर ऐज व ओवर ऐज बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चो का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्रा की संशोधित किया जायेगा ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ो को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू0 5000/– की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी हैं

माइक्रो प्लानिग के अर्न्तगत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11–14 व्यय वर्ग के बच्चो की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्रा के अनुसार परियाजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11–14 व्यय वर्ग के 49214 आउट आपॅफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये है। आगामी वर्षो में आंकड़ो के वार्षिक अनद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना एकत्रा करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्रा को पुनरीक्षित किया जायेगा ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिए संशोधित प्रपत्रा प्रयोग किया जायेगा।

सारणी–7.11

हाऊस होल्ड सर्वेक्षण के अनुसार जनपद के नामांकन की स्थिति

वय वर्ग	हाउसहोल्ड सर्वेक्षण द्वारा चिन्हांकित बच्चे			स्कूल जाने वाले बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6-11	244241	202933	447174	238172	196890	435062	6069	6043	12112
11-14	107156	84138	191294	103375	78286	181661	3781	5852	9633
कुल	**351397**	**287071**	**638468**	**341547**	**275176**	**616723**	**9850**	**11895**	**21745**

स्रोत–शैक्षणिक आंकड़ें

अभिनव मॉडल्स 11–14 आयु वर्ग हेतु :

11–14 आयु वर्ग के जो बच्चे औपचारिक विद्यालयो में शिक्षा प्राप्त कने में किन्ही कारणों से असमर्थ रहे है उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अर्न्तगत स्थानीय परिवेश बच्चो के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओ तथा आगे के दिनो में औपचारिक विद्यालयों को सम्मिलत किये जाने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कतिपय इन्नोवेटिव मॉडल्स विकसति किये जायेगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अर्न्तगत अभिनव मॉडल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू0 50,000/– का इनोवेटिव पफण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2–3 मॉडल विकसित किये जायेगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदो अनुभवी स्वयं सेवी संगठनो आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त कक्षा कक्षो एवं शिक्षकों की अनुमानित आवश्यकता निम्नवत है–

सारणी–7.12

क्रम	वर्ष	परिषदीय छात्रा नामांकन	1:40 के अनुपात में शिक्षक की आवश्यकता	वर्तमान शिक्षा मित्रा	सृजित पद	अतिरिक्त शिक्षक आवश्यकता	अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता
3	2003--04	320868	8021	1793	4532	1696	200
4	2004–05	328880	822	2641	5380	201	100
5	2005–06	337101	8427	2742	5480	205	100
6	2006–07	345528	8638	2844	5583	211	–

श्रोत–प्रासपेक्टिव योजना

कार्यक्रम :–

1 केन्द्रों के स्थलो की पहचान

2. बच्चो की सूची (E.I.M.S. डाटा के अनुसार) तैयार करना।

3. अनुदेशक/अनुदेशिका, सहायक/सहायिका का चयन व प्रशिक्षण।

4. केन्द्रों का संचालन।

5. केन्द्रों का भ्रमण/अनुश्रवण।

6. बैठक (ब्लाक/तहसील/जिला स्तर पर) कार्यशाला (एक दिवसीय)।

7. मूल्यांकन कार्ड का भरा जाना।

8. अनुदेशक/अनुदेशिका व बच्चों का मूल्याकन।

9. पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण।

10. संघों का गठन (M.T.A/kP.T.A./kW.M.G./kN.P.W.C.) सक्रियता हेतु प्रशिक्षण।

2. **कला जत्था/नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शनः**

समुदाय में जागृति लाने के लिये व केन्द्रो पर बच्चो के ठहराव हेतु गांव के मध्य नुक्कड़ नाटको का प्रदर्शन किया जायेगा।

3 **ग्रा0शि0स0 कार्यशालाओं का आयोजन :**

ग्रा0 शि0 स0 को सक्रिय व कार्यक्रम से जोड़ने के लिये ग्राम सभा व न्यायपंचायत स्तर पर कार्यशालाओं ;एक दिवसीय कार्यशालाद्ध का आयोजन किया जायेगा जिसमे ग्रा0 शि0 स0 के सदस्य व जन समुदाय भाग लेगें।

5 **मॉ बेटी मेला/अभिभावक शिक्षक मेला:**

अभिभावक/शिक्षक/बच्चो में समन्वय स्थापित करने व उनको जागरूक और सक्रिय करने के लिये न्याय पंचायत व ब्लाक स्तर पर मेलो का आयोजन किया जायेगा।

6 **मीना ;कैम्पेन/संशोधन पिफल्म का प्रदर्शन :**

बालिका शिक्षा के प्रति सवेदनशीलता के लिये मीना पिफल्म के कुछ भाग मुर्गियों की गिनती व क्या मीना पढ़ायी छोड़ देगी। और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने व जागरूकता लाने के लिये संशोधन पिफल्म का प्रदर्शन किया जायेगा।

7 **सम्पर्क एवं बैठके :**

शिक्षा व शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने अर्थात बच्चो के नामांकन व ठहराव के लिये समय-समय पर अभिभवाको विभिन्न समितियों के साथ सम्पर्क व बैठक की जायेगी।

8 **म0 प्रे0 से/मा0 शि0 स0/अ0 शि0 अ0/ कोर टीम का गठन व प्रशिक्षण**

ग्राम सभा स्तर व न्याय पंचायत स्तर पसर विभिन्न समूहो का गठन किया जायेगा और सक्रियता के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा।

गतिविधि	W.M.G.	M.T.A.	P.T.A	कोर टीम (N.P.W.C.) न्याय पंचायत कार्य समिति	प्रोत्साहन
गठन	असेवित क्षेत्रो में 10 महिलाओ का समूह	जहां बालिका नामांकन ठहराव कम हो	समस्म केन्द्रो पर M.I.A. वाले केन्द्र को छोड़कर	न्याय पंचायत स्तर पर प्रत्येक ग्राम सभा से व्यक्ति कुल रू 200 व्यक्ति 50 प्रतिशत महिलाये	शत प्रतिशत नामांकन ठहराव वाला टीम को प्रोत्साहन रूप मे 400 रू0 या 1000 रू0 की धनराशि तीन को दी जाती है
सदस्य	10 सदस्य	10 सदस्य	10 सदस्य	20 सदस्य	
बैठक	प्रतिमाह	तीन माह पर	तीन माह पर	प्रति माह	
कार्य	शिक्षा के प्रति जागृति लाना बच्चो को लाने का प्रयास				
कार्यशाला /प्रशिक्षण	3 माह पर कार्यशाला 01 वर्ष में प्रशिक्षण गैर आवासीय	छः माह पर कार्यशाला 1 वर्ष पर प्रशिक्षण सक्रियता हेतु		छः माह प्रशिक्षण 2 दिवसीय गैर आवासीय	

संक्षेप में ,

जनसंख्या 2765754
साक्षरता 42.99:
बालक गणना 6–11 वय वर्ग – 41.20.96, 11–14 वय वर्ग – 17.14.76
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र – 0
वैकल्पिक (DEPE) शिक्षा केन्द्र – 85

बच्चो का मूल्यांकन एवं मुख्य धारा सें जोड़ना किसी भी समय व किसी भी कक्षा में निदेशक बेसिक/निदेशक साक्षरता के आदेश से यह होगा ।

वित्तीय मानक का चार्ट –वजटिगक चार्ट मानदेय

गतिविधियॉ :–केन्द्रो के अनु0/अनदेशि0 (प्रशिक्षण) को उनकी भूमिका /कार्यकम के उददेश्य /कार्य एवं दायित्व के लिये समय–समय पर अलग–अलग पर प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे ।

कार्यशाला/प्रशिक्षण के चरण (अनु0अनुदेशि0 हेतु)

क. सं0	प्रशिक्षण का नाम	उददेश्य	स्तर	समयावधि	आयोजक	अनुश्रवण
1	अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला	–कार्यकम की जानकारी देना – कार्य एवं दायित्व	छण्च्ण्त्ब्ण् स्तर	दो दिवसीय गैर आवासीय	ठण्त्ब्ण्ब्ण्ध ।ण्ठण्वैण्।	क्प्म्ज् क्च्व्क्ट
2	जनपद स्तरीय प्रशि0 कार्यशाला	अनुदेशकों को प्रशिक्षण देने हेतु कुछ व्यक्ति को मास्टर टे्नर के रूप में चयनित किया जायें ।	जनपद स्तर	दो दिवसीय गैर आवासीय	क्प्म्ज् क्ण्च्ण्ट	प्राचार्य/ठण्ैण् ।ण्ध्क्ण्ब्ण्
3	माड्यूल निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला	चयनित मास्टर टे्नरों के द्वारा अनु0 प्रशि0 के लिये	जनपद स्तर	20–25 दिन आवासीय	क्ण्च्ण्व् क्प्म्ज्	''
4	माड्यूल ट्रायलिंग कार्यशाला	जनपदों में तैयार माड्यूल का प्रस्तुतिकरण माड्यूल की ट्रायलिग विषयवार की जायेगी	राज्यस्तर/ सीमैंट	5 दिवसीय आवासीय	ण्च्ण्ट	सीमैंटध्ैण्च्ण्ट
5	अनुदेशक /अनुदोशिकों का पन्द्रह दिवसीय प्रशिक्षण	–केन्द्रो के संचालन –बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु –मूल्यांकन हेतु –सूचनाओं व पंजिकाओं को व्यवस्थित रहने के लिये	ब्लाक स्तर	10 या 15 दिन आवासीय	ठण्त्ण्ब्ण्	ब्लाक स्तर जनपद स्तर अधिकारियों द्वारा
6	कार्यशाला/प्रशिक्षण पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण	–किये जा रहे कार्यो पर चर्चा –आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श समस्याओं का निवारण –आगामी योजना	ब्लाक स्तर आवासीय	छः माह के अन्तराल पर तीन दिवसीय	ठण्त्ण्ब्ण् ।ण्ठण्वैण्।ण्	क्प्म्ज् क्प्म्ज् –

कला जत्था :—

नुक्कड़ नाटकों प्रदर्शन हेतु प्रत्येक ब्लाक में एक टीम बनायी जायेगी जिसमें 12 व्यक्ति होगें व जनपद की टीम में ब्लाक वार संख्या होगी प्रत्येक ब्लाक से 02 व्यक्ति व नगर क्षेत्रा से 02 व्यक्ति इसी प्रकार गोण्डा की जनपदीय अधिकारी 02 होगें ;ब्ण्क्ध्क्ण्ब्ण्द्ध

विस्तृत विवरण

क0 सं0	ब्लाक टीम / नगर टीम	जिला टीम	मास्टर ट्रेनर	अनुश्रवणकर्ता टीम	विवरण
1	12 व्यक्ति 12ग17त्र204 240 व्यक्ति कला जत्था कलाकार –छण्ळण्व्ण् से –बनी हुई टीमो से – अध्यापक	16 ;प्रत्येक ब्लाकद्ध 01;नगर क्षेत्राद्ध 02 ;क्ण्ब्ण्द्ध 19 व्यक्ति	1 प्रत्येक ब्लाक से 1ग16त्र16 1 नगर से 17 व्यक्ति	16 ण्क्ण्प्ण् 01 नगर शि0 अधीक्षक 02 क्ण्ब्ण् 01 ठण्ैण्।ण् 20 व्यक्ति	ब्लाक में 1–1 टीम कुल 16 टीम नगर में 1 टीम कलाकारों की जो प्रचार–प्रसार जन जागृति लाने का कार्य करेगी ।

कार्य योजना

क0 सं0	कार्यक्रम / गतिविधि	उद्देश्य	समयावधि	स्तर	जिम्मेदार व्यक्ति / संस्था	अनुश्रवण
1	मास्टर ट्रेनर चयन	प्रत्येक ब्लाक से 01 व्यक्ति चयनित जो गति संगीत में रूचि रखे ।	1 दिवस	ब्लाक स्तर	B.R.C. A.B.S.A	
2	मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण	जनपद के कलाकारो को प्रशिक्षित करने से पूर्व प्रशिक्षण	10 दिवसीय	राज्य स्तर	S.P.O	
3	ब्लाक स्तरीय कार्यशाला	नुक्कड़ नाटक के लिये ब्लाक से 12 व्यक्तियों का चयन	1 दिवस	ब्लाक स्तर	A.B.S.A. B.R.C.	D.C/kA.B.S.A. B.S.A. /kizkpk;Z
4	कलाकारों को प्रशिक्षण	नुक्कड़ नाटक की टीम को प्रशिक्षण देन –नाटक प्रर्शित कैसे करे चर्चा –कैसे, क्यो –कब	8 दिवस	तहसील स्तर	DIET D.P.O.	D.C.A.B.S.A
5	कार्यशाला कार्यक्रम प्रदर्शन से पूर्व	मास्टर ट्रेनर कलाकार N.P.R.C.B.R.C. के मध्यकार्य कम प्रस्तुत किये जाने वाले गॉव का सिथतियों पर	1 दिवस	ब्लाक स्तर	B.R.C.	D.C./kA.B.S.A
6	कार्यक्रम का प्रदर्शन	चर्चा विचार विमर्श	कार्यक्रम के अनुसार	दो गॉव	N.P.R.C.	D.C./k A.B.S.A.

ब्रिज कोर्स

प्रतिभागी – 9 की बालिकाएं (किशोरी बालिकांए)

समयावधि – 90 दिन

चरण – 6 चरण

प्रथम चरण	–10दिन
द्वितीय चरण	–10 दिन
तृतीय चरण	–15 दिन
चतुर्थ चरण	–15 दिन
पंचम चरण	–20 दिन
षष्ठम चरण	–20 दिन
स्थनीय जरूयत के अनुसार	

कोर्स संचालन समयावधि –

गतिविधि–

–घ्यान केन्द्रीत करने हेतु

–जागरूकता सम्बन्धी

–शिक्षण की प्रति रूझान सम्बन्धी

–भाषा, गणित व अन्य विषयों सम्बन्धी गतिविधियां

–खेल,गति,कविता के माघ्यम से शिक्षक दूर करना व नेतृत्व करने की क्षमता और संगठन बनाकर कार्य करने हेतु प्रेरित करना ।

विषय :–

1 भाषा
2 गणित
3 स्वास्थ्य, विज्ञान का परिवेश
4 कानून, सामाजिक जानकारी
5 कला कौशल व साज सज्जा ।

लक्ष्य/उद्देश्य :–

1 शिक्षा के प्रति रूझान पैदा करना व पढ़ने–लिखने की आदतों का विकास करना ।

2 स्थानीय व आम जीवन से जोड़ते हुए शिक्षा की मुख्य धारा में पाठ्यक्रमो को समाहित करना ।

3 महिला स्वास्थ्य व कानून की विशेष जानकारी देना ।

4 आत्म निर्भर बनाने हेतु कला कौशल की क्षमता विकसित करना ।

5 हिसाब किताब से पत्रा लिखने तक पहुचाना ।

ब्रिज कोर्स को संचालित करने की प्रक्रिया :–

1 शिविर की वे बालिकायें जो कक्षा के स्तर से अधिक आयु की हैं उन्हें सम्मिलित करना ।

2 कहीं न पढ़ने वाली 9 वय वर्ग की बालिकाओं को सम्मिलित करना ।

3 कोर्स संचालित करने के पूर्व एम0टी0ए0/डब्लू0एम0जी0 के साथ बैठक करना।

4 महिला अभिप्रेरक समूह की जागरूक व शिक्षित महिला को कोर्स में पढ़ाने हेतु जोड़ना व उनके लिए मानदेय की व्यवस्था कर कोर्स संचालन के पूर्व प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

5 कोर्स के एक चरण की समाप्ति के बाद प्रतिभागियों का गृह कार्य दिया जाएगा व गृह कार्य का पफालोअप की किया जाएगा । अवकाश के समय उक्त कार्यो को भी वही करेंगी जो कोर्स चलायेगी ।

6 प्रत्येक चरण का मूल्याकंन प्रपत्रा व पफालोअप माड्यूल निर्धारित रहेगा ।

7 कोर्स गैर आवासीय रहेगा । प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से सांय 4 बजे तक चलाया जाएगा ।

8 कोर्स को एन0पी0आर0सी0 पर चलाया जाएगा । तथा समुदाय से सहयोग भी किया जाएगा । एम0टी0ए0, पी0टी0ए0, वी0ई0सी0 डब्लू एम0 जी0 (WMG)।

9 कोर्स संचालन के समय न्याय पंचायत प्रभारी, ब्लाक समन्वयक व जिला समन्वयक अवलोकन व सहयोग प्रदान करेगें ।

10 कोर्स संचालित किये जाने वाले स्थल के प्रतिभागियों की सूची पूर्व में ही ले ली जायेगी । सत्यापन पश्चात कोर्स संचालित होगा ।

11 कोर्स प्रारम्भ से पूर्व उपलब्ध सूची के प्रतिभागियों केसाथ कार्यशाला दो दिवसीय आयोजित की जाएगी ।

– बालिकाओं से सम्पर्क व उनकी वर्तमान स्थिति को समझने हेतु ।

– डब्लू0 एम0 जी0 की महिलाओं की कार्यकुशलता का आंकलन करने हेतु

– बालिकाओं को शैक्षिक स्तर के अनुसार समूहों में विभाजित करना ।

– कार्य के माध्यम से कोर्स की जानकारी देना व कोर्स की समयावधि निर्धारित करना ;कोर्स चलो व अवकाश के समय के सम्बन्ध ।

बालिका शिक्षा के नये आयाम

– समुदाय केनिकट ही शिक्षण व्यवस्था
– महिला समुदाय की भागीदारी बढ़ायी जायेगी ।
– मातृ सम्मेलनों आदि का आयोजन किया जायेगा

- बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण प(ति की रचना करके प्रासंगिक पाठ्यक्रमों को तैयार करके उन्हे शिक्षा प्रदान की जाएगी ।
- सामाजिक चेतना को बढ़ाया
- बहुश्रेणी शिक्षण का समर्थन
- लचीली समय तालिका तैयार की जायेगी

स्थानीय समुदाय से ;एम0टी0ए0 व डब्लू एम0 जी0 द्ध शिक्षिकायें ली जायेगी । स्थानीय प्रबन्ध तंत्रा द्वारा समुदाय को भी दायित्व दिया जायेगा ।

ब्रिज कोर्स की व्यवस्थायें

प्रतिभागी सं0	–	30 से 40 तक 9 की बालिकायें
संचालन स्थल	–	एन0 पी0 आर0 सी0
अध्यापन कार्य प्रतिकोर्सद्ध	–	डब्लू0 एम0 जी0 की शिक्षित महिला ;02 महिला
मानदेय	–	रू0 50 प्रति शिक्षिका ;कोर्स संचालिका 50ग2ग90
स्टेशनरी में वितरित	–	03 कापी, 01 पेंसिल,01 रबर, 01 कटर प्रत्येक चरण
जलपान व्यवस्था	–	20/– प्रतिभागी
आकस्मिक ;दरी, पफोटोग्रापफीद्ध	–	

ब्रिज कोर्स की जिम्मेदारी

- सत्रा संचालन व मूल्यांकन ;प्रतिभागी /सत्रा संचालक व न्याय पंचायत प्रभारीद्ध
- वित्तीय व्यवस्थाओं का प्रबन्धन ब्लाक समन्वयक
- कोर्स की प्रतिभागियों को लक्ष्य तक पहुंचाने व शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की जिम्मेदारी न्याय पंचायत प्रभारी ब्लाक समन्वयक
- कोर्स का अनुश्रवण/मूल्यांकन जिला समन्वयक व शिक्षा विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी

उद्देश्य –

घ्यान केन्द्रीत करना
याद करने की क्षमता का विकास करना
प्रोत्साहित करने वाला वातावरण प्रदान करन

अध्याय–8

ठहराव

विद्यालय सुविधायें :

जनपद के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विद्यालय भवन के रखरखव हेतु 5000/– प्रतिवर्ष अनुदान किया जायेगा। इस अनुदान का उपयोग विद्यालय भवन की पुताई, रंगाई उसे फर्श, प्लास्टर, खिड़कियों, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज आदि की सामान्य मरम्मत हेतु दिया जायेगा। इस हेतु जनपद के 16.06 प्राथमिक विद्यालयों हेतु तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह प्रावधान रखा जायेगा।

प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वच्चो की शैक्षणिक गतिविधियों हेतु सामग्री क्रय (टाट पट्टी, खेलकूद के सामान, चाक आदि) हेतु रू० 2000/– प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय की दर से प्रतिवर्ष दिया जायेगा।

आगामी वर्षों में जनपद में खोले जाने वाले अन्य प्राथमिक एवं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु भी उक्त प्रावधान रखा जायेगा।

पुनः निर्माण (जर्जर विद्यालय) (ध्वस्त):

जनपद में कुल 33 जर्जर/ध्वस्त विद्यालय है इनका पुनः निर्माण कराया जायेगा। प्राथमिक विद्यालय हेतु रू० 1 लाख, 91 हजार की दर से निर्माण कराया जायेगा। (सूची उपलब्ध 6 में लगी है)

अतिरिक्त कक्ष : . . . . . .

वर्तमान समय में जनपद में कुल 1606 प्राथमिक विद्यालय है एवं 334 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इनमें से 200 प्राथमिक विद्यालयों में एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता हैं। इसके अतिरिक्त आगामी वर्षों में छात्र वृद्धि के अनुसार 200 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का सृजन किया गया है।

शौचालय :

जनपद में उच्च प्राथमिक में 80 एवं प्राथमिक विद्यालयों में 528 शौचालय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी जिससे जनपद के सभी विद्यालयों में शौचालय सुविधा हो जायेगी।

पेयजल :

जनपद के सभी परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्रा०वि० पेयजल की सुविधा है।

मरम्मत :

जनपद में कुल 1606 प्राथमिक विद्यालय 334 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु में रू० 5 हजार प्रति विद्यालय की दर से धन प्रतिवर्ष आवंटित किया गया है।

चहारदीवारी :

चाहरदीवारी हेतु योजना में कोई प्रस्तावित नहीं हैं

बालिका शिक्षा :

भारतीय संविधान के नीति तत्वों में 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क भेदभाव रहित शिक्षा व्यवस्था की बात कही गयी है। क्योंकि बिना शिक्षा के किसी भी राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं हैं। इसके लिए विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान देना होगा जनपद में अभी भी पुरूषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 46.5 एवं 27.2 है। इससे स्पष्ट है कि गोण्डा में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अल्प संख्यक वर्ग की बालिकाओं की ओर अधिक ध्यान देना होगा। अतः बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने हेतु उनकी पहुँच एवं ठहराव में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने को प्राथमिकता दी जायेगी।

जनपद गोण्डा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू होने से बालिकाओ के नामांकन में सुधार आया है। वष्र 2000-2001 में इनका GER व NER क्रमशः एवं है।

बालिकाओ की शिक्षा में आने वाली कठिनाइया

बालिकाओ के कम नामांकन एवं ठहराव का मुख्य कारण उनका पारिवारिक, सामाजिक परिवेश है। आर्थिक बाध्यता व समाज में प्रचलित अन्धविश्वास सास्कृतिक धारणाये, असुरक्षा की भावना के कारण कम बच्चियां विद्यालय पहुँच पाती है। जबकि वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय न्यूनतम दूरी पर उपलब्ध है। लेकिन विद्यालय का परिवेश व शैक्षिक व्यवस्था बालिकाओ के लिए अनाकर्षक है। इसका कारण महिला शिक्षिकाओ का अभाव, तथा कताई, बुनाई, जैसे क्रिया कलापो का अभाव है। जिससे बालिकाओ की रूचि व आवश्यकता की पूर्ति विद्यालय में नही हो पाती जिससे विद्यालय सजाने वाली बालिकाये भी बीच सत्र में ही विद्यालय छोड़ देती है। इसको दूर करने के लिए निम्न विन्दुओ पर कार्य किया जायेगा।

1. जागरूकता अभियान के द्वारा बालिकाओ के शिक्षा के महत्व के प्रति वातावरण बनाया जायेगा।
2. जेण्डर समानता सम्बन्धी प्रशिक्षण आयोजित करना।
3. बालिका शिक्षा के महत्व को रेखाकित करने वाली सामग्री विकसित करना।
4. शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।
5. माता-शिक्षक संघ, किशोरी समूह, महिला स्वयं सेवी समूहो का गठन जो बालिकाओ के नामांकन व ठहराव में सहयोग प्रदान कर सके।
6. प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओ की कार्यनुभवी आवश्यकताओ की पूर्ति करना जिससे उनका ठहराव व रूचि बनी रहे।
7. स्थानीय मेलो, त्योहारो के समय जागरूकता अभियान।

कार्यक्रमः- सामुदायिक गतिशीलता के लिए

मीना कैम्पेन :-

प्रत्येक ग्राम सभा में यूनीसेफ द्वारा विकसित मीना फिल्म का प्रदर्शन उस पर चर्चा कराना जिससे बालिकाओ की शिक्षा के महत्व के प्रति समुदाय जागृत हो।

मॉ बेटी मेला

प्रत्येक विद्यालय में माताओ व उनकी बेटियो को एक साथ बैठाकर सामूहिक रूप से उनकी समस्याओ पर विचार करना एवं निराकरण के उपाय ढूढना।

महिला समूहो का गठन

गांव की जागरूक महिलाओ के समूह का गठन जो अपने क्षेत्र की महिलाओ को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक बनायेगा तथा उनकी आवश्यकताओ के प्रति विद्यालय को अवगत कराना। उस कार्यक्रम में महिला मंडल, महिला जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न संगठनो का सहयोग किया जायेगा।

बालिकाओ के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र

जो बालिकाये किन्ही कारणो से विद्यालय न जा सके उनके लिए उनकी रूचि आवश्यकता के अनुरूप वैकल्पिक बालिका शिक्षा केन्द्रो की स्थापना। इस संबंध में वैकाल्पिक केन्द्रों का विवरण अध्याय 7 में दिया गया है।

ग्राम शिक्षा समिति

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो को जेण्डर सवेदीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे वे अपने क्षेत्र में जागरूकता ला सके। उन पर सभी बालिकाओ के अनिवार्य नामांकन की जिम्मेदारी दी जायेगी। जन पद में कुल 1054 ग्राम शिक्षा समितिया गठति है

ब्रिजकोर्स व ग्रीष्मकालीन शिविर

ड्राप आउट बालिकाओ के लिए ब्रिजकोर्स व ग्रीष्मकालीन शिविर चलाकर उन्हे पुन: विद्यालय से जोड़ा जायेगा। ब्रिजकोर्स उन बालिकाओ के लिए 4-6 चरणो में होगा जो विद्यालय कभी नही गयी। इसका चरण वद्ध कार्यक्रम की सूची अध्याय 7 में मुद्रिति है।

शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना

प्रत्येक विद्यालय में शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना करना जिससे उन बालिकाओ को विद्यालय से जोड़ा जा सके जिनके मॉ-बाप काम पर जाते है तथा छोटे बच्चो की जिम्मेदारी बालिकाओ पर आ जाती है। इसके लिए बाल विकास विभाग से मदद ली जा सकती है.

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढ़ीकृत एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज समितियों का सहयोग लिया जायेगा।

जनपद में शिशु केन्द्रों की स्थापना वर्षवार

सारणी-८.३

क्रमांक	वर्ष	चयनित शिशु केन्द्र	
		नवीन	कुल
1.	2001–2002	—	—
2.	2002–2003	100	100
3.	2003–2004	—	100
4.	2004–2005	—	100
5.	2005–2006	—	100
6.	2006–2007	—	100
7.	2007–2008	—	100
8.	2008–2009	—	100
9.	2009–2010	—	100

स्रोत – विभागीय आंकड़े एवं कार्य योजना

व्यवहारिक दक्षता का विकास :

प्रत्येक विद्यालय में एक अंशकालिक महिला कार्यकर्ता रखी जायेगी जो प्रतिदिन कुछ घण्टे बालिकाओं की व्यवहारिक कार्यदक्षता (सिलाई, बुनाई, पाककला) सम्बन्धी कार्य करेगी। उसको इस कार्य के लिए प्रतिमाह निश्चित मानदेय प्रदान किया जायेगा। वह कार्यकर्ता स्थानीय निश्चित महिला समूहों की देखरेख में कार्य करेगी।

प्रोत्साहन :

प्रत्येक वर्ष शतप्रतिशत नामांकन एवं प्रत्येक विकास खण्ड में सर्वाधिक ठहराव प्राप्त करने वाले विद्यालयों को प्रोत्साहन पुरस्कार की व्यवस्था होगी।

बालिका नामांकन Cohort Study हेतु समय–समय पर कराई जायेगी। 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम की जनसंख्या 2204415 है राष्ट्रीय दर के अनुसार विकलांगता राष्ट्रीय दर के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या 14284 है जिसमें 7706 बालक तथा 6578 बालिका अनुमानित है। इस प्रकार 2003 में अनुमानित

रू० 4115 है जिसमें 9394 बालक तथा 8020 बालिका है। इस प्रकार विकलांगता की कोटि निम्न प्रकार है।

क्रम		बालक	बालिका	योग
1.	दृष्टि विकलांगता	195	99	294
2.	श्रवण विकलांगता	224	126	350
3.	मनसिक मन्दता	396	225	621
4.	अधिगम मन्दता	210	141	351
5.	आभित विकार	1091	622	1713
6.	बोलना	303	173	476
7.	अन्य	194	116	310
	योग	**2613**	**1502**	**4115**

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में हीन भावना बढ़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप वह समाज से उपेक्षित होने लगता है इस कमी की दूर करने के लिए सामाजिक चेतना तथा निर्भरता हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता है इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए जनपद के विकलांग पुर्नवास केन्द्रों से निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है शारीरिक तथा मानसिक दोष को दूर करने हेतु जिला चिकित्सालय से योजना बद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करके ऐसे बच्चों की स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है जो उनके परीक्षण कार्ड में उल्लेखित है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्वास्थ्य के विभिन्न एजेन्सियों को सन्दर्भ कर लिदया गया है तथा भविष्य में इस पर विशेष ध्यान दे करके इस कमी को दूर किया जायेगा।

विशेष वर्ग की समेकित शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो की पहचान की जाय तथा उन्हे विद्यालय लाने का प्रयास किया जाय। प्रत्येक विद्यालय में भी ऐसे बच्चे मिलते है जो किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। ऐसे बच्चो के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। क्योकि ध्यान न देने के कारण वे कई क्षेत्रो में पीछे रह जाते है। विकलांगता/अक्षमता मुख्यता निम्न 5 प्रकार की होती है।

1. दृष्टि सम्बन्धी अक्षमता
2. श्रवण सम्बन्धी विकलांगता
3. अस्थि सम्बन्धी विकलांगता
4. मानसिक मन्दता
5. अधिगम अक्षमता

वर्तमान में जनपद में 4115 चिन्हित विकलांग बच्चो की पहचान की जा चुकी है। ऐसे बच्चो के बारे में समाज एवं विद्यालय में जागरूकताकी आवश्यकता है जिससे ये बच्चे बिना किसी हीनभावना से ग्रसित हुए बिना सामान्य बच्चो के साथ ग्रहण कर सके। इसके लिए निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। सरणी एवं Writi up

A. प्रशिक्षण :-

जनपद के समस्त अध्यापको को इसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रथम वर्ष 15 दिनो का तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष 4 दिनो का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि आवश्यकतानुसार घटाया या बढाया जा सकता है।

B. सर्वेक्षण :-

प्रशिक्षण के पश्चात समस्त विद्यालयों में एवं विद्यालय द्वारा सेवित क्षेत्र में उक्त बच्चो की पहचान हेतु सर्वे किया जायेगा सर्वे द्वारा सभी श्रेणियो के बच्चो का चिन्ही करण किया जायेगा।

C. स्वास्थ्य परीक्षण/चिकित्सीय परीक्षण :-

समस्त बच्चो के स्वास्थ परीक्षण के साथ-साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो की चिकित्सीय जॉच करायी जायेगी। जिसमें उनके कृत्रिम अंगो एवं उपकरणो की आवश्यकता का निर्धारण एवं विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत कराया जायेगा।

D. छात्रवृति निर्धारण :-

चिकित्सीय परीक्षण के समय ही उनका छात्रवृति निर्धारण पपत्र (विकलांग कल्याण अधिकारी) भरवाकर सम्बन्धित अधिकारी को बुलाकर स्वीकृत कराया जायेगा।

E. जनजागरण एवं सामुदायिक सहभागता :-

ग्राम सभा स्तर पर गठित एम टी.ए./PTA/VEC/WMG/Core Team में विशेष आवश्यकता वाले बच्चो के अभिभावको को सदस्य बनाया जाना तथा उनकी दो दिवसीय विजनिग वर्कशाप कराना तथा उनके माध्यम से विद्यालय न आने वाले बच्चो का नामांकित कराया जायेगा।

F. कोर टीम का गठन :-

न्यायपंचायत स्तर पर एक कोर टीम गठित की जायेगी जो न्यायपंचायत स्तर पर विकलांग बच्चो की विशेष आवश्यकताओ का निर्धारण एवं पूर्ति की जायेगी। इस टीम का भी विजनिग प्रशिक्षण कराया जायेगा। इस टीम में विकलांग बच्चो के जागरूक आभिभावक शामिल होगा।

G. ब्लाक स्तर पर कोर टीम :-

ब्लाक स्तर पर सभी प्रकार के विकलांगताओ हेतु एक-एक विशेषज्ञो की ब्लाक कोर टीम गठित होगी जो विशिष्ट बच्चो की शिक्षा में आने वाली कठिनाइयो को दूर करेगी। इनका मानदेय परियोजना से वहन किया जायेगा।

H. शैक्षणिक सामग्री का विकास :-

विशिष्ट बच्चो की सफलता मूलक घटनाओ का संग्रह एवं प्रकाशन किया जायेगा। राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त सामग्री का वितरण एवं प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा। स्थानीय स्तर पर जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से साहित्य प्रकाशित किए जायेगे।

I. स्वयं सेवी संगठनो एवं अन्य विभागो से सहयोग :-

स्वयं सेवी संगठनो एवं जिला विकलांग कल्याण अधिकारी की मदद से उन्हे कृत्रिम अंगो का वितरण कराया जायेगा।

J. ब्रिजकोर्स :-

विद्यालय न जाने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चो (6-14 वर्ष) हेतु विभिन्न स्तरो का 15-15 दिन का क्रमश: ब्रिजकोर्स आयोजित किया जायेगा। इस हेतु राज्य स्तर पर अथवा जनपद स्तर पर ब्लाक स्तरीय विशेषज्ञो की मदद से माडयूल बनाया जायेगा। ब्रिजकोर्स के माध्यम से निर्धारित व्यय वर्ग के बच्चो को विभिन्न कक्षाओ में नामांकित कराकर मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

K. खेल कूद प्रतियोगिताओ का आयोजन :-

विकलांग बच्चो की न्याय पंचायत, विकास खण्ड व जनपद स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओ का आयोजन कराया जायेगा। शारीरिक विकास से संबधी खेल नियमित रूप से आयोजित कराये जायेगे।

6. कोहर्ट स्टडी :-

कोहर्ट स्टडी के माध्यम से पिछले पांच वर्षो के शाला त्याग की दर का अध्ययन किया जायेगा। तथा ऐसे परिवारो को चिन्हित किया जायेगा जिनके बच्चो ने पिछले पांच वर्षो में विद्यालय छोड़ा है। इन बच्चो को विद्यालय में लाने के विशेष प्रयास किये जायेगे।

7. ग्रीष्म कालीन शिविर :-

कोहर्ट स्टडी के आधार पर ड्राप आऊट बच्चो हेतु ग्रीष्मावकाश में विशैष शिविर आयोजित होगे। शिविर के पश्चात उनका पुन: नामांकन विद्यालय में कराया जायेगा।

8. कला जत्था अभियान :-

कला जत्था के माध्यम से नुक्कड़ नाटक पिछड़े क्षेत्रो में कराया जायेगा तथा महिलाओ में जनजागरण लाकर उनका पुन: नामांकन कराया जायेगा।

9. शिक्षको का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :-

यह प्रशिक्षण मुख्यतया बच्चो/बालिकाओ के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणो तथा उनके उपायो पर चर्चा व अभ्यास पर आधारित होगा।

अल्प संख्यक वर्ग व अनूसूचित-जाति की बालिका के अलग कर एवं ब्लाक में शोध कर समस्या वर्गी कृत करना व हल करना।

बालिकाओ के ठहराव हेतु कार्य विन्दु

1. माता शिक्षक संघ का गठन एवं प्रशिक्षण :-

प्रत्येक विद्यालय के 10-12 महिलाओ एवं वहां के अध्यापको का एक समूह बनाकर उनके कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जायेगा। विद्यालय में बच्चो की उपस्थिति विशेष रूप से बालिकाओ की उपस्थिति सुनिश्चित करेगे।

2. ठहराव परिक्रमा व तारांकन :-

प्रत्येक सप्ताह शनिवार की सायं विद्यालय स्तर पर ठहराव परिक्रमा रैली निकाली जायेगी। जिन बच्चो की उपस्थित कम रहती है उनके घर के सामने खड़े होकर उन बच्चो के अभिभावको पर दबाव बनाया जायेगा।

3. तारांकन :-

उपस्थिति के प्रति बच्चो एवं अभिभावको को सचेत करने के लिए प्रतिमाह बच्चो को उनकी उपस्थिति के आधार पर तारांकन किया जायेगा।

0-06 दिन	-	लाल निशान
7-14 दिन	-	पीला निशान
15 या उससे अधिक	-	हरा निशान

यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर अंकित कर कक्षा में लगाया जायेगा।

4. बाल सरकार का गठन/बालसभा का अयोजन/पुरूस्कार

बड़े एवं सक्रिय बच्चो को मिलाकर एक टीम गठित की जायेगी जो छोटे बच्चो की उपस्थित पर नजर रखेगी एवं विद्यालय कार्यो में अध्यापक को मदद देगी।

5. सत्रान्त सम्मेलन/ मॉ बेटी मेला :-

प्रत्येक सत्र के अन्त में अभिभावको व बच्चो का सम्मेलन किया जायेगा। जिसमें Result Cord का वितरण होगा। ऐसे अभिभावको को सम्मानित किया जायेगा जिनके बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आते रहे थे।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। विशेष रूप से बच्चो के नामांकन व ठहराव के लिए स्थानीय व्यक्तियों/अभिभावको/जागरूक नागरिको का सहयोग अपेक्षित है। शिक्षा के विकेन्द्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगर क्षेत्र में वार्डवार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी है। तथा उनका प्रशिक्षण भी कराया जा चुका है। पुन: निम्न कार्यक्रम किया जायेगा।

1. वातावरण सृजन

जनपद के पिछड़े विशेषकर माझा क्षेत्रो में जहॉ पर शिक्षा का स्तर सबसे कम है वहां पर सक्रिय भागी दारी हेतु स्थानीय व्यक्तियों निर्वाचित प्रतिनिधियों, संस्थाओ से सर्म्पक किया जायेगा तथा विद्यालय विकास हेतु सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

2. ग्राम शिक्षा समितियों/नगर शिक्षा समितियो का प्रशिक्षण

ग्राम शिक्षा समितियो एवं नगर शिक्षा समितियो के कार्य एवं उत्तरदायित्व सम्बन्धी एक दिवसीय पुर्नवाधात्मक प्रशिक्षण प्रतिवर्ष दिया जायेगा।

3. कम्प्यूटर शिक्षा

यदि स्थानीय स्तर पर कोई संस्था क्रियाशील है तो उसके माध्यम से कुछ विद्यालयो में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। नही तो BRC स्तर पर एक कम्प्यूटर कक्ष बनाकर चक्रीय क्रम से प्रत्येक विद्यालय के बच्चो को सामान्य शिक्षा प्रदान की जायेगी इस कार्य में स्थानीय शिक्षित व्यक्तियो का सहयोग लिया जायेगा।

4. सूक्ष्म नियोजन/मानचित्रण

विद्यालय की आवश्यकताओ के निर्धारण एवं उपलब्ध संसाधनो के बेहतर उपयोग हेतु स्थानीय समुदाय की मदद से प्रत्येक 5 वर्ष पर सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा विद्यालय मानचित्रण कराया जायेगा। संसाधनो (जैसे भूमि, सफाई, आदि) हेतु समुदाय का सहयोग लिया जायेगा।

5. विद्यालय सौन्दर्यीकरण

विद्यालय के आकर्षक परिवेश हेतु प्रॉगण में वृक्षारोपण, फूलो की क्यारिया आदि लगाये जायेगी। इसमे स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त किया जायेगा विशेष रूप से उनकी सुरक्षा हेतु।

6. <u>साज सज्जा मे सहयोग</u>

विद्यालय में टाट पट्टी, श्यामपट्ट शैक्षिक सामग्री/गणवेश आदि हेतु स्थानीय समुदाय की मदद ली जायेगी। प्रतिभावान छात्रो के पुरस्कार की व्यवस्था समुदाय की मदद से की जायेगी विशेष रूप से बच्चो की सफाई एवं गणवेश में सहयोग लिया जायेगा।

7. विद्यालय प्रॉगण को समतल करने, मिट्टी भराव आदि में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी

8. राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य विद्यालयो उत्सवो में समुदाय को आमंत्रित किया जायेगा। सम्मानित व्यक्तियो द्वारा बच्चो को पुरस्कार दिलाया जायेगा।

9. <u>अध्यापन कार्य में सहयोग</u>

स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवी पढे लिखे व्यक्तियो की पहचान की जायेगी जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे शिक्षण कार्य में सहयोग दे सके।

10. विद्यालय पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में उनका सहयोग लिया जायेगा विशेष रूप से MTA/PTA व VEC सदस्यो से सहयोग लिया जा सकता है।

11. <u>स्वंयसेवी संगठनो से सहयोग</u>

स्थानीय स्तर पर समुदाय में जन जागरण हेतु स्वयंसेवी संगठनो जैसे नेहरू युवा केन्द्र आदि का सहयोग लिया जायेगा।

सारणी-8

विद्यालय अनुदान का विवरण : रूप्या 2000 प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय की दर से

क्रं० सं०	विद्यालय स्तर	वर्ष 2002–03			2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
		परि०	सह०	योग	परि०	सह०	योग	परि०	सह०	योग	परि०	सह०	योग	परि०	सह०	योग
1.	प्रा० स्तर	—	—	—	1606	11	1617	1606	11	1617	1606	11	1617	1606	11	1617
2.	उ०प्रा. स्तर	206	—	206	274	72	346	334	72	406	334	72	406	334	72	406

अध्यापक अनुदान का विवरण : रूप्या 500 प्रति अध्यापक प्रति वर्ष की दर से

क्रं० सं०	विद्यालय स्तर	वर्ष 2002–03			2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
		परि०	सह०	योग	परि०	सह०	योग	परि०	सह०	योग	परि०	सह०	योग	परि०	सह०	योग
1.	प्रा० स्तर	—	—	—	4365	33	4398	8125	33	8158	8931	33	8964	9231	33	9264
2.	उ०प्रा. स्तर	—	—	—	1051	360	1411	1051	360	1411	1051	360	1411	1051	360	1411

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक परिषदीय/सहायता प्राप्त विद्यालय विवरण :

क्रं० सं०	विद्यालय स्तर	वर्ष 2002–03			2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
		परि०	सह०	योग	परि०	सह०	योग	परि०	सह०	योग	परि०	सह०	योग	परि०	सह०	योग
1.	प्रा० स्तर	—	—	—	173242	1232	174474	242848	1478	244326	247904	1800	249704	252932	2175	255107
2.	उ०प्रा. स्तर	—	—	—	23244	8068	31312	89036	10329	99365	91181	10380	101561	92785	10500	103285

अध्याय -9

गुणवत्ता सम्बर्द्धन

भारतीय संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत 6-14 वर्ष तक के भी बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की गयी है परन्तु देखा गया है कि अपनी मूलभूत अनेक कमियों के कारण यह व्यवस्था आज तक फली भूत नही हो पायी , उक्त अभीष्ट की प्राप्ति के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत उ0प्र0 में हुई। द्वितीय चरण में जनपद गोण्डा को शामिल किया गया। जनपद में स्थापित जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान, दर्जी कुआं के शैक्षिक निर्देशन में उक्त कार्यक्रम 1998 से संचालित हो रहा है। जिला स्तर पर नियोजन व पर्यवेक्षण के लिए जिला परियोजना कार्यालय , ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत स्तर पर न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित हुए जो शत प्रतिशत नामांकन विद्यालयों में छात्र उपस्थिति , विद्यालयों की भौतिक दशा में सुधारें आदि का प्रयास कर रहे है । ब्लाक और न्याय पंचायत समन्वयको के लिए डायट द्वारा 5 दिवसीय और 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एवं अन्य अनेक कार्यशालाएँ चलायी गयी ।

ब्लाक और न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों का पर्यवेक्षण करते हुए उनके शैक्षिक स्तर में सुधार के प्रयास किये गये । उपलब्धियों को आधार मानकर विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण (अ,ब,स,द) किया गया । यह प्रक्रिया प्रति मास और प्रति वर्ष अद्यतन जारी हैं । निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में लाने हेतु प्रेरणात्मक प्रयास भी किये गये । एन.पी.आर.सी. और सी. आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन किया गया , जिन्हे अब मासिक कार्यशाला का रूप दिया जा रहा है। अत: बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।

डायट द्वारा जनपद में समस्त प्रा0 शिक्षकों को , शिक्षण एवम् भाषा, गणित आदि विषयों में दक्षता बृद्धि हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया गया । शिक्षकोदय (अभिप्रेरण) रूप में प्रथम चक्र में शिक्षक/ शिक्षिकाओं को प्रेरित कर उनकी आत्म छवि सुधारने के क्रम में उन्हे उपने नूतन दायित्वों /मूल कर्तब्यों के प्रति संवेदनशील बनाया गया । जनपद के सभी प्राथमिक शिक्षक जागृत हुए।

द्वितीय चक्र में 'सबल' नाम से शिक्षकों को बल प्रदान करने वाला प्रशिक्षण डायट की देखरेख में ब्लाक स्तरों पर 16 केन्द्रों में चलाया गया । जिसमें सभी प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षक कैसे हो?छात्र क्या है? भाषा शिक्षण कैसे प्रभावशाली बनाया जाय? गणित को सुगम कैसे बनाया जाय? पर्यावरण के

प्रति समझ कैसे बढ़ायी जाय? सीखने की कठिनाईयॉ कम कैसे हो? कक्षा विद्यालय का वातावरण रूचि उत्पादक कैसे बनाया जाय? इस अनेकानेक विन्दुओं पर फोकस डाला गया, क्योकि इसरे पूर्व यह बात उभर कर सामने आ चुकी थी कि शिक्षक काम करना भी चाहता है, तो उसके समक्ष उपर्युक्त प्रकार की कठिनाइयॉ सामने आती हैं ।

तृतीय चक्र में **'साधन'** प्रशिक्षण के द्वारा जनपद भर के शिक्षकों को नव विकसित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया, इस प्रशिक्षण में न्याय पचायंत स्तर पर केन्द्र बनाकर शिक्षकों को बहु कक्षा शिक्षण , सतत् व्यापक मूल्यांकन , अधिगम सामग्री निर्माण , समय प्रबन्धन आदि विविध विषयों पर मूल्यवान प्रशिक्षण दिया गया, इस प्रशिक्षण की विशेषता विभिन्न विषयों का वास्तविक कक्षा शिक्षण अभ्यास रहा ।

जनपद गोण्डा के विकास हेतु विद्यालयों तथा शिक्षको के शैक्षिक स्तर को उत्कृष्ट करने हेतु अनेक प्रयास हुए किन्तु अनुभव किया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी काम किये जाने की आवश्यकता हैं -

1. M.T.L.M/T.L.M./ दृश्यश्रव्य सामग्री का समुचित प्रयोग करके कक्षा को प्रभाव शाली बनाना हैं ।
2. नगर क्षेत्र के विद्यालयों सें भौतिक संसाधन बढ़ाना हैं ।
3. अशासकीय कालेजों/स्कूलों में सम्बद्ध कक्षा 1-5 व 6-8 के बच्चें की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास करने होगें ।
4. अशासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त इच्छुक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा ।
5. उच्च प्राथमिक शिक्षकों /विद्यालयों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
6. मकतब/मदरसों के शिक्षकों /बच्चों को गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से जोड़ने हेतु प्रयास करना चाहिए।
7. संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को रूनिपूर्ण व प्रभावी शिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाना / सामान्य प्रशिक्षण से जोड़ा जाना ।

स्कूल पूर्व शिक्षा (E.C.C.E. केन्द्र)

स्कूल पूर्व शिक्षा की महत्ता को समझते हुए जनपद गोण्डा में समेकित बाल विकास कार्यक्रम (I.C.D.S.) से सम्बद्ध 50 केन्द्रों को संचालित करने का लक्ष्य रखा गया । उक्त चयनित केन्द्रों की कार्यशालाओं, N.P.R.C., बी0आर0 सी0 समन्वय का प्रशिक्षण कराया गया जो प्रथम बार 7

दिवसीय, दूसरी बार 3 दिवसीय रहे, जो डायट द्वारा सम्पन्न कराये गये । संचालित केन्द्रों का जिला समन्वयकों आदि द्वारा देखरेख व पर्यवेक्षण होता रहता है । इन केन्द्रों के प्रति ग्राम शिक्षा समितियों को भी जिम्मेदार बनाया गया ।

7 ब्लाकों के प्रत्येक केन्द्र की कार्यकत्रियों कार्यकर्त्ताओं को निश्चित मानदेय के अतिरिक्त रूपये 5000/- सामग्री व्यय व 1500/- आकस्मिक व्यय प्रति केन्द्र प्रदान किया गया। इन केन्द्रों पर 3-6 वयवर्ग के 40-40 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं । अब आवश्यकता इस बात की है कि इन बच्चों का निर्धारित प्रपत्र पर सतत् मूल्यांकन की व्यवस्था हो।

इस सुविधा से शैक्षिक उपलब्धियॉ बढ़ी हैं । विद्यालयों में नामांकन बढ़ा हैं विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या में बृद्वि हुई है । छात्र/छात्राओं का ठहराव बढ़ा है। बालिकाओं की घरेलू जिम्मेदारियॉ घटकर उनका शैक्षिक जुड़ाव हुआ है।

ग्राम शिक्षा समिति

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के रूप में जनसमुदाय सहभागिता की आवश्यकता प्रतीत हुई हैं ।

डायट के नेतृत्व में जनपद के लगभग सभी ग्रामों की ग्राम शिक्षा समितियों को तीन-तीन दिवसों का प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं । प्रशिक्षक हेतु ब्लाक सन्दर्भ समूह, जिला सन्दर्भ समूह का गठन किया गया हैं । जिसकी देख रेख में निम्न विन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया गया है -

1. परम्परागत रूढ़ियों को तोड़कर नवीन स्थापना ।
2. कौशल निर्माण -विकास और अभ्यास कार्य ।
3. सम्प्रेषण का अभ्यास , केन्द्र भ्रमण , ग्राम भ्रमण ।
4. ग्राम तथा समुदाय के अनुभवों का प्रस्तुतीकरण ।
5. रोलप्ले , प्रतिभागिता , समाधानात्मक अभ्यास ।
6. समुदाय में महिला वर्ग की केन्द्रीय स्थिति का मान ।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण का उददेश्य था, समुदाय को यह समझाना कि ग्राम के समस्त बच्चों की शिक्षा तथा विद्यालय संसाधनों में वृद्धि सरकार का दायित्व होते हुए भी समुदाय का अधिकतर दायित्व हैं ।

ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण में ग्राम के शैक्षिक विकास की रूप रेखा / योजना बनायी गयी, स्कूल मानचित्रण , सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय न आने वाले बच्चों (विशेष रूप से लड़कियों) की पहचान आदि की गयी । इसी प्रशिक्षण के आधार पर ग्रामों में विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने की योजनाएँ बनायी गयी । ठहराव को भी ध्यान में रखा गया ।

जनपद में स्कूल न आने वाले बच्चों की संख्या बालिका सवर्ग और अभिवंचित समुदाय से सर्वाधिक है । इनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाकर गुणवत्ता स्तर की प्राप्ति तक के सारी कोशिशें ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से ज्यादा सफल हो सकती है। बालिकाओं द्वारा छोटे भाई-बहनों की देखभाल , गरीब बच्चों द्वारा बकरी चराना और बाल मजदूरी से मुक्त होने के लिए समुदाय की चेतना के लिए अभियान चलाये जाने की आवश्यकता हैं । ग्राम शिक्षा समिति में इस अभियान हेतु ग्राम के शिक्षित और सहयोग की रूचि रखने वाले युवाओं तथा एन.जी.ओ. को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना अपेक्षित है । क्योकि प्राथमिक /पू0मा0 विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवार शिक्षित और जागरूक नही हैं । जिन्हे प्रेरित करना आसान नही हैं , कला जत्था द्वारा नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से समुदाय को जगाना बेहतर होगा । शिक्षकों को शैक्षिक तथा विद्यालयी समस्याओं से उबरने के लिए आवश्यक समाधान सुझाये जाते है इसी तरह ब्लाक /न्याय पंचायत समन्वय के लिए भी समाधानात्मक पर्यवेक्षण /बैठक की व्यवस्था की गयी हैं ।

शैक्षिक समर्थन -सहयोग के लिए डायट मेण्टर , निरीक्षक वर्ग , समन्वयकों को शैक्षिक समर्थन व अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया हैं । विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षणों के दौरान चिन्हित समस्याओं की समाधान अगली मासिक बैठकों में भी दिया जाता है । फिर भी, अभी और भी सहयोग-प्रोत्साहन की आवश्यकता है - जो निम्न तरह से अपेक्षित हैं -

1. शिक्षक दिवस का नियमित प्रायोजन किया जाना ।
2. जनपद स्तर पर प्रत्येक तहसील के आदर्श / सक्रिय शिक्षकों को प्रशस्ति, पुरस्कार ।
3. ब्लाक स्तर पर ब्लाक और न्याय पंचायत के कक्षा व्यवस्था/ सामाग्री उपयोग नामांकन /ठहराव / गुणवत्ता सम्प्राप्ति में अलग-अलग श्रेष्ठतम शिक्षकों को प्रशस्ति पुरस्कार ।
4. जनपद स्तर पर अच्छे प्रशिक्षकों को भी प्रशस्ति , पुरस्कार ।
5. जनपद स्तर पर श्रेष्ठ ब्लाक/ N.P.R.C. समन्वयों को प्रशस्ति पुरस्कार ।
6. पुरस्कृत शिक्षकों को पदोन्नति / प्रोन्नत वेतनमान ।

शिक्षकों को सहयोग-समर्थन की आवश्यकता

बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के लिए और उसके स्तरोन्नयन के लिए तथा कक्षा और विद्यालय की स्थिति में बदलाव लाने के लिए शिक्षकों की क्षमता में अपेक्षित वृद्धि और उनकी कौशलात्मक सामर्थ्य में उभार तथा समुचित सहयोग व प्रोत्साहन अनिवार्य ही हैं । उपयुर्क्त के लिए बहु आयामी योजना बनायी गयी हालाकि इससे पूर्व से एस0ओ0पी0टी0 की योजना चल रही है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है-

- एस0ओ0पी0टी0 शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता आवश्यकताओं से दूर हैं ।
- कक्षा की जटिल प्रक्रियाओं से सीधे सम्बन्ध नही हैं ।
- सभी शिक्षकों के बजाय मात्र कुछ शिक्षक ही प्रशिक्षित किये जाते हैं ।
- ब्लाक, न्याय पंचायत स्तर पर अनुवर्ती कार्यक्रम और कठिनाई निवारण की व्यवस्था नही हैं ।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत समस्त सेवारत शिक्षकों को तीन चक्रों में प्रशिक्षण दिया गया । डायट स्तर पर सन्दर्भ/संसाधन समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। शिक्षकों के ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया गया ।

बी.आर.सी/एन.पी.आर.सी. समन्वयको द्वारा विद्यालयों का शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रतिमाह किया जाता हैं। इन पर्यवेक्षणों के उपरान्त प्राथमिक विद्यालयों की ग्रेडिग भी की गयी जिसका प्रभाव गुणवत्ता सम्बर्द्धन में पड़ने लगा हैं । इन पर्यवेक्षणों / मासिक बैठकों के दौरान इसकी समीक्षा की जाती हैं ।

विद्यालयों की श्रेणीकरण

सारणी-9.

क्रम	विकास खण्ड का नाम	माह सितम्बर					माह अक्टूबर				
		निर्धारित विद्यालय	A	B	C	D	निर्धारित नि0 स0	A	B	C	D
1	झंझरी	5	1	2	2	1	5	2	3	1	-
2	पंडरी कृपाल	5	-	1	3	2	5	-	1	4	-
3	मुजेहना	5	1	1	1	2	5	1	1	2	-
4	इटियाथोक	5	-	1	1	3	5	1	1	3	-
5	हलधरमऊ	5	-	-	3	2	5	-	1	4	-
6	बेलसर	5	1	1	1	2	5	2	-	3	-

7	तरबगंज	5	-	1	1	3	5	1	2	2	-
8	वजीरगंज	5	-	-	3	2	5	1	1	3	-
9	नवाबगंज	5	-	-	2	3	5	1	-	5	-
10	बभनजोत	5	-	-	1	4	5	1	1	3	-
11	छपिया	5	-	-	1	4	5	-	1	4	-
12	परसपुर	5	1	1	2	1	5	1	1	3	-
13	रूपईडीह	5	-	-	1	4	5	-	1	3	-
14	कटराबाजार	5	1	1	1	3	5	1	1	3	-
15	कर्नलगंज	5	-	-	2	3	5	-	1	4	-
16	मनकापुर	5	-	-	2	3	5	-	2	2	1

श्रोत डायट गोण्डा

डायट के ब्लाक मेंन्टर बी.आर.सी. तथा एन0जी0 आर0 सी0 समन्वयकों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों का पर्यवेक्षण किया जाता हैं । भौतिक स्थिति व शैक्षिक कियाओं बच्चों के अधिगम स्तर अर्थात विद्यालय के सम्पूर्ण वातावारण के आधार विद्यालय के श्रेणीकरण की जाती हैं । निम्न श्रेणी वाले विद्यालय को सुधार के लिये प्रेरित किया जाता हैं । जो सुविधाये सपोर्ट आवश्यक होता है, प्रदान किया जाता है जिससे विद्यालय उच्च श्रेणी में आ जाये । सारिणी से स्पष्ट है कि श्रेणी वाले विद्यालय को प्रयास कर के C में लाया गया तथा C वाले को B में व B वाले विद्यालयों को 1 में लाने का प्रयास किया गया हैं । और परिणाम भी सकारात्मक आये । ये प्रयास निरन्तर चलेगें। सभी विद्यालयों का श्रेणी करण किया जायेगा तथा श्रेणी सुधारने का प्रयास किया जायेगा ।

सेवारत शिक्षकों की क्षमता में गुणात्मक अभिवृद्धि हेतु प्रशिक्षण

प्राथमिक स्तर:- सेवारत शिक्षकों के लिए पूर्व में विरल पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी हो जाया करते थे परन्तु डी0पी0ई0पी0 द्वारा समस्त शिक्षकों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता में गुणात्मक अभिवृद्धि के प्रयास किये गये गत तीन वर्षो में तीन चक्रों में प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं । **प्रथम चक्र का प्रशिक्षण डायट में द्वितीय में, द्वितीय चक्र का प्रशिक्षण ब्लाकों से , तृतीय चक्र का प्रशिक्षण ब्लाकों में** आयोजित किया गया ।

प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक चक्र में अलग-अलग टी0ओ0 टी0 चयन कार्याशाला की गयी चयनित प्रशिक्षकों को डायट राज्य सन्दर्भ समूह के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षित किया गया ।

प्रथम चक्र शिक्षक प्रशिक्षण (शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण 10 दिवसीय) के मुख्य विन्दु थे -

- शिक्षको को अभिप्रेरित करना।

- शिक्षकों में बच्चों के प्रति समझ विकसित करना।
- कक्षा का वातावरण आकर्षक बनाना।
- T.L.M. के प्रयोग से पूर्ण अधिगम की प्राप्ति कराना।
- गतिविधि आधारित शिक्षण।
- वंचित वर्ग / बालिकाओं की शिक्षा में कठिनाइयों के प्रति संवेदीकरण ।

द्वितीय चक्र प्रशिक्षण (सबल) 8 दिवसीय प्रदान किया गया , जिसके बिन्दु मुख्यतया थे -

- विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण
- शिक्षकों / छात्रों में दक्षता विकास
- T.L.M. निर्माण व प्रयोग की जानकारी
- विषयवार गतिविधि निर्माण व प्रयोग।
- गणित / पर्यावरण के प्रति समझ विकसित करना।
- भाषा दक्षता का विकास।

तृतीय चक्र शिक्षक प्रशिक्षण (साधन) 8 दिवसीय ब्लाक समन्वयकों के माध्यम से स्तरों पर सम्पन्न हुई जिसमें फोकस विन्दु इस प्रकार हैं -

- पाठ्य पुस्तकों (नवीन) का परिचय
- कक्षा शिक्षण अभ्यास
- बहु कक्षा शिक्षण की तकनीक का विकास व समझ
- बहु उददेशीय शिक्षण सामग्री का निर्माण व विकास
- समय प्रबन्धन
- सतत् व्यापक मूल्यॉकन

पूर्वमाध्यमिक स्तर –पूर्व माध्यमिक स्तर पर डी0पी0ई0पी0 योजना लागू ही नही थी , अत: इन विद्यालयों में शिक्षकों का प्रशिक्षण नही हो सका है। मात्र एस0ओ0पी0टी0 ट्रेनिंग होती हैं । परन्तु यह नितान्त नकाफी है , क्योकि यह मात्र कुछ शिक्षकों को गणित तथा विज्ञान में ही होता हैं इन शिक्षकों के प्रशिक्षणों की नितान्त आवश्यकता है।

जनपद गोण्डा में शिक्षकों की स्थिति शैक्षिक योग्यतानुसार

सारणी–9.

कमांक	शैक्षिक योग्यता	प्रा0 वि0 के शिक्षक	पूर्व0 मा0 के शिक्षक
1	शिक्षकों की कुल संख्या	2713	681
2	हाई स्कूल से कम योग्यता वाले शिक्षक	13	–
3	हाई स्कूल योग्यता वाले शिक्षक	740	–
4	इण्टर मीडिएट	1236	21
5	स्नातक	528	584
6	परास्नातक	196	86
7	अप्रशिक्षित	83	–
8	प्रशिक्षित	2630	681

स्रोत बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोण्डा

उपरोक्त सारिणी से ये स्पष्ट है कि 13 शिक्षक हाई स्कूल से भी कम योग्यता वाले है तथा 740 शिक्षक मात्र हाई स्कूल हैं । इण्टरमीडिएट पास शिक्षकों की संख्या 1236 हैं जिनकों विषयवार शिक्षण का विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता हैं । समस्त शिक्षकों में 83 शिक्षक अप्रशिक्षित है उनको शिक्षण विधियों, पाठ संकेत निर्माण सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री आदि के विषय में पूर्ण जानकारी देने की आवश्यकता है।

अत: सर्व शिक्षा अभियान में ये प्रयास किया जायेगा कि शिक्षकों को शिक्षण की नई विधाओं और पाठ्यक्रम का पूर्ण जान कराया जायेगा ।

शिक्षकों की स्थिति अनुभव के अनुसार

सारिणी – 9.

कम	शिक्षण अनुभव	365	196
1	5 वर्ष से कम	318	71
2	5 से 10 वर्ष तक	173	119
3	10 से 15 वर्ष तक	266	126
4	15 से 20 वर्ष तक	403	191
5	20 से 25 वर्ष तक	580	38
6	25 से 30 वर्ष तक	422	21
7	30 वर्ष से अधिक	187	19
	35 वर्ष से अधिक		
			681

स्रोत बेसिक शिक्षा अधिकारी–गोण्डा

सारिणी से स्पष्ट है कि जनपद में 365 शिक्षक 5 से भी कम अनुभव वाले हैं । इनकों छोटे बच्चों को शिक्षण बिन्दुओं बहुकक्षा शिक्षण विद्यालय समय सारिणी कक्षा प्रबन्धन आदि की विशेष जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी । सारिणी के अनुसार 1189 शिक्षक 25 वर्ष से अधिक अनुभव वाले हैं इन शिक्षकों को नवीन पाठ्यक्रम नयी शिक्षण विधाओं वा बाल मनाविज्ञान की जानकारी देने की आवश्यकता हैं ।

उच्च प्राथमिक स्तर पर 196 शिक्षक 5 वर्ष से कम अनुभव वाले हैं । इनकों विषय वस्तु का ज्ञान बहुकक्षा शिक्षण कक्षा प्रकिया कक्षा प्रबन्धन आदि की जानकारी देने की आवश्यकता हैं । इसी प्रकार 78 शिक्षक 25 वर्ष से अधिक अनुभव वाले है जिनकों बदली हुयी शिक्षण तकनीकियों नये विषय वस्तु नयी विधाओं को परिचिति कराना होगा ।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कक्षा में प्रभाव

पर्यवेक्षण के दौरान शिक्षकों से बात चीत करके तथा बच्चों के बीच जाकर देखा गया कि शिक्षक पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं । बच्चों की उपस्थिति में भी आशा तीत सुधार मिला हैं । कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग समुचित ढंग से हो रहा हैं । परन्तु कही-कही इसका अभाव भी देखने को मिला हैं ।

अध्यापकों के नियमित होने और गति विधयों के प्रयोग से विधालय का वातावरण रोचक हुआ है तथा बच्चे खुश तथा सक्रिय नजर आते हैं ।

शिक्षक नियोजित ढ़ंग से कार्य करने का मन बना चुके हैं । और वे एकल या दो होने पर भी समुचित तरीके से मानीटर व्यवस्था और समेकित पाठों व विषयों का चयन करके एक से अधिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य करने में अपने को समर्थ पाते है । कहीं-कही इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी देखने को मिला हैं । कक्षा शिक्षण में बच्चों की अधिकाधिक भागीदारी से बच्चे को कुछ करके सीखने का अवसर मिला हैं । और शिक्षकों का बोझ कम हुआ हैं ।

समुचित अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन के लिए किये गये कार्य - जनपद गोण्डा में ब्लाक स्तर पर बी0आर0सी0 तथा न्याय पंचायत स्तर पर एन0पी0आर0 सी0 की स्थापना करके समुचित अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन के लिए शिक्षकों के बीच का ही एक-एक शिक्षक नियुक्त कर दिया गया हैं । जिन्हे कार्य

तथा दायित्वों के सम्बन्ध में 5 दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण व अकादमिक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध 3 दिवसीय प्रशिक्षण मिला हैं ।

समन्वयक अपने अधीन विद्यालयों का नियमित श्रमण अनुश्रवण , आदर्श पाठों का प्रस्तुती करण करते हैं । भौतिक शैक्षिक एवं प्रशासनिक पक्षों के आधार पर विद्यालयों /शिक्षकों का श्रेणीकरण करते हैं । एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकें करके मा ह में आने वाली शिक्षकों की कठिनाइयों का समाधान करते हैं । सामग्री मेलो का आयोजन एवं बैठकों में संदर्भ शिक्षकों द्वारा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण होता हैं । और गुणवत्ता संवर्धन के लिए अनुश्रवण के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं ।

बी0आर0सी0 द्वारा किये जाने वाले कार्य

गुणवत्ता सम्बर्धन में समन्वयकों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं । इनके द्वारा निम्न लिखित कार्य मुख्य रूप से किये जाते हैं ।

1. डायट के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना जिसमें शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण , शिशु शिक्षा केन्द्र के कार्य कत्रियों का प्रशिक्षण , ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण मुख्य हैं ।
2. कार्यशालाओं का आयोजन जैसे सामग्री निर्माण की कार्यशाला आदर्श विद्यालय निर्माण की कार्यशाला , कार्यानुभव कार्यशाला ।
3. गोष्ठियों बैठकों का अयोजन करना , जिसमें शिक्षकों के लिये नियमित मासिक गोष्ठी सेवा सम्बन्धी प्रकरणों जैसे वेतन आदेश निर्देश एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता हैं । सीखने सिखाने में विषयगत कठिनाइयों , सहायक सामग्री विज्ञान किट, गणित किट के प्रयोग तथा गतिविधियों के आयोजन पर चर्चा होती हैं ।इसके अतिरिक्त शिक्षक अभिभावक गोष्ठी , ग्राम शिक्षा समिति की बैठक, न्याय पंचायत प्रभारियों की बैठके भी होती हैं । समय-समय पर बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के आहवन पर अधिकारिक बैठक भी होती हैं जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान तथा आदेश निर्देश जारी किये जाते हैं ।
4. बच्चों से सम्बन्धित प्रतियोगिताए जैसे लोकगीत , लोक नृत्य, संगीत, चित्रांकन, अन्त्याक्षरी, निबन्ध लेखन भावगीत, भावनृत्य, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता हैं ।

इसके साथ-साथ शिक्षकों से सम्बन्धित प्रतियोगिताए जैसे सामग्री निर्माण आदर्श पाठ, व भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित करता हैं ।

5. विद्यालय भ्रमण के दौरान कक्षाओं का अवलोकन पृष्ठपोषण एवं श्रेणीकरण किया जाता हैं ।
6. आकड़ों का संकलन
7. कार्यक्रमों व योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करके डी0पी0ओ0 व डायट को भेजा जाता हैं ।
8. बी0आर0सी0 द्वारा समस्त न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो शिक्षकों बच्चों तथा आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाता है फिर उनका विश्लेषण होता हैं ।
9. संसाधनों /संदर्भ व्यक्तियों की पहचान करके डायर व डी0पी0ई0 पर उनका नाम भेजा जाता है और उनका उपयोग जिला स्तर पर होता हैं ।

एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका

न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षणिक तथा पाठ सहभागी क्रिया कलापों का केन्द्र विन्दु एन0पी0आर0सी0 हैं । इनका प्रमुख कार्य निम्नवत हैं ।

1. स्थानीय समुदाय को शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित करना और उन्हे विद्यालय के प्रति संवेदनशील बनाना ।
2. ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना ।
3. शिक्षको के अनुभव का परस्पर आदान प्रदान कराना तथा स्कूल भ्रमण के दौरान शिक्षकों को सहयोग देना ।
4. मासिक बैठकों तथा कार्य शालाओं का आयोजन ।
5. वैकल्पिक शिक्षा केन्दों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रो का भ्रमण करना और सार्थक सहायोग प्रदान करना ।
6. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना ।
7. बी0आर0सी0 को सहयोग प्रदान करना , बी0आर0सी0 की मासिक बैठकों में भाग लेना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना ।
8. संदर्भ व्यक्तियों , कार्यो एवं कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करके वी0आर0सी0 तथा डायट को भेजना ।

बच्चों के प्रोत्साहन के लिए संचालित योजनाए – बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव बनाये रखने के लिए उन्हे कुछ प्रोत्साहन दिये गये है जो निम्नवत है –

1. अनुसूचित , पिछड़ी एवं अल्प संख्यक जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति ।
2. सभी छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करायी गयी है जिससे प्रोत्साहन के अतिरिक्त शिक्षण कार्यक्रम में समयवद्धता भी सुनिश्चित होती हैं ।
3. बाल पोषाहार कार्यक्रम पोषाहार योजना का लाभ विद्यालय के सभी बच्चों को प्रतिमास मिलता हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन अभिभावक को बड़ी मदद मिली हैं ।

उक्त योजनाओं के फलस्वरूप बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में बढा हैं । तथा विद्यालय पलायन (डाप आउट) समस्या पर भी अंकुश लगा हैं । विकलांग बच्चों व तीव्र बुद्धि के बच्चों को भी प्रोत्साहन अपेक्षित हैं । यह प्रोत्साहन नगद पुरस्कार , विद्यालय परिधान , स्टेशनरी रूप में हो ।

आधारभूत सर्वेक्षण तथा मध्यावधे सर्वेक्षण के अनुसार छात्र की उपलब्धि कक्षा 1 के छात्रों की भाषा विषय में उपलब्धि –

सारिणी –9.

सर्वेक्षण	मध्यमान प्रतिशत				
	बालक	बालिका	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग
आधारभूत सर्वेक्षण	48.15	35.57	42.76	42.76	44.64
मध्यावधी सर्वेक्षण	69.1	65.0	78.2	84.6	83.2
उपलब्धि वृद्धि दर	20.95	20.95	42.63	41.84	38.56

स्रोत डायट गोण्डा

उपरोक्त तालिका में कक्षा 1 के छात्रों की भाष विषय में उपलब्धि स्तर जो आधारभूत सर्वेक्षण तथा मध्यावधि सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त हुई, प्रदर्शित हैं। तालिका में प्रदर्शित मानों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता हैं कि दोनो सर्वेक्षणों के दौरान बालकों का मध्यमान प्रतिशत कमश: 48. 15 तथा 69.1 प्राप्त हुए जो 20.95 प्रतिशत वृद्धि को इंगित करता हैं ।

बालिकाओं का मध्यमान प्रतिशत कमश: 44.05 तथा 65.0 प्राप्त हुआ जो भी 20.95 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता हैं । जातिगत आधार पर आकड़ों से यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है कि अनुसूचित जातियों के छात्रों का मध्यमान प्रतिशत कमश: 35.57 तथा 78.2 है जो 42.63 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है

अनय पिछड़ा वर्ग के छात्रों का दोनो सर्वेक्षणों के दौरान मध्यमान प्रतिशत कमशः 42.76 तथा 84.6 प्राप्त हुआ जो 41.84 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है इसी प्रकार अन्य वर्ग के छात्रों का मध्यमान प्रतिशत कमशः 44.64 तथा 83.2 है जो आधार भूत सर्वेक्षण की अपेक्षा 38.56 प्रतिशत वृद्धि का सकेंत करता हैं । कक्षा 1 के भाषा उपलब्धि के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष दिया जा सकता है है कि आधार भूत सर्वेक्षण की तुलना में मध्यावधि सर्वेक्षण के दौरान उपलब्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जो परियोजना के घनात्मक प्रभाव को परिलक्षित करता हैं ।

कक्षा 1 के छात्रों की गणित विषय में उपलब्धि

सारिणी-9.

सर्वेक्षण	मध्यमान प्रतिशत				
	बालक	बालिका	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग
आधारभूत सर्वेक्षण	45.0	34.64	35.57	42.76	44.64
मध्यावधी सर्वेक्षण	83.5	81.00	78.20	84.60	83.20
उपलब्धि वृद्धि दर	38.5	46.36	42.63	41.84	38.56

स्रोत डायट गोण्डा

उपरोक्त तालिका के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है कि आधार भूत सर्वेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि सवेक्षण के दौरान गणित विषय में छात्रों की उपलब्धि सतर में वृद्धि हुई है । तालिका में अंकित मान यह दर्शाता है कि दोनो सर्वेक्षणों के दौरान बालकों की उपलब्धि का मध्यमान प्रतिशत कमशः 45.0 तथा 83.5 रहा जो 38.5 न्रतियरत पृद्धि को दर्शाता है । बालिकाओं का मध्यमान प्रतिशत कमशः 34.64 तथा 81.00 रहा जो 46.36 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता हैं । जातिगत आधार पर प्राप्त आकड़ों से निष्कर्ष प्राप्त होता हैं कि अनुसूचित जाति के छात्रों का दोनो सर्वेक्षणों के दौरान मध्यमान प्रतिशत कमशः 35.57 तथा 78.20 रहा जो 42.63 प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करता हैं ।

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का गणित विषय में दोनो सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त मध्यमान प्रतिशत कमशः 42.76 तथा 84.60 है जो 41.84 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है इसी प्रकार अन्य वर्ग के छात्रों का मध्यमान प्रतिशत कमशः 44.64 तथा 83.20 है जो 38.56 प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करता हैं ।

?कक्षा 4 के छात्रों की भाषा विषय में उपलब्धि

सारिणी-9.

सर्वेक्षण	मध्यमान प्रतिशत				
	बालक	बालिका	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग
आधारभूत सर्वेक्षण	41.2	40.76	40.43	40.85	40.85
मध्यावधी सर्वेक्षण	47.7	48.0	48.9	47.6	47.6
उपलब्धि वृद्धि दर	6.5	7.24	8.47	6.75	6.75

स्रोत:BAS/MAS

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आधारभूत सर्वेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में कक्षा 4 के छात्रों की भाषा विषय में उपलब्धि स्तर में वृद्धि हुई हैं । गोण्डा जनपद में आधारभूत एवं मध्यावधि सर्वेक्षणों के दौरान बालकों के भाषा उपलब्धि का मध्यमान प्रतिशत क्रमश: 41.2 तथा 47.7 प्राप्त हुआ जो 6.5 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करता हैं । बालिकाओं का दोनो सर्वेक्षणों के दौरान मध्यमान प्रतिशत क्रमश: 40.76 तथा 48.0 प्राप्त हुआ जो 7.24 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता हैं । जातिगत आधार पर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति के छात्रों का दोनो सर्वेक्षणों के दौरान उपलब्धि का मध्यमान स्तर क्रमश: 40.43 तथा 48.9 है जो 8.48 प्रतिशत वृद्धि को इंगित करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के उपलब्धि का मध्यमान प्रतिशत क्रमश: 40.85 तथा 47.6 प्राप्त हुआ जो 6.75 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है इसी प्रकार अन्य वर्ग के छात्रों का मध्यमान प्रतिशत 40.85 तथा 47.6 प्राप्त हुआ जो 6.75 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता हैं ।

कक्षा 4 के छात्रों की गणित विषय में उपलब्धि

सारिणी–9.

सर्वेक्षण	मध्यमान प्रतिशत				
	बालक	बालिका	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग
आधारभूत सर्वेक्षण	**31.85**	**31.07**	**29.55**	**30.95**	**30.95**
मध्यावधि सर्वेक्षण	**37.1**	**37.3**	**32.8**	**39.3**	**39.3**
उपलब्धि वृद्धि दर	**5.25**	**6.23**	**3.25**	**8.35**	**8.35**

स्रोत:BAS/MAS

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित आकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है कि कक्षा 4 के बालकों का गणित विषय में उपलब्धि का मध्यमान प्रतिशत दोनो सर्वेक्षणों के दौरान क्रमश: 31.85 तथा 37.1 प्राप्त हुआ जो 5.25 प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करता है बालिकाओं का दोनो सर्वेक्षणों के दौरान उपलब्धि मध्यमान प्रतिशत क्रमश: 31.07 तथा 37.3 है जो 6.23 पतिशत वृद्धि को दर्शाता हैं। जातिवार विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दोनो सर्वेक्षणों के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों का उपलब्धि मध्यमान क्रमश: 29.55 तथा 32.8 प्रतिशत हुआ जो 3.25 प्रतिशत वृद्धि को स्पष्ट करता हैं ।

इसी प्रकार अन्य पिछड़े तथा वर्ग के तथा अन्य वर्ग के छात्रों का दोनो सर्वेक्षणों की अवधि में मध्यमान प्रतिशत क्रमश: 30.95 तथा 39.3 प्राप्त हुआ जो दोनो वर्ग के छात्रों में 8.35 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता हैं ।

मध्यावधि सर्वेक्षण के दौरान कक्षा 1 के छात्रों का भाषा विषय में उपलब्धि स्तर न्यूनतम अधिगम स्तर के पैमाने पर

सारिणी -9.

स्तर					
	बालक	बालिका	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग
पूर्ण स्तर दक्षता प्राप्ति स्तर	25.3%	23.8%	31.6%	36.6%	32.4%
पूर्ण दक्षता प्राप्तिन्नोमुख स्तर	36.0%	31.4%	25.2%	25.2%	23.6%
न्यूनतम अधिगम स्तर	21.3%	23.3%	20.0%	22.1%	25.0%

स्रोत:BAS/MAS

उपरोक्त तालिका के आधार पर यहा निष्कर्ष प्राप्त कर सकते है कि मध्यावधि सर्वेक्षण के दौरान कक्षा 1 के बालकों की भाषा विषय में उपलब्धि स्तर क्या रहा । 25.3 बालकों ने पूर्ण दक्षता स्तर को प्राप्त किया अर्थात 25.3 प्रतिशत बालकों ने 80 प्रतिशत से अधिक अधिमय किया । 36.0 प्रतिशत दक्षता प्राप्ति की तरफ उन्मुख रहे अर्थात इन्होने 60 से 80 प्रतिशत के बीच अधिगम स्तर प्राप्त किया । इसी प्रकार 21.3 प्रतिशत बालकों ने न्यूनतम अधिगत स्तर प्राप्त किया अर्थात इन्होने 40 प्रतिशत से अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम अधिगम स्तर प्राप्त किया है। बालिकाओं में , 23.8 प्रतिशत बालिकाओं ने पूर्ण दक्षता स्तर , 31.4 प्रतिशत वालिकाओं ने पूर्ण दक्षतान्मुख स्तर तथा 23.3 प्रतिशत बालिकाओ ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया है । अनुसूचित जाति के छात्रों मे 31.6 प्रतिशत छात्र पूर्ण दक्षतास्तर 25.2 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्ति की तरफ उन्मुख स्तर तथा 20.0 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त किए अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों 36.6 प्रतिशत छात्र न्यूननम अधिगम स्तर को प्राप्त किये हैं । इसी प्रकार अन्य वर्ग के छात्रों में 32.4 प्रतिशत छात्र पूर्ण दक्षता स्तर 23.6 प्रतिशत छात्र पूर्ण दक्षता प्राप्ति की तरफ उन्मुख स्तर तथा 25.0 प्रतिशत छात्रो ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया गया हैं ।

मध्यावधि सर्वेक्षण के दौरान कक्षा 1 के छात्रों का गणित विषय में उपलब्धि स्तर (न्यूनतम अधिगम स्तर पैमाने पर)

सारणी -9.

स्तर	बालक प्रतिशत	बालिका प्रतिशत	अनु. जाति प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिशत	अन्य वर्ग प्रतिशत
पूर्ण दक्षता स्तर	65.04%	60.0	50.3	67.8	68.2
दक्षता प्राप्तिन्नोमुख स्तर	18.43	19.52	27.1	16.3	14.9
न्यूनतम अधिगम स्तर	10.3	14.76	15.5	10.5	10.8

स्रोत:BAS/MAS

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि गणित विषय में कक्षा 1 के विद्यार्थियों का मध्यावधि सर्वेक्षण के दौरान दक्षता स्तर उच्च रहा । बालको में 65.04 प्रतिशत ने पूर्ण दक्षता स्तर , 18.43 दक्षता स्तर की तरफ उन्मुख स्तर तथा 10.30 प्रतिशत बालकों ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया । बालिकाओं में 60.0 प्रतिशत ने पूर्ण दक्षता स्तर 19.52 प्रतिशत दक्षता स्तर की तरफ उन्मुख स्तर तथा 14.76 प्रतिशत छात्राओं ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया ।

जातिगत आधार पर अनुसूचित जाति के छात्रों मे 50.3 प्रशित ने दक्षता स्तर , 27.1 प्रतिशत छात्रों ने दक्षता स्तर की तरुप उन्मुख तथा 15.5 प्रतिशत छात्रों ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों में , 67.8 प्रतिशत छात्रों ने पूर्ण दक्षता स्तर , 16.3 प्रतिशत छात्रों ने दक्षता प्राप्ति की तरफ उन्मुख स्तर तथा 10.5 प्रतिशत ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया इसी प्रकार अन्य वर्ग के छात्रों मे 68.2 प्रतिशत ने पूर्ण दक्षता स्तर , 14.91 प्रतिशत ने 60 से 80 के बीच अधिगम स्तर तथा 10.8 प्रतिशत छात्रों ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया ।

कक्षा 5 के छात्रों का भाषा विषय में उपलब्धि स्तर न्यूनतम अगिम स्तर पैमाने पर

सारणी -9.14

स्तर	बालक प्रतिशत	बालिका प्रतिशत	अनु. जाति प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिशत	अन्य वर्ग प्रतिशत
पूर्ण दक्षता स्तर	40.00%	60.0%	60.0%	60.0%	10.0%
दक्षता प्राप्तिन्नोमुख स्तर	5.7%	6.4%	8.3%	5.9%	4.3%
न्यूनतम अधिगम स्तर	43.5%	48.7%	47.7%	42.9%	46.8%

स्रोत:BAS/MAS

मध्यावधि सर्वेक्षण के दौरान 4.0 प्रतशत बालकों ने भाषा विषय में पूर्ण दक्षता स्तर 5.7 प्रतिशत बालको ने दक्षता प्राप्तिन्नोमुख स्तर तथा 43.5 प्रतिशत बालकों ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया हैं 6.0 प्रतिशत बालिकाओं ने पूर्ण दक्षता स्तर 6.4 प्रतिशत बालिकाओं ने दक्षता प्राप्तिन्नोमुख सतर तथा 48.7 प्रतिशत ने न्यूनतम दक्षता स्तर को प्राप्त किया है । जातिवार विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि 6.0 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्रों ने पूर्ण दक्षता स्तर , 8.3 प्रतिशत छात्रों ने दक्षता प्राप्तिन्नोमुख स्तर तथा 47.7 प्रतिशत छात्रों ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया हैं । अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों में 6.0 प्रतिशत छात्रों ने पूर्ण दक्षता स्तर , 5.9 प्रतिशत छात्रों ने दक्षता प्राप्तिन्नोमुख स्तर तथा 42.9 प्रतिशत छात्रों ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया हैं । इसी प्रकार अन्य वर्ग के छात्रों में 10 प्रतिशत

छात्रा ने पूर्ण दक्षता स्तर , 4.3 प्रतिशत छात्रों ने दक्षता प्राप्तिन्नोमुख स्तर तथा 46.8 प्रतिशत छात्रों ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया हैं ।

कक्षा 5 के विद्यार्थियों की गणित विषय में उपलब्धि स्तर (न्यूनतम अधिगम स्तर पैमाने पर)

सारणी-9.15

स्तर	बालक प्रतिशत	बालिका प्रतिशत	अनु. जाति प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिशत	अन्य वर्ग प्रतिशत
पूर्ण दक्षता स्तर	4.0	4.0	4.0	4.0	10.0
दक्षता प्राप्तिन्नोमुख स्तर	3.8	3.8	4.6	4.7	2.2
न्यूनतम अधिगम स्तर	9.5	11.5	9.2	14.1	6.5

स्रोत:BAS/MAS

उपरोक्त तालिका में मध्यावधि सर्वेक्षण के दौरान कक्षा 5 के गणित विषय में अधिगम स्तर को न्यूनतम अधिगम स्तर पैमाने पर प्रदर्शित किया गया हैं । तालिका से स्पष्ट है कि 4.0 प्रतिशत बालकों ने पूर्ण दक्षता स्तर , 3.8 प्रतिशत ने दक्षता प्राप्तिन्नोमुख स्तर तथा 9.5 प्रतिशत बालकों ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया हैं । बालिकाओं में 4.0 प्रतिशत ने पूर्ण दक्षता स्तर 3.8 प्रतिशत ने दक्षता प्राप्तिन्नोमुख स्तर तथा 11.5 प्रतिशत बालिकाओं ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया हैं। जातिवार विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि 4.0 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्रो ने पूर्ण दक्षता स्तर 4.6 प्रतिशत दक्षताप्राप्तिन्नोमुख स्तर तथा 9.2 प्रतिशत में न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया है, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों में 4.0 प्रतिशत छात्रों ने पूर्ण दक्षता स्तर 4.7 प्रतिशत ने दक्षता प्राप्तिन्नोमुख स्तर तथा 14.1 प्रतिशत छात्रों ने न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त किया है इसी प्रकार अन्य वर्ग के छात्रों में 10.0 प्रतिशत छात्रों ने पूर्ण दक्षता स्तर 2.2 प्रतिशत छात्रों ने दक्षता प्राप्तिन्नोमुख स्तर , तथा 6.5 प्रतिशत छात्रों ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त किया हैं ।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि आधारभूत सर्वेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में उपलब्धि स्तर या अधिगम स्तर में गुणोत्तर वृद्धि एवं क्रमोत्तर सुधार हुआ है जो परियोजना के सकारात्मक परिणाम का घोतक हैं ।

अपर्वाचित बच्चे :-

जब तक समाज का हर बच्चा बुनियादी शिक्षा को प्राप्त नहीं करता है तब तक शिक्षा की सार्वभौमिकता का लक्ष्य पूरा नहीं होता सरकार के अनेक प्रयसों के पश्चात अभी एक वर्ग ऐसा है जो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ नही पाया है जिनकी पहचान हम निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत कर सकते है:-

1- घुमन्तू बच्चे।

2 – खतरनाक पेशे में लगे बच्चे।

3 – बाल श्रमिक।

4 – खेतिहर मजदूर आदि।

5 – विकलांग बच्चे।

6 – मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे।

सर्व प्रथम हमें इन बच्चों को चिन्हित करना होगा। माता पिता तथा अभिभवकों से मिल कर उनके शिक्षा के प्रति दृष्टि कोण को सकारात्मक बनाना होगा। उन बच्चों में आत्म विश्वास जगाना होगा।

इनके लिए आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था अपेक्षित है जो बच्चे औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश नही हो सकते है। उनके लिए बैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी वे औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश की आयु पार कर चुके है या फिर पूर्ण विद्यालय समय में विद्यालय में रहने की स्थिति में नहीं है ऐसी परिस्थिति में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र ही एक मात्र सहारा है।

जो बच्चे बाल श्रमिक है अथवा खेतिहर मजदूर है उनके लिए जीवनोंपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा पाठ्य क्रम में लाने की आवश्यकता है जिससे शिक्षा रोजगार परक हो सके।

विकलांग बच्चों के लिये विशेष प्रयास की आवश्यकता है ये बच्चे अपने अन्दर सामान्य बच्चों के बीच हीन भावना महसूस करते हैं ये बच्चे समुदाय से दया सहानुभूति नही वरन समान अधिकार की उपेक्षा करते है अत: इन बच्चों को अलग से प्रशिक्षित किये जाने की आरयकता हो इनकी आयु सीमा भी 6 से 18 वय वर्ग कर दी गयी इनमें आत्म विश्वास जगाने की आवश्यकता है। इनकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये उनको उपकरण प्राप्त करने की आवश्यकता अत: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन सभी विशेष वर्ग के बच्चों के लिये इनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था शिक्षा केन्द्र तथा शिक्षक लाने की आवश्यकता है।

स्कूल में शिक्षकों की स्थिति प्राथमिक स्तर पर :–

सारिणी–9.

परिषदीय विद्यालय	एक शिक्षक विद्यालय	दो शिक्षक विद्यालय	तीन शिक्षक विद्यालय	चार शिक्षक विद्यालय	पांच शिक्षक विद्यालय	पांच से अधिक
प्राथमिक स्तर पर	753	661	98	42	20	12

स्रोत बेसिक शिक्षा कार्यालय गोण्डा

उपरोक्त सारिणी को देखने सें स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि गोण्डा जनपद में 753 विद्यालय एक शिक्षक कालेज 661 विद्यालय दो शिक्षक वाले 98 विद्यालय तीन शिक्षक वाले तथा 42 विद्यालय चार

शिक्षक वाले एवं 20 विद्यालय पांच शिक्षक वाले मात्र 12 विद्यालय ऐसे हैं जो पाचं शिक्षक से अधिक वाले है।

अत: विचार करने योग्य स्थिति है कि एक ही अध्यापक को पांच तक की कक्षायें एक साथ चलानी पड़ती है जो एक कठिन कार्य है शिक्षा की व्यवस्था की गयी है जनपद शिक्षा मित्र डायट द्वारा प्रशिक्षित करके एकल विद्यालय में भेजे गये है समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है परन्तु दो अध्यापकों के लिये भी पांच कक्षाओं को एक साथ शिक्षण कार्य कराना जरूरी है।

अत: सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के तृतीय फेरे में जो साधना आधारित था बहुकक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण देकर इस समस्या से निपटने का प्रयास किया गया बहुकक्षा सें निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया: -

1- बैठक व्यवस्था - कक्षाओं को अर्द्धचन्द्राकार यू आकार एल आकार सी आकार एल आकार में इस तरह बैठाये शिक्षक केन्द्र विन्दु के रूप सें रहे।

2- बच्चों की मानीटर तथा विद्यालयी सरकार बनाकर।

3- बड़ी कक्षा द्वारा छोटी कक्षाओं को संचालित कराकर।

इस तरह से एकल विद्यालयों की समस्या को बहुकक्षा शिक्षण द्वारा समाधान करने की कोशिश की गयी है परन्तु अभी अध्यापकों को बहुकक्षा शिक्षण का पुन: प्रशिक्षण कराने की आवश्यकता है। आने वाले समय में अभी एकल शिक्षक विद्यालयों तथा दो शिक्षक वाले विद्यालयों की समस्या बने रहने की सम्भावना है।

<u>उच्च प्राथमिक स्तर पर</u> :-

उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के सामने एकल अध्यापकीय विद्यालय के साथ-साथ विषय वार अध्यापक न होने की समस्या सामने आ रही है। प्राथमिक विद्यालयों से अध्यापक प्रोन्नति पाकर उच्च प्राथमिक विद्यालय में आ जाते परन्तु अध्यापकों में विषय के ज्ञान का आभाव पाया जाता है विज्ञान गणित संस्कृत भाषा सामाजिक अध्यन आदि विषयों के लिए विषय का वांक्षित ज्ञान वाले अध्यापक होने चाहिये ऐसा न होने के कारण ही एक सामान्य अध्यापक को विशिष्ट विषय पढ़ाते है जिसका प्रभाव बच्चों के धारण एवं सम्प्राप्ति पर पड़ता है।

अत: उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को विषयों के नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। जिससे शिक्षकों को शिक्षण प्रभावी एवं बोध गम्य हो सके।

प्रभावी शिक्षण के लिये सहायक सामग्री का प्रयोग बहुत महत्व रखता है। विज्ञान और गणित जैसे विषयों के शिक्षण में शिक्षकों के सहायक सामग्री प्रयोग की अधिकतम सीमा ब्लैक बोर्ड ही है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को 500 रूपये प्रति वर्ष शिक्षण सामग्री बनाने हेतु दिया जा रहा है जिसका प्रयोग हो भी रहा है परन्तु अभी इसमें और प्रयास की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर भी इसी तरह की धनराशि सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। इस स्तर पर प्रयोगशाला जिसमें आवश्यक संसाधन हो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में एक आवश्यक कदम होगा।

गणित के किट को भी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

विकास खण्ड पर एक संकुल विद्यालय बनाये जाने की आवश्यकता है। ये माध्यमिक या केन्द्रीय विद्यालय हो सकते है इनका कार्य उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को शैक्षिक विकास खण्ड पर सपोर्ट देना होगा। जनदप स्तर पर डायट द्वारा शैक्षिक सपोर्ट उच्च प्राथमिक को भी दिया जायेगा।

प्राथमिक स्तर पर पहले से शैक्षिक सपोर्ट देने की समुचित व्यवस्था है जिले स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर डी आर सी तथा न्याय पंचायत स्तर पर एन0 पी0 आर0 सी0 है। ये तीनों संसाधन केन्द्र विद्यालयों में नियमित पर्यवेक्षण का कार्य करता है। शिक्षण कार्य से आने वाली समस्याओं के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है।

पर्यवेक्षणें एवं निरीक्षणों में शिक्षकों ने भी अपनी समस्यायें बतलायी है जो निम्नवत हैं :-

1- अभिभावक शिक्षा के प्रति उदासीन है अत: बच्चों को विद्यालय समय से नहीं भेजते।
2- ग्रह कार्य में सहयोग नहीं देते।
3- बच्चों की स्वच्छता में अभिभावक रूचि नहीं लेते।
4- अध्यापकों की संख्या बहुत कम।
5- अध्यापकों को शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्य करने पड़ते है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है।
6- उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे प्रवेश लेते हैं उनका आरम्भिक ज्ञान स्तरीय नहीं होता है।
7- सामान्य विषयों के अध्यापकों को विशिष्ट विषय पढ़ाने पड़ते है।
8- उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा कक्षों की कमी तथा तथा शौचालयों का न होना।

अभिभावकों की शिक्षकों से अपेक्षायें:-

1- शिक्षक बच्चों का आदर्श है अत: उसको बच्चों के सामने अनैतिक आचरण नहीं करना चाहिए।

2- अभिभावक अशिक्षित है अत: उग्रह कार्य में ऐसे कार्य न दें जिसके लिये सहयोग की आवश्यकता पड़े।

3- उनके पास शिक्षा का अन्य कोई विकल्प नहीं है अत: वो चाहते है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर ऊॅचा हो।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण :-

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता संवर्धन का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद गोण्डा में 6-14 वयवर्ग के सभी बालक-वालिकाओं को वर्ष 2010 जीवनों पयोगी तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। कार्य क्रम का लक्ष्य इस प्रकार है।

1- 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल ई0 जी0 एस0 केन्द्र वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।

2- सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करेंगे यह लक्ष्य 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।

3- सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूर्ण करेंगे यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।

4- गुणवत्ता परक शिक्षा जो जीवनोंपयोगी कौशलें पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।

5- प्राथमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अन्तर को 2007 तक तथा पू0 मा0 स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।

6- लक्ष्य समूह (6-14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य सुनिश्चित किया जायेगा।

7- शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

इन लक्ष्यों को प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एवं प्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए एक दृष्टि विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद, विकास खण्ड स्तर, न्याय पंचायत स्तर तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागी दारी होगी। इसके लिए 3 दिवसीय विजनिंग कार्य शालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों तथा डायट संकाय के सदस्यों, जिला परियोजना के कर्मियों विकास खण्ड तथा न्यान पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर विजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। जिनमें मुख्यत: सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों शिक्षकों विद्यालयों तथा कक्षा-कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखत हुए सह भागिता आधारित निष्कर्ष और सहमति तय की जायेगी। इन कार्य शालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अन्तर्गत समस्त

स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार समझ बन सके। शिक्षकों के लिए भी विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन एन0 पी0 आर0 सी0 पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्वि उनके विषयज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की योजना है। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सम्मिलित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षकों को इस प्रकार श्रंखला बद्व किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग वी0 आर0 सी0 स्तर पर 6-8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुभव में प्रशिक्षण तथा कार्य शालाएं वी0 आर0 सी0 और मुख्यत: एन0 पी0 आर0 सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखी करण में सहायक सिद्व होगी।

डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षण अनुभव वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं तथा बहुकक्षा शिक्षण बहु स्तरीय शिक्षण प्रतिधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्य क्रम और पाठ्य वस्तुओं के बेहतर और प्रभावी आदि के प्रकाश मै। यै सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें।

<u>सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यक प्रशिक्षण</u>

<u>प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रथम वर्ष में</u>

1. नवीन पाठ्यक्रम में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शैक्षणिक गुणवत्ता संर्वधन हेतु विभिन्न विषयों के शैक्षणिक दृष्टि से कठिन स्थलों का चयन कर अनुपूरक प्रशिक्षण का आयोजन

   (i) <u>विजटिग कार्यशालांए-तीन दिवसीय (आवासीय)</u>

   प्रतिभाग- N.P.R.C.. ब्लाक समन्यवक डी0पी0ओं स्टाफ, डायट स्टाफ डायट स्तर पर तथा जनपद स्तरीय संसाधन समूह के शिक्षक सदस्य ।

   (ii) <u>विषयवार अनुपूरक प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

   अवधि-पांच दिवसीय
   प्रतिभाग -जनपद के प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षक डी0पी0ओं स्टाफ ब्लाक स्तर डायट स्टाफ (अनावासीय)

   (iii) <u>विद्यालय प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

   अवधि - चार दिवसीय ।
   प्रतिभाग - प्राथमिक विद्यालयों के समस्त प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, डी0पी0ओ0 डायट स्तर पर स्टाफ डायट स्टाफ ।

स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार समझ बन सके। शिक्षकों के लिए भी विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन एन0 पी0 आर0 सी0 पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिबृद्वि उनके विषयज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की योजना है। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सम्मिलित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षकों को इस प्रकार श्रंखला बद्व किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग वी0 आर0 सी0 स्तर पर 6-8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुभव में प्रशिक्षण तथा कार्य शालाएं वी0 आर0 सी0 और मुख्यत: एन0 पी0 आर0 सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखी करण में सहायक सिद्व होगी।

डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षण अनुभव वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं तथा बहुकक्षा शिक्षण बहु स्तरीय शिक्षण प्रतिधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्य कम और पाठ्य वस्तुओं के बेहतर और प्रभावी आदि के प्रकाश मै। यै सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें।

<u>सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यक प्रशिक्षण</u>

<u>प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रथम वर्ष में</u>

1. नवीन पाठ्यक्रम में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शैक्षणिक गुणवत्ता संर्वधन हेतु विभिन्न विषयों के शैक्षणिक दृष्टि से कठिन स्थलों का चयन कर अनुपूरक प्रशिक्षण का आयोजन

   (i) <u>विजटिग कार्यशालांए-तीन दिवसीय (आवासीय)</u>

   प्रतिभाग- N.P.R.C.. ब्लाक समन्यवक डी0पी0ओं स्टाफ, डायट स्टाफ डायट स्तर पर तथा जनपद स्तरीय संसाधन समूह के शिक्षक सदस्य ।

   (ii) <u>विषयवार अनुपूरक प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

   अवधि-पांच दिवसीय
   प्रतिभाग -जनपद के प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षक डी0पी0ओं स्टाफ ब्लाक स्तर डायट स्टाफ (अनावासीय)

   (iii) <u>विद्यालय प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

   अवधि - चार दिवसीय ।
   प्रतिभाग - प्राथमिक विद्यालयों के समस्त प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, डी0पी0ओ0 डायट स्तर पर स्टाफ डायट स्टाफ ।

(iv) <u>(कक्षा 3 से 5 तक) अंग्रेजी शिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन</u>-

विभिन्न स्तरों पर आयोजन -

(अ) एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय प्रतिभाग न्याय पंचायत के समस्त अनावासीय अध्यापक डायट का एक सदस्य डी0पी0ओं0 का सदस्य

(ब) ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर एक दिवसीय

प्रतिभाग- सभी न्याय पंचायत प्रभारी ब्लाक स्तरीय कुशल अंग्रजी शिक्षक डी0पी0ओं0 स्टाफ तथा डायट का एक सदस्य ।

(स) डायट स्तर पर तीन दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन-

प्रतिभाग- सभी ब्लाक समन्यवक जनपद के सभी न्याय पंचायत प्रभारी,ब्लाक स्तरीय कुशल अंग्रजी शिक्षक डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट स्टाफ ।

(v) <u>उक्त आयोजनों में चिन्हित सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण साहित्य तैयार किये जाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन-</u>

प्राकृति/अवधि-तीन दिवसीय आवासीय

प्रतिभाग- डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ तथा पूर्व चिन्हित (सदस्य) शिक्षक डायट स्तर उक्त कार्यशालाएं प्रशिक्षण साहित्य को अन्तिम रूप देने के लिए कम से कम तीन चकों में संचालित की जायेगी ।

(vi) <u>तदोपरान्त मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने हेतु प्रशिक्षण का आयोजन</u>-

प्रकृति एवं अवधि-आवासीय पांच दिवसीय

प्रशिक्षक - राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ तथा आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद द्वारा तीन नामित सदस्य ।

प्रतिभाग- जनपद के विभिन्न विकास खण्डों के पूर्व चिन्हित अंग्रेजी अध्यापक डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट स्टाफ ।

(vii) <u>अंग्रजी भाषा शिक्षण- प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन</u>

प्रकृति एवं अवधि - अनावासीय छः दिवसीय

स्तर - ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण

प्रतिभाग- ब्लाक के समस्त प्राथमिक विद्यालय के अंग्रजी पढाने वाले शिक्षक ।

(viii) अंग्रजी भाषा की शिक्षक संदर्शिका का निर्माण डायट स्तर पर किया जायेगा जिसमें प्रत्येक कक्षा (3 से 5 तक) का अलग-अलग संदर्शिका का निर्माण करवा कर प्रत्येक विद्यालय में एक सेर उपलब्ध कराया जायेगा । जिससे शिक्षकों को अंग्रेजी शिक्षा के संवर्द्धन से आवश्यक मदद मिल सके ।

(ix) <u>शैक्षिक अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन</u>-शिक्षकों के प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अग्रेंजी भाषा शिक्षण की गुणवत्ता का अनुश्रवण करना एवं आवश्यक सहयोग प्रदान

करने हेतु प्रशिक्षकों की सहभागिता डी0पी0ओं0 स्टाफ एवं स्टाफ को ब्लाकवार भेजा जायेगा ।

विभिन्न पर्यवेक्षण कर्ताओं द्वारा प्राप्त आख्याओं की समीक्षा के उपरान्त आवश्यक पश्चपोषण (फीड) का कार्य किया जायेगा ।

द्वितीय वर्ष –

प्रशिक्षण कक्षाओं में सभी विषयों को पाठ्यक्रम में समाहित करने के साथ ही साथ संस्कृत भाषा को भी पाठ्यक्रम का एक अंग बनाया गया हैं । जिसके शिक्षण कार्य हेतु संस्कृत शिक्षको की आवश्यकता होगी । इस परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षकों को संस्कृत विषय के अध्यापन की विधाओं का ज्ञान होना आवश्यक होगा ।

अतः उक्त कार्य हेतु निम्न लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालित किया जाना आवश्यक होगा।

(i) कक्षा 3 , 4 व 5 में संस्कृत विषय के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्य शालाओं का आयोजन ।

(A) एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय

(B) ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर एक दिवसीय

(C) डायट स्तर पर दो दिवसीय आवासीय कार्याशाला ।

(ii) उक्त त्रिस्तरीय कार्यशालाओं के आयोजन में संस्कृत भाषा के प्रशिक्षण हेतु चिन्हित सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण साहित्य तैयार किया जायेगा ।
इसके लिए कम से कम तीन चक्रों में इसी क्रम में मास्टर टेनर्स का चयन किया जायेगा ।

(iii) <u>मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम –</u>

प्रकृति एवं अवधि–आवासीय , पांच दिवसीय
प्रशिक्षक–राज्य परियोजना कार्यालय तथा हिन्दी भाषा शिक्षण संस्थान वाराणसी द्वारा नामित तीन सदस्य ।
प्रतिभाग–जनपद के विभिन्न विकास खण्डो के पूर्व चिन्हित संस्कृत अध्यापक डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट स्टाफ ।

(iv) <u>संस्कृत भाषा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन</u>

प्रकृति एवं अवधि–अनावसीय छः दिवसीय
स्तर–ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण
प्रतिभाग–ब्लाक के सभी अध्यापक

(v) प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त संस्कृत भाषा के उचित पठन-पाठन हेतु संस्कृत भाषा संदर्शिका कक्षा 3 से 5 तक तैयार करवाकर प्रत्येक विद्यालय में एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा । जिससे संस्कृत भाषा में गुणात्मक सुधार हो सकेगा ।

(vi) **शैक्षिक अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन**-ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षक , डी0पी0ओं0 स्टाफ डायट स्टाफ द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण एवं संदर्शिका के आधार पर आवश्यक मूल्याकंन किया जायेगा । न्याय पंचायत प्रभारी के माध्यम से उक्त सन्दर्भ-दाताओं द्वारा आवश्यक सहयोग भी मूल्यांकन के दौरान किया जायेगा ।

उर्दू शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

(i) संस्कृत विषय के अनुरूप ही उर्दू विषय के शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम नियोजित किया जायेगा।

(ii) प्रशिक्षकों की प्रतिपूर्ति राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा नामित सदस्यों द्वारा की जायेगी ।

(iii) उर्दू भाषा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की सम्पूर्ण प्रकियाएं डायट स्तर पर ही सम्पन्न की जायेंगी ।

(iv) अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन का कार्य प्रशिक्षण के दौरान चिन्हित उर्दू अध्यापकों द्वारा की जायेगी ।

शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण उपयोग एवं प्रशिक्षण-किसी भी विषय की अवधारणाओं एवं सम्बोधों को स्थाई रूप प्रदान करने हेतु शिक्षण अधिगम सामाग्री का मूर्त रूप में प्रयोग आवश्यक होता है इससे विषय वस्तु छात्रों के लिए रूचिकर होता है और वे उत्सुक होकर सीखने में रूचि लेते हैं । साथ यह भी आवश्यक है कि शिक्षण अधिगम सामग्री इतना अधिक न हो जाये कि शिक्षार्थी पाठ्य वस्तु से परे चला जाय । मात्र एक चित्र ही हजारो शब्दो को व्यक्त करता है और देखने वाला कुछ बताने से पहले बहुत कुछ जान लेता हैं ।

इस सम्बन्ध में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी प्रयास किया गया है परन्तु वास्तविकता यह है कि इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना शेष हैं ।

न्याय पंचायत स्तर पर पूर्व की भाँति मैटेरियल मेले का आयोजन किया जाना अब भी आवश्यक प्रतीत होता है इस मेले मे न्याय पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण सामग्रियों का प्रदर्शन किया जाना समीचीन होगा । साथ ही एक समिति द्वारा उनके कार्यो का मूल्याकंन किया जायेगा सर्वोत्तम पाई जाने वाली सामग्रियों को बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित मैरेसिल मेले में प्रस्तुत किया जायेगा । उक्त प्रक्रिया के अनुसार ही ब्लाक स्तर पर भी सामग्रियों का चयन किया जायेगा ।

न्याय पंचायत स्तर तथा बी0आर0सी0 स्तर पर चयनित सामग्रियों को जनपद स्तरीय मैटेरियल मेले में प्रस्तुत किया जायेगा ।

विषयवार पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षण सामग्रियों का प्रस्तुतीकरण उपयोग आधारित होगा तथा उनके बहुउद्देशीय उपयोग के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जायेगा यह मूल्यांकन कार्य जनपद स्तर पर शिक्षाविदों की एक गठित समिति द्वारा किया जायेगा । प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अध्यापकों -(उनके द्वारा निर्मित सामग्री) को प्रमाण पत्र एवं प्रोत्साहनार्थ पुरस्कार प्रदान किया जाना आवश्यक होगा ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु 500/- रूपये की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई है परन्तु डिम्बना यह है कि कतिपय कारणोंवश शिक्षक इसका सही उपयोग नही कर पा रहे है।अध्यापक मात्र कैची गोंद टेप कागज तथा पिन आदि क्रय करने तक ही सीमित रह जाते हैं ।

आवश्यकता है उनकी सही जानकारी प्रदान करना जिसे प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से ही किया जा सकता हैं ।

शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला-

(i) **<u>विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षकों का चयन</u>** -

स्थल -डायट
प्रकृति एवं अवधि - एक दिवसीय कार्यशाला
प्रतिभाग-विकास खण्ड स्तरीय प्रथम,द्वितीय,तृतीय वाले शिक्षक डी0पी0ओ0 स्टाफ

(ii) **<u>चयनित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण</u>**-

प्रकृति एवं अवधि-अनावासीय चार दिवसीय
स्थल - डायट
प्रतिभाग- चयनित प्रशिक्षक डायट स्टाफ डी0पी0ओं0 स्टाफ बी0आर0सी0

(iii) **<u>विकास खण्ड के सभी अध्यापकों का प्रशिक्षण</u>**-

प्रकृति एवं अवधि-अनावासीय चार दिवसीय
स्थल - विकास खण्ड / न्याय पंचायत सं0 केन्द्र
प्रतिभाग- समस्त प्राथमिकअध्यापक

(v) तैयार की गई सामग्रियों की उपादेयता-ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षकों /एन0पी0आर0सी0 के माध्यम से विद्यालयों में निर्माण की गई सामग्रियों का अवलोकन एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

जिससे सम्पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री का सदुपयोग स्थाई ज्ञान देने में सहायक सिद्ध हो सकेगा ।

तृतीय वर्ष

निर्धारित लक्ष्य तक पंहुचने के लिए कृत कार्यो में सुधार लाने हेतु उसका मूल्यांकन प्रत्येक दिशा में आवश्यक होता हैं । शिक्षा जगत में शिक्षण अधिगम प्रकिया का महत्वपूर्ण स्थान है । इस प्रकिया के अन्तर्गत मूल्यांकन कार्य मात्र छात्रों के मूल्यांकन तक सीमित नही है अपितु छात्रों के साथ ही साथ शिक्षकों के कार्यो का मूल्यांकन स्वयं उनके द्वारा सहयोगियों द्वारा तथा समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा निरन्तर किया जाता हैं । इस प्रकार अनुभव किया जाता हैं कि मूल्यांकन कार्य मात्र परम्परागत परीक्षाओं तक ही सीमित न रहकर निरन्तर व्यापक रूप में प्रतिफल चलता रहता हैं ।

नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित कक्षा शिक्षण कराने हेतु अनेक प्रशिक्षणों के माध्यम से अध्यापकों में दक्षता प्रदान की गई है परन्तु क्या वास्तव में बच्चे के अन्दर संज्ञानात्मक , बोधात्मक , कौशलात्मक तथा अनुप्रयोगात्मक दक्षताएं विकसित हो रही हैं । यदि नही तो इसमें कही न कही कोई अभाव रह गया हैं । इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण कराया जायेगा ।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु कार्यशाला का आयोजन

(i) एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला

प्रतिभाग – एन0पी0आर0सी0 में स्थित सभी विद्यालयों के शिक्षक ।

(ii) बी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला

प्रतिभाग– एन0पी0आर0सी0 प्रा0 वि0 के प्रधानाध्यापक, डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट से एक सदस्य

(iii) डायट स्तर पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

उद्देश्य–(i) परम्परागत मूल्यांकन एवं सततव्यापक मूलयाकंन की जानकारी प्रदान करना।

(ii) मूल्यांकन उपकरणों का निर्माण एवं विकास

(iii) प्रशिक्षकों को चिन्हित करना

* प्रकृति– आवासीय * स्थल – डायट
* प्रतिभाग– डायट स्टाफ, डी0पी0ओ0 स्टाफ ब्लाक समन्यवक चिन्हित एन0पी0आर0 सी0 एवं अध्यापक ।

(iv) <u>ब्लाक स्तरीय मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>-

* प्रकृति- अनावासीय चार दिवसीय * स्थल - बी0आर0सी0
* प्रतिभाग- विकास खण्ड के समस्त शिक्षक

(v) विकास खण्ड में शिक्षकों की संख्या के अनुरूप 35 शिक्षको को फेरे वार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

(vii) सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्य की निरन्तरता एवं गुणवत्ता की परख हेतु विद्यालयों में कृत मूल्यांकन कार्यो का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन का कार्य डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ तथा शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा किया जायेगा । प्राप्त आख्याओं का विश्लेषण एवं समीक्षा डायट एवं डी0पी0ओ0 स्तर पर किया जायेगा ।

चतुर्थ वर्ष-

गणित एवं भाषा की विषय वस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण एवं बहुस्तरीय शिक्षण विधियों पर आधारित 8 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा । इस प्रशिक्षण के संचालन हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तर से डायट स्तर तक कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षकों का चयन किया जायेगा ।

(i) बहुकक्षा शिक्षण प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स का चयन कर जनपद के समस्त न्याय पंचायत प्रभारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा । उन्ही के माध्यम से तीन दिवसीय प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर सभी अध्यापकों को बहुकक्षा शिक्षण एवं बहुस्तरीय शिक्षण का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

(ii) गणित एंव भाषा के अनुपूरक प्रशिक्षणों का आयोजन जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों के माध्यम से 8 दिवसीय प्रशिक्षण सामाग्री तैयार करवाई जायेगी ।

(iii) <u>गणित एवं भाषा के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन</u>-

प्रशिक्षक -राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा नामित सन्दर्भ दाता
स्थल - डायट
अवधि- सात दिवसीय/ आवासीय
प्रतिभाग- डायट स्टाफ, डी0पी0ओ0 स्टाफ एवं कार्यशाला में चिन्हित शिक्षक ।

(iv) <u>ब्लाक स्तरीय गणित - भाषा अनुपूरक प्रशिक्षण</u>

स्थल - बी0आर0 सी0

अवधि - सात दिवसीय

प्रतिभाग - विकास खण्ड के समस्त शिक्षक

(v) शिक्षकों को सहयोग समर्थन कार्यक्रम -प्रशिक्षण प्राप्त समस्त शिक्षकों को उनके विद्यालय में शैक्षिक सहयोग प्रदान करने हेतु एन0पी0आर0 सी0 एवं प्रशिक्षकों के माध्यम से किया जायेगा । तथा उनके कार्यो का मूल्यांकन भी किया जायेगा ।

पांचवे वर्ष -

विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन में संचालित की जा रही पाठ्य पुस्तकों के आवश्यक कठिन बिन्दुओं पर आधारित अनुपूरक प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण डायट के निर्देशन में योग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से तैयार किया जायेगा ।

(i) <u>विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन का अनुपूरक प्रशिक्षण</u>-

प्रतिभाग- डायट स्टाफ , डी0पी0ओं0 सदस्य चिन्हित प्रशिक्षक

प्रकृति एवं समय - सात दिवसीय आवासीय

स्थल - डायट

(ii) <u>ब्लाक स्तरीय विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन का अनुपूरक प्रशिक्षण</u>-

स्थल - बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0

अवधि - सात दिवसीय अनावासीय

प्रतिभाग- विकास खण्ड के समस्त शिक्षक

(iii) उपर्युक्त प्रशिक्षण के उपरान्त आवश्यक शैक्षिक सपोर्ट एन0पी0आर0सी0 स्तर पर प्रशिक्षकों सपोर्ट एन0पी0आर0सी0 स्तर पर प्रशिक्षकों के द्वारा दिया जायेगा तथा एन0पी0आर0सी0 को भी शैक्षिक भमण पर आवश्यक समर्थन दिया जायेगा ।

प्राथमिक शिक्षकों को उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अतिरिक्त भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ।

पूर्व माध्यामिक विद्यालयों हेतु गुणवत्ता सम्वर्द्धन :-

जनपद गोण्डा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 'शिक्षकोदय' प्रशिक्षण के माध्यम से प्रारम्भिक विधालयों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया अध्यापक कार्य करने के लिए मानसिक रूप से अभिप्रेरित है।

प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षकों को विभिन्न विषयों को रोचक एवम प्रभावी ढ़ग से पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया, साधन, प्रशिक्षण के माध्यम से समय प्रबन्धन, बहुकक्षा शिक्षण समेकित शिक्षा मूल्यांकन आदि विन्दुओं पर बल देकर प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया जिसका प्रभाव प्राथमिक विद्यालयों में परिलक्षित होने भी लगा है परन्तु पूर्व माध्यमिक विद्यालय अभी तक इस कार्य क्रम से पूरी तरह अछूते है डायट और डी0 पी0 ओ0 स्तर पर सर्वेक्षणों अनुवेक्षणों के उपरान्त महसूस किया गया कि 6-14 वष्र तक के सभी बच्चों के नामांकन साथ ही साथ विद्यालयों में बच्चों के ठहराव और शिक्षा के गुणवत्ता की सम्प्राप्ति तभी हो सकती है जब पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में उक्त के लिए विशेष प्रयास किये जाय। शिक्षकों, शिक्षाविदों, सन्दर्भ समूह के सदस्यों से विमर्श उपरान्त विद्यालयों में बच्चों के बीच जाकर आकलन किया गया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अभी हर लक्ष्य व उद्देश्य की सम्प्राप्ति के लिए सर्व प्रथम विद्यालयों में समुचित प्रबन्धन शिक्षकों के प्रशिक्षण और भौतिक संसाधन की उपलब्धता व सदुपयोग, साथ ही सामग्री निर्माण व उपयोग तथा शिक्षा एवम बाल मनोविज्ञान का प्रशिक्षण आदि की आवश्यकताओं की सम्पूर्ति करायी जाय, किटें एवं प्रयोगशाला तथा शारीरिक शिक्षा संगीत के उपकरण उपलब्ध कराये जांय।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विशेष पुनर्स्थापन प्रशिक्षण (SOPT) चल रहा है परन्तु इस में मात्र कुछ शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करते है।

सभी विषय शिक्षक यह प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करते है। वास्तविक कक्षा शिक्षण का अभाव साथही फीड बैंक, फालोअप, शिक्षण सामग्री संसाधनों आदि की अभाव होने के कारण सफल नहीं प्रतीत हो रहा है।

राज्य स्तर पर सामग्री प्राय: खरीदी हुई ही होती है, जिन से बच्चों का जुड़ाव नहीं हो पा रहा है जबकि जुड़ाव अनिवार्य है और दशा यह है कि किटें जो मौजूद भी है, निष्प्रयोज्य है।

एक गलत धारणा प्रचलित हो गयी है कि गणित और विज्ञान को जटिल, नीरस, कठिन विषय माना जाने लगा है ऐसे में ड्राप आऊट बढ़ रहा है, अत: धारणा स्वत: घटती जा रही है इस स्थिति में बदलाव अपेक्षित है इसके लिए गणित-विज्ञान के प्रति समझ नूतन ढ़ग से विकसित करनी होगी।

वास्तव में पू0मा0 शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण आवश्यक क्यों है इस पर शिक्षकों का भी ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए क्योंकि परम्परागत और नवीनतम शिक्षण पद्वतियों में सामंजस्य बैठाकर शिक्षक समुचित रूप से आवश्यकतानुरूप स्वयं को ढाल सकेगा।

शिक्षक के अनेक प्रकार के छिपे दबे कौशलों को उभार कर उन्हें जगाना, अभीष्ट सा हो गया है ताकि उन्हें बहु कक्षा- बहुस्तरीय की दशाओं में तथा नैतिकतापूर्ण माहौल बनाने, आकर्षक कक्षाकक्ष तैयार करने में उदासीनता से दूर रखा जा सके वे विद्यालय और समय प्रबन्धन की अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सके, इसके लिए भी उन्हें जगाना होगा।

कक्षा 6-8 के बच्चे किशोरावस्था के सोपान पर पहुंच रहे होते है उनकी मनोवृत्तियों का ज्ञान शिक्षक का प्रथम धर्म होता है यह भी देखना है कि उनका अधिगम स्तर क्या है, तथा उसमें कितना अपेक्षित सुधार किया जा सकता है ।

नये कलेवर में तैयार हो रही नव विकसित पाठ्य पुस्तकें कैसी है? विशिष्टता क्या है? इनका पाठन प्रस्तुतीकरण कैसे किया जाय । पुस्तकें छात्रों तक पहुचने के पूर्व ही इनका प्रशिक्षण (परिचयपरक) शिक्षकों को दिया जाना जरूरी है।

हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं को पाठ्यक्रम में विशेष महत्व नही दिया जा रहा है । फलत: बच्चे पूर्व माध्यमिक स्तर पर भी अपने में भाबायी दक्षता विकसित नहीं कर पाते हैं अनमें व्याकरणिक त्रुटियां उच्चारण और शब्द प्रयोगगत दोष, वर्तनी सम्बन्धी अशुद्वियों बढ़ती जा रही है इनका निराकरण शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा किया जायेगा।

भाषा शिक्षण में सामग्री क्या हो ? बहुउद्देशीय अधिगम सामग्री का भाषा शिक्षण में प्रयोग कैसे और कितना इसका प्रशिक्षण सामग्री निमार्ण कार्यशाला और उपयोग का प्रशिक्षण तथा किट का निर्माण व रख रखाव हेतु इसका भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अन्य विषयों यथा-सामाजिक विषय कृषि आदि शिल्प आदि में भी सामग्री निर्माण व प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। समाजो पयोगी उत्पादक कार्य, शारीरिक संगीत, स्काउटिंग का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

पू0 मा0 विद्यालयों में किशोरियों के नामंकन के साथ-साथ उन्हें शिल्प सम्बन्धी तथा अन्य समस्त प्रकार के जीवनों पयोगी व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति हो, उनकी झिझक घटाकर

अबलाभाव' से दूर करने वाले शिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही शिक्षकों और अभिभावकों को लिंग संवेदीकरण के प्रति सचेत बनाने का प्रयास किया जायेगा।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे काफी हद तक अभी भी उपेक्षित से हो रहे है जबकि वे पूरी तरह अक्षम नहीं हैं, उन्हें विशिष्ट ढंग से सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होगा।

विभिन्न विषयों के प्रति समझ विकसित करने दृष्टिकोण बदलने के साथ ही साथ नवीन विधियों, नवाचारों का विषयवार वास्तविक कक्षा शिक्षण अभ्यास भी कराया जायेगा जिससे कि प्रशिक्षण के अभीष्ट की प्राप्ति भी हो सके।

बच्चों में दक्षताओं का विभिन्न कोणों से विकास करने के साथ ही साथ साथ बच्चे धारण कितना कर पा रहे हैं धारण करने में क्या कोई ह्रास/ अवरोध भी है।अधिगमपठार कहां आ रहा है, इसका विश्लेषण करते हुए बच्चों की सतत-व्यापक मूल्यांकन करने हेतु शिक्षकों को तैयार किया जायेगा, वास्तव में यह मूल्यांकन उनके विभिन्न कौशलों-संज्ञानात्मक, भावात्मक, कियात्मक, पक्षों को साथ ही साथ शिक्षक और शिक्षण व्यवस्था का भी होता चलेगा।

शिक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक सहयोग प्रापत करने हेतु समुदाय को प्रशिक्षत करने के क्रम में ग्राम शिक्षा समिति/ शिक्षा अभिभावक संघ / शिक्षक माता संघ को प्रशिक्षत किया जायेगा।

शिक्षक आज न तो पाठ्यक्रम/पाठ्यवस्तु में कठिन स्थलों की तलाश कर रहा है न उनके निवारण के उपाय ढूंढ़ रहा है जबकि कतिपय कठिन स्थलों के कारण छात्रों के अधिगम में पठार आ जाता है। ऐसी स्थिति में डायट द्वारा चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षित करके कियात्मक शोध कराये जायेंगे। जिससे वे इन कठिनाइयों की स्वयं भी तलाश करके निवारण कर सकेंगे।

कम्प्यूटर सम्प्रति, जीवन के अन्तः क्षेत्रों में भी अनिवार्य स्थान लेता जा रहा है, भारत के बच्चे भी इनकी शिक्षा से वंचित न रहे इस हेतु, उनके शिक्षक प्रशिक्षत किया जायेंगे, डायट गोण्डा के द्वारा प्रत्येक विद्यालय से एक-2 शिक्षकों को प्रशिक्षण देन प्रस्तावित है।

बाल कविता और कहानी बच्चों की रूचियों का परिमार्जन करने में समर्थ है यह नाना नानी की पीढ़ी से ही प्रभाव पैदा करने लगते हैं और बच्चों को अपनी ओर खींच लेते है जनपद

में प्रतिष्ठित बाल रचना कारों के द्वारा कार्यशाला में बाल साहित्य की रचना करायी जायेगी और इनका प्रकाशन भी कराया जायेगा।

प्रत्येक स्तर पर रूचि पूर्ण प्रयास सफलता के मानदण्ड तय करने में समर्थ हो इसको ध्यान में रखते शिक्षण को विशेष रोचक बनाने हेतु अलग से कार्यशाला आयोजित की जायेगी-डायट के स्तर से:-

नव नियुक्त शिक्षकों और पदोन्नत प्रधानाध्यापकों को नूतन शिक्षण पद्वतियों से जोड़ने के लिए अलग से कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी-डायट स्तर पर,

डायट गोण्डा द्वारा शैक्षिक पृष्टि भूमि को सुदृण करने के कम में एक शैक्षिक प्रत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। इसके प्रकाशन के लिए सम्बन्धित/चयनित व्यक्तियों की एक कार्यशाला भी आयोजित की जायेगी जिसके बाद समुचित व्यवस्थापन द्वारा तय मासिक प्रत्रिका का प्रकाशन होगा।

इतने सारे प्रशिक्षण के कम में यह भी जरूरी है कि सर्व शिक्षा आभियान के संचालन का दायित्व जिनके कन्धों पर होगा वे भी प्रशिक्षण प्राप्त करें इस कारण डायेट गोण्डा ने तय किया है कि विभिन्न स्तरों/उद्देश्यों हेतु ए0 बी0 एस0 ए0,बी0 आर0 सी0, ABRC, NPRC, BSA, मेण्टर को पर्यवेक्षणीय/अनुश्रवण/अनुसमर्थन प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उपर्युक्त के साथ-साथ डायट द्वारा मासिक कार्यशालाओं हेतु एजेण्डे का निर्धारण करके ब्लाक स्तरों पर ये कार्यशालाओं आयोजित होगी प्रत्येक प्रशिक्षण के उपरान्त डायट में प्रशिक्षकों की अनुभव आदान प्रदान कार्यशाला तथा चिन्हित विद्यालयों में जाकर प्रशिक्षक शिक्षकों को शैक्षिक समर्थन और पश्चोषण प्रदान करेंगे।

चौथे वर्ष से शिक्षकों आदि को पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण प्रति वर्ष दिया जायेगा जिससे नवीन ज्ञान का शिक्षण में समावेश भी होता रहेगा।

इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष अनुपूरक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। यह अनुपूरक प्रशिक्षण चिन्हित कठिन स्थलों और अछूते विन्दुओं को केन्द्र बनाकर दिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान : गुणवत्ता सम्बर्द्धन कार्यक्रम

(पू0 मा0 विद्यालयों हेतु)

प्रथम वर्ष :-

नवीन विकसित पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण विधियों के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्द्धन हेतु पूर्वमाध्यमिक शिक्षकों में नूतन संचेतना का विस्तार व विकास करने वाला प्रशिक्षण

कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जो गुणवत्ता स्तर की न्यूनतम प्राप्ति व उसके सुदृढ़ीकरण तक चलता रहेगा। रूप रेखा संक्षेप में इस प्रकार है:-

1. **सन्दर्भ समूह चयन कार्यशाला का आयोजन:-**

ब्लाक के 20 से अधिक शिक्षकों को बुलाकर शिक्षा-शिक्षक और बच्चों के प्रति उनका नजरिया परखने वाली एक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा, इसी में से ब्लाक संदर्भ समूह के लिए और जिला सन्दर्भ समूह के लिए शिक्षक [प्राथमिक+पू0 मा0] चयनित होंगे।

* स्थल-बी0 आर0 सी0 * अवधि-एक दिवसीय * प्रकृति-अनावासीय

* प्रतिभागी-चयनित शिक्षक N.G.O

2. **विजनिंग कार्यशाला प्रतिभागी आधारभूत प्रशिक्षण:-**

* स्थल-डायट * प्रकृति-आवासीय * अवधि-8 दिवसीय

प्रतिभागी-ब्लाक समन्वयक, न्याय पंचायत प्रभारी डायट/डी0 पी0 ओ0 स्टाफ, जिला संसाधन समूह के सदस्य

* प्रशिक्षण क्यों ? परम्परागत शिक्षण * विज्ञान प्रयोगशाला और सूक्ष्मदर्शी

* भौतिक संसाधन नवीन पाठ्यक्रम पुस्तकें * MTLM, DPEP/ सर्वशिक्षा अभियान

3. **प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण:-**

3 दिवसीय, आवासीय, डी0आर0जी0 सदस्य, डायट

4. **माड्यूल निर्माण कार्यशाला:-**

* स्थल-डायट * प्रकृति-अनावासीय * अवधि-5 दिवसीय

प्रतिभागी-समस्त संसाधन समूह/ पू0 मा0 शिक्षक(चयनित) कोर टीम सदस्य

5. **विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण:-(गणित, विज्ञान)**

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-(7+7 दिन)

प्रतिभागी-समस्त पू0 मा0 गणित/विज्ञान अध्यापक

स्थल-डायट द्वारा निर्धारित 1 या 2 केन्द्रों पर

6. गणित विज्ञान से सम्बन्धित किट व सामग्री निर्माण व प्रयोग कार्यशाला

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-दिवसीय (3+3 दिन)

* प्रतिभागी-समस्त गणित,विज्ञान शिक्षक

* स्थल-डायट द्वारा तय 2-3 केन्द्र

7.**सामग्री प्रदर्शनी** :- (पहले ब्लाक, फिर जिला स्तर पर)

* प्रकृति-अनावासीय, गणित-विज्ञान से सम्बन्धित *अवधि-एक दिवसीय

* प्रतिभागी-ब्लाक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय से तथा जिला स्तर पर प्रत्येक ब्लाक जो एक-एक शिक्षक

* स्थल-बी0 आर0 सी0 / डायट (यथावश्यक)

8.**अनुश्रवण-अनुसमर्थन प्रशिक्षण कार्यशाला:-**

* प्रकृति-अनावासीय *अवधि-4 दिवसीय

* प्रतिभागी-बी0आर0सी0,ए0बी0एस0ए0,एस0डी0आई0,बी0एस0ए0,जिला संसाधन समूह सदस्य,

* स्थल-डायट

9.**एजेण्डा निर्धारण कार्यशाला** :-(जिला कोरटीम द्वारा)

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-एक दिवसीय (प्रत्येक त्रय मासिक)

* प्रतिभागी-शिक्षक(चयनित) * स्थल-डायट

10. **मासिक ब्लाक स्तरीय कार्यशाला** :-जिला कोर टीम/डायट द्वारा तय एजेण्डे के अनुसार बी0आर0सी0 पर एक दिवसीय कार्यशाला प्रत्येक माह,

11.**शैक्षिक समर्थन एवं पश्चपोषण** :- (प्रत्येक प्रशिक्षण की समाप्ति पर)

* एक दिवसीय कार्यशाला डायट में

* प्रतिभागी-डायट मेण्टर,डी0पी0ओ0 मेण्टर, प्रशिक्षण कार्य, बी0आर0सी0,

* प्रशिक्षण गण अलग-2 विद्यालयों में शिक्षकों के बीच जाकर दिये हुए प्रशिक्षण को लागू कराने में शिक्षकों को सहयोग, समर्थन करेंगे साथ ही स्वयं अगले प्रशिक्षण के लिए फीट बैंक भी प्राप्त करेंगे,

12 .**कौशलात्मक प्रशिक्षण** :-(बहुकक्षा,बहुस्तरीय, आदि सहित)

* प्रकृति-अनावासीय *अवधि-3 दिवसीय *प्रतिभागी-समस्त शिक्षक

13.**समय एवं विद्यालय पबन्धन** :-(बाल सरकार, समय प्रबन्धन, भौतिक प्रबन्धन, शैक्षिक अतिरिक्त प्रबन्धन)

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-4 दिवसीय * स्थल-बी0आर0सी0

नोट :- जनपद गोण्डा के लिए औसतन 70 प्रतिशत प्रति शिक्षक की दर से प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण और कार्यशाला के लिए कुल 10 लाख रूपये प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष :-

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा द्वितीय वर्ष में पूर्व मा0 शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान सम्बन्धी कार्यशाला एवं विभिन्न विषयों से सम्बंधित कार्यशाला आयोजित किया जायेगा। जिसका उद्देश्य छात्रो के विषयवार शैक्षिक संम्प्राप्ति में वृद्धि करना है । विशेष रूप से किशोर बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया जायेगा ।

14. **शैक्षिक बाल मनोविज्ञान** कार्यशाला :-

* प्रकृति -अनावासीय * अवधि -3 दिवसीय * प्रतिभागी -समस्त शिक्षक

* स्थल -बी0 आर0 सी0

15. **नव विकसित पाठ्य पुस्तकों** का **परिचय** :-

* प्रकृति -अनावासीय * अवधि -3 दिवसीय * प्रतिभागी -समस्त शिक्षक

* स्थल -बी0 आर0 सी0

16.**भाषा दक्षता विकास कार्यशाला**:- (हिन्दी,अंग्रेजी, संस्कृत,उर्दू)

* प्रकृति -अनावासीय * अवधि -8 दिवसीय

* प्रतिभागी -समस्त शिक्षक (विभिन्न भाषाओं के) * स्थल -डायट

विषेष :- अलग-2 **विषयों** के लिए अलग-2 दिनों में अलग-2 विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षण केन्द्र पर विशेष रूप से बुलाकर,

17. **भाषा गत शिक्षण सामग्री** व प्रयोग **कार्यशाला** :-

* प्रकृति -अनावासीय * अवधि -3 दिवसीय (बी0 आर0 सी0 व डायट पर)

* प्रतिभागी -विषय शिक्षक * स्थल -डायट

18. **भाषा शिक्षक सम्बन्धी सामग्री मेला** :-

* प्रकृति -अनावासीय * अवधि -1 दिवसीय ब्लाक पर, 1 दिवसीय डायट पर

* प्रतिभागी -विषय शिक्षक * स्थल -बी0 आर0 सी0 /डायट

19. **अनुश्रवण, अनुसमर्थन प्रशिक्षण** :- प्रथम वर्ष की भाँति

20. **एजेण्डा निर्धारण कार्यशाला** :- प्रथम वर्ष की भाँति

21. मासिक ब्लाक स्तरीय कार्यशाला :- प्रथम वर्ष की भांति

22. **शैक्षिक अनुसमर्थन एवं पश्चपोषण** :- प्रथम वर्ष की भांति

नोट :- जनपद के लिए द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणों कार्यशालाओं के लिए 10 लाख रूपये प्रस्तावित हो।

23. **किशोरी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम** :- अनावासीय, 3 दिवसीय, समस्त शिक्षक,बी0 आर0 सी0,

तृतीय वर्ष

तृतीय वर्ष में समाज के हर वर्ग के लिए शिक्षा की सकंल्पना हेतु विशिष्ट बच्चों की शिक्षा को समावेशित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त भाषा के अतिरिक्त अन्य विषयों के शिक्षण एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु विभिन्न कार्यक्रम निहित हैं ।

24- सगेकित (विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की) शिक्षा प्रशिक्षण :-

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-3 दिवसीय * प्रतिभागी-समस्त शिक्षक

* स्थल-बी0 आर0 सी0

25. **सतत् व्यापक मूल्यांकन कार्यशाला** :-

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-2 दिवसीय * प्रतिभागी-समस्त शिक्षक

* स्थल-बी0 आर0 सी0

26. **सामाजिक विषय,कृषि, स0इ0की0 शिक्षण कार्यशाला** :-

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-5 दिवसीय * प्रतिभागी-समस्त शिक्षक

* स्थल-चयनित बी0 आर0 सी0/डायट

27. **शारीरिक शिक्षा, संगीत आधारित कार्यशाला** :-

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-4 दिवसीय

* प्रतिभागी-विषय शिक्षक (नियुक्ति/चयनित) * स्थल-डायट

28. **शेष विषयों की सामग्री तथा किट निर्माण प्रयोग कार्यशाला** :-

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-3 दिवसीय * प्रतिभागी-सम्बन्धित विषय शिक्षक

* स्थल-चयनित बी0 आर0 सी0/डायट

29. **शेष विषयों से सम्बन्धित सामग्री मेला** :- एक दिवसीय, बी0 आर0 सी0 पर सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा।

30. **अनुश्रवण अनुसमर्थन प्रशिक्षण कार्यशाला** :- द्वितीय वर्ष की भांति

31. **एजेण्डा निर्धारण कार्यशाला** :- द्वितीय वर्ष की भांति

32. **मासिक ब्लाक स्तरीय कार्यशाला** :- द्वितीय वर्ष की भांति

33. **शैक्षिक समर्थन एवं पश्चपोषण** :- द्वितीय वर्ष की भांति

नोट :- जनपद गोण्डा के लिए त्रतीय वर्ष के लिए प्रशिक्षण मद में 10 लाख रूपये प्रस्तावित।

चतुर्थ वर्ष :-

सर्वशिक्षा अभियान के चर्तुथ वर्ष में विषयवार कक्षा शिक्षण का प्रयोगात्मक रूप देने हेतु शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की जायेगी । इसके अतिरिक्त किशोरों की शिक्षा एवं विभिन्न समितियों के सहयोग प्राप्त करने हेतु कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

34. **विषयवार कक्षा शिक्षण अभ्यास कार्यशाला** :-

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-7 दिवसीय * प्रतिभागी-सभी शिक्षक

* स्थल- बी0 आर0 सी0

35. **सेवारम्भ प्रशिक्षण** :-

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-10 दिवसीय * प्रतिभागी-समस्त नवनियुक्ति शिक्षक

* स्थल-डायट

36. **जनसंख्या शिक्षा, किशोरी शिक्षा, लिंग संवेदी करण कार्यशाला** :-

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-5 दिवसीय * प्रतिभागी- शिक्षक

* स्थल-चयनित बी0 आर0 सी0

विशेष:-अन्तिम दिवस में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी

37. **कार्यानुभव एवम पर्यवेक्षणीय प्रशिक्षण** :-

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-5 दिवसीय
* प्रतिभागी-डायट प्रवक्ता, ए0 बी0 एस0 ए0,बी0 आर0 सी0,NPRC *स्थल-डायट

38. **ब्लाक सन्दर्भ समूह प्रशिक्षण** :-

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-3 दिवसीय * प्रतिभागी-बी0 आर0 सी0 सदस्य
* स्थल- बी0 आर0 सी0

39. **ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण** :- [माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ/कोरटीम]

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-3 दिवसीय * प्रतिभागी-ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्य

* स्थल-NPRC

40. **अनुश्रवण,अनुसमर्थन कार्यशाला** :- प्रथम, द्वितीय, त्रतीय वर्ष की भांति

41. **एजेण्डा निर्धारण कार्यशाला** :- प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की भांति

42. **मासिक ब्लाक स्तरीय कार्यशाला** :- प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की भांति

43. **शैक्षिक समर्थन एवं पश्चपोषण** :- प्रथम, द्वितीय, त्रतीय वर्ष की भांति

44. **पुनर्बोधात्मक प्रेशिक्षण** :-

विशेष :- इस वर्ष के लिए 10 लाख रूपये व्यय प्रस्तावित है।

पंचम वर्ष

सर्वशिक्षा अभियान का पंचम वर्ष विशिष्ट उपलब्धियों की जानने का हैं । इसके अर्न्तगत क्रियात्मक शोध, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, बाल साहित्य रचना , रूचिपूर्ण शिक्षण आदि कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा ।

45. **कियात्मक शेध कार्यशाला** :-

* प्रकृति -आवासीय * **अवधि**-6 दिवसीय

* **प्रतिभागी** -डायट स्टाफ, बी0 आर0 सी0 चयनित शिक्षक (पू0 मा0)

* **स्थल** -डायट एवं चयनित विद्यालयों में

46. **कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यशाला** :-

* प्रकृति -आवासीय * अवधि-30 दिवसीय

* प्रतिभागी -डायट/डी0 पी0 ओ0 स्टाफ चयनित बेसिक शिक्षक

* स्थल -डायट/डी0 पी0 ओ0

47. **बाल साहित्य रचना कार्यशाला** :-

* प्रकृति -अनावासीय * अवधि-4 दिवसीय

* प्रतिभागी -डायट द्वारा सूची बद्व जनपद के रचना कार(कवि, कहानीकार)

* स्थल -डायट

48. **रूचिपूर्ण शिक्षक कार्यशाला** :-

* प्रकृति -अनावासीय * अवधि-5दिवसीय * प्रतिभागी -चयनित शिक्षक

* स्थल -डायट/विद्यालयों में कक्षा-अभ्यास भी।

49. **पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण** :- चतुर्थ वर्ष की भांति।

50. **अनुश्रवण, अनुसमर्थन कार्यशाला** :- पूर्व के वर्षो की भांति

51. एजेण्डा **निर्धारण कार्यशाला** :- पूर्व के वर्षो की भांति

52 **मासिक ब्लाक स्तरीय कार्यशाला** :- पूर्व के वर्षो की भांति

53. **शैक्षिक समर्थन एवम् पश्चपोषण** :- पूर्व के वर्षो की भांति

विशेष :-प्रशिक्षण के लिए 10 लाख रूप्ये व्यय प्रस्तावित है।

अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम :- (पू0 मा0)

नवागत प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण(प्रबन्धकीय, अकास्मिक, प्रशासनिक दक्षताओं हेतु।

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-4 दिवसीय

* प्रतिभागी-समस्त प्रोन्नत/प्रभारी प्रधानाध्यापक * स्थल-डायट

55. **पत्रिका प्रकाशन हेतु, डायट स्तर पर प्रत्येक ब्लाक से डायट द्वारा चयनित शिक्षकों की कार्यशाला** :-

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-4 दिवसीय

* प्रतिभागी- सूचीबद्व (डायट द्वारा) शिक्षाविद, **शिक्षक** लेखक तथा अन्य **विशेषज्ञ**

* स्थल-डायट

विशेष:-पत्रिका त्रय मासिक होगी।

56. **अनुपूरक कार्यशाला** :- समीक्षा एवं विश्लेषणों के उपरान्त प्रत्येक वर्ष आवश्यकता आधारित कार्यशाला करायी जायेगी, इस कार्यशाला से पूर्व या इस के दौरान चिन्हित आवंटित स्थलों का चयन कर लिया जायेगा, जिन पर या तो पूर्व में ध्यान नहीं गया था या जहां कोई कमी रह गयी थी।

* प्रकृति-अनावासीय * अवधि-5 दिवसीय * प्रतिभागी-यथावश्यक प्रतिभागी

* स्थल-डायट/बी0 आर0 सी0

विशेष:- प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्ण जिला संसाधन समूह के सदस्यों/शिक्षक-प्रशिक्षकों को समय-समय पर यथावश्यक प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था डायट/SPO द्वारा की जाती रही है।

अन्य विशेष कार्यक्रम :-

- जनपद/डायट स्तर पर शैक्षिक पत्रिका का त्रय मासिक प्रकाशन किया जायेगा।

- प्रत्येक पू0 मा0 विद्यालय में एक प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। जिससे छात्रों का अधिगम सुगमता से बढ़ सके।
- विज्ञान की पाठ्य वस्तु को सरल, सुगम और व्यवहारिक बनाया जायेगा तथा इसे पर्यावरण से अंशत: जोड़ा जायेगा।
- अभिभावक संगोष्ठी प्रतिवर्ष 2 बार करायी जायेगी जिस में नामांकन, ठहराव और किशोरी शिक्षा पर बल दिया जायेगा और उनका सहयोग मांगा जायेगा।
- प्रत्येक विद्यालय में पुरातन छात्र परिबद का गठन किया जायेगा, वर्ष में 2 बार बैठकें की जायेगी और प्रत्येक जन अभियान में उनका सहयोग लिया जायेगा।
- विद्यालयी और शैक्षिक कार्यो में सामुदायिक शिक्षक की नियुक्ति करके उनका तथा स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों का सहयोग जिया जायेगा।
- एकाडमिक मानीटरिंक और सपोर्ट पैनल का गठन किया जायेगा जो कार्यक्रमों की गुणवत्ता आदि बढ़ाने में लगे रहेंगे।
- शारीरिक शिक्षा, स्काउटिंग, कला, संगीत के लिए विषय शिक्षकों और पैराशिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी (प्रत्येक विद्यालयों)
- शारीरिक शिक्षा, संगीत आदि के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे । (प्रत्येक स्कूल)
- कार्याधारित प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार की व्यवस्था की जायेगी। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष ब्लाक, स्तर पर फिर जिला स्तर पर एक-एक या अधिक शिक्षकों को पुरस्कृत किया जायेगा। इस पुरस्कृत का आधार शिक्षक का कौशल,छात्र नामांकन, ठहराव गुणवत्ता सम्प्राप्ति, विद्यालय के समय प्रबन्धन आदि को आधार माना जायेगा।
- मकतब/ मदरसों के शिक्षकों को भी एस0 एस0 ए0 से जोड़कर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलायेंगे।
- संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को भी प्रशिक्षत कार्यक्रमों में जोड़ा जायेगा।

अन्य प्रशिक्षण (प्राथमिक)

बच्चों के अधिगम स्तर को ऊचां उठाने के लिए उक्त प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रयास किया जाना आवश्यक तो है ही इसके साथ-साथ गुणक्ता संवर्धन हेतु कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षणों का भी आयोजन डायट स्तर पर किया जायेगा ।

(1) **शिक्षा मित्र आचार्य जी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण**-वर्तमान परिस्थियों में अध्यापकों की रिक्त कमी को शिक्षा मित्रों द्वारा पूरा किये जाने का लक्ष्य है अभी भी एकल विद्यालय की परिस्थिति में कोई भी प्राथमिक विद्यालय एकल नही रहेगा इन शिक्षा मित्रों को आधारीय प्रशिक्षण 30 दिन दिया जाता हैं । इसके उपरान्त इन्हे डायट के नेतृत्व में 15 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

(2) **वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण**-डायट के निर्देशन में जनपद स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों को आधार भूत प्रशिक्षण 15 दिन तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण 10 दिन दिया जायेगा ।

(3) **ई0 सी0 सी0 ई0 का प्रशिक्षण**-। बाल विकास परियोजना अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर आगंन बाड़ी केन्द्रो का संचालन पूर्वशिक्षा हेतु किया जाता हैं । जिसमें इनकी कार्यकर्ताओं एवं सहायिको का प्रशिक्षण सात दिवसीय कराया जायेगा ।

(4) **सर्व शिक्षा अभियान का प्रशिक्षण**-डायट स्तर पर डायट के प्रव्क्ताओं जनपद संसाधन समूह आदि को कार्यक्रम के उचित विकास एवं संचालन हेतु राज्य परियोजना द्वारा नामित सन्दर्भ दाताओं द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

(5) **पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण**- कार्यक्रम की परख एवं मूल्यांकन हेतु ए0बी0एस0ए0 तथा बी0आर0सी0 को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । जिसके बिन्दुओं का निर्धारण जनपदीय कोर टीम द्वारा किया जायेगा ।

(6) **ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण**-ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रियता प्रदान करने के उद्देश्य से ब्लाक सन्दर्भ दाताओं का चयन करके उन्हे तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं । परन्तु प्राय: देखने में आया हैं । कि ग्राम शिक्षा समिति या तो निष्क्रिय है अथवा विद्यालयों से जुड़ाव बहुत कम है इसके लिए जनपद स्तरीय कोर टीम द्वारा समिति को सक्रियता देने हेतु नई रणनीति बनाकर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

(7) **कार्यानुभव प्रशिक्षण**-जनपद स्तर पर एक टीम तैयार करके उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा । जिसमें उन्हे परिवेशीय उपलब्धता के आधार पर बच्चों में वह कौशल पदान किया जायेगा । जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें तथा उनके अन्दर कौशल का विकास हो सकें । जैसे

-सन से रस्सी बनाना, बांस से पंखा बनाना, डलिया बनाना पत्तों से पत्तल दोना तैयार करना आदि ।

इस प्रशिक्षण के फालोअप के लिए डायर द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा केआधार पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी । इसका प्रशिक्षण कम से कम 5 दिवस का होगा ।

(8) <u>लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण</u>- जनपद गोण्डा में बालिकाओं को नामांकन की दर अपेक्षाकृत कम होने का एक मात्र कारण है कि यहां की महिलाए साक्षरता में अत्यन्त कम हैं। ऐसी दशा में बालिकाओं के नामांकन के लिए महिलाओं को अभिप्रेरित करना समुदाय को बालिका अशिक्षा से होने वाली हानियों एवं आवश्यकताओं पर बल देने की जरूरत हैं ।

बालिकाओं के प्रति व्यवहार में संवेदनशीलता लाने हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा । जिसमें डायट द्वारा नामित कम से कम दो शिक्षक एक प्राथमिक तथा एक उच्चप्राथमिक प्रति भाग करेगें । इसमें कुछ और भी प्रयास किए जायेगें -

1. महिला कोरटीम का गठन एवं प्रशिक्षण (प्रत्येक स्तर पर)
2. न्याय पंचायत स्तर पर पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बालिका मेला का आयोजन ।
3. नुक्कड़ नाटक (कला जत्था द्वारा)
4. शिक्षा विभाग की महिला कोर टीम द्वारा प्रत्येक मेलो में प्रतिभाग ।
5. दृव्य श्रव्य कार्यक्रम ।
6. मीना कैम्पेन ।
7. सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना ।

(9) <u>नवनियुक्त शिक्षकों का समेकित प्रशिक्षण</u>-जनपद में समय-समय परनये अध्यापकों का चयन होता रहता है जैसे बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त विशिष्ट बी0टी0सी0 मृतक आश्रित आदि परन्तु उन्हे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए डायट स्तर पर एक समेकित प्रशिक्षण का आयोजन कर उन अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

इसके लिए शिक्षकोदय , सबल एवं साधन के कुछ आवश्यक अंशों को सम्मिलित कर एक दस दिवसीय प्रशिक्षण माडयूल तैयार किया जायेगा जिसमें जनपद के एस0आर0जी0 डायट के प्रवक्ता एवं जनपद के योग्य प्रशिक्षकों की कार्यशाला आयोजित कर रणनीत एवं साहित्य तैयार किया जायेगा ।

शोध एवं मूल्यांकन -

जनपद गोण्डा की अपनी शैक्षणिक परिस्थिति सामाजिक परिस्थिति तथा भौगोलिक परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए डायट के निर्देशन में शैक्षिक कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्य का होना आवश्यक प्रतीत होता हैं ।

डायट द्वारा गणित कोर टीम सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े समस्त विन्दुओं पर शोध कार्य करेगी इसके लिए डायट द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश दिया जायेगा ।

शोध कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों में यह दक्षता विकसित की जायेगी जिससे शैक्षिक समस्याओं का समाधान स्वयं वे ढूढ़ सकें एवं कारण जान सकें । उसका निवारण भी एन0पी0आर0सी0 स्तर पर कर सकें ।

इस प्रकार डायट स्तर पर प्रत्येक वर्ष डायट स्तर पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा । इसमें राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद एवं सीमेंट इलाहाबाद का भी आवश्यक दिशा निर्देश लिया जायेगा ।

क्रियात्मक शोध के आवश्यक बिन्दुओं को संकुल एवं विद्यालय स्तर पर लिया जायेगा-

(i) बालिकाओं के नामांकन की कमी । (ii) विद्यालयों से छात्रों का पलायन ।
(iii) कक्षा 5 पास कर चुके सभी बच्चों का कक्षा 6 में नामांकन का न होना ।
(iv) सेवारत प्रशिक्षणों का प्रभाव कम होना ।
(v) गणित विषय में अधिगम स्तर की कमी।
(vi) विषय अध्यापकों में विषय के प्रति अरूचि ।
(vii) विशेष लांग बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ाने के उपाय ।
(viii) मध्यान्तर के बाद छात्रों की उपस्थिति कम होना ।
(viiii) दुर्गम क्षेत्रों की भौगोलिक समस्याओं का अध्ययन ।
(x) बाल श्रमिक एवं घुमन्तू बच्चों का विद्यालयों मे ठहराव ।
(xi) व्यवसायिक शिक्षा देने की आवश्यकता ।
(xii) शिक्षक अनुदान एंव विद्यालय अनुदान का सार्थक उपयोग कैसे हो ।
(xiii) एन0पी0आर0सी0 के शैक्षिक भ्रमण में आने वाली कठिनाइयों का समाधान कैसे हो ।
(xiv) शिक्षक प्रशिक्षण का क्रियान्वयन कैसे हो ।
(xv) विद्यालय प्रबन्धन में सामुदायिक सहभागिता ।
(xvi) कक्षा में धीमी गति से सीखने का कारण व कारगर उपाय ।
(xvii) उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक को प्रोत्साहन देने के साथ ही साथ अन्य अध्यापकों को उसी तरह कार्य करने के लिये अभिप्रेरित करने के तरीके ।
(xviii) बहुकक्षा शिक्षण शिक्षण में एक से अधिक विषयों को कैसे पढ़ाया जाय ।
(xviiii) राष्टीय पर्वो पर समाज की भागीदारी कैसे हो ।

(xx) विद्यालय में कम उपस्थित रहने वाले बच्चों के कारण एवं निदान ।

(xxi) सकुल स्तर पर विद्यालयों का शैक्षणिक मूल्यांकन कैसे हो ।

(xxii) विभिन्न स्तर के अध्यापकों का एक ही स्तर का प्रशिक्षण आवश्यक है पता करना ।

शिक्षण समय को बढाना

विद्यालयों में सभी विषयों का सम्यक ज्ञान देने हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समय विभाजन चक्र का उपयोग किया जाता हैं ।

शैक्षिक सत्र में कुल 220 दिन कार्य दिवस के रूप में होते हैं जिसमें से मात्र 160 तथा 165 दिवस ही शिक्षण कार्यो के लिए मिल पाते हैं ।

सारणी-9.

	प्राथमिक स्तर	पूर्व माध्यमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
समुदाय से सम्पर्क(नामांकन एवं सहयोग)	10	10
मासिक बैठक (एन0पी0आर0सी0 -बी0आर0सी0)	20	10
सरकारी कार्यो में नष्ट हो जाने वाले दिन	10	10
अन्य कार्य	10	10
परीक्षा	10	15
शिक्षण दिवस	160	165

श्रोत-डायट द्वारा कराये गये अध्ययन वर्ष 2001

विद्यालय 220 दिन खुलता हैं, परन्तु नामांकन तथा ग्रीष्म अवकाश आदि के कारण बन्द रहने पर समुदाय का सहयोग आदि लेने में 10 दिन का समय नष्ट हो जाता हैं ।

प्राथमिक विद्यालयों में N.P.R.C. तथा B.R.C. की बैठकों में भी 20 दिन का समय लगता हैं । तथा उच्च प्राथमिक में N.P.R.C. या B.R.C. न जाने के कारण 10 दिन का समय लगता हैं । सरकारी कार्यो के प्रति भी (बैंक कार्य, छात्रवृत्ति आदि) में भी 10 दिवस का समय लगता हैं ।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्राय: अन्य कार्यो जैसे व्यक्तिगत टूनामेन्ट (क्रीडा,प्राथमिक) बोटर लिस्ट पल्स पोलियों चुनाव आदि में 10 दिन का समय नष्ट हो जाता हैं ।

वर्ष में अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं में प्राथमिक में 10 दिवस तथा उच्च प्राथमिक में 15 दिवस लग जाते है ।

स्कूल समय सारणी (साप्ताहिक)

सारणी-9.

	प्राथमिक स्तर	पूर्व माध्यमिक स्तर
हिन्दी	40 मिनट x 9	40 मिनट x 9
अंग्रेजी	40 मिनट x 3	40 मिनट x 3
संस्कृत/उर्दू	40 मिनट x 3	40 मिनट x 3
गणित	40 मिनट x 9	40 मिनट x 9
विज्ञान	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6
सामाजिक विषय	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6
समाजोपयोगी कार्य	40 मिनट x 4	40 मिनट x 4
कला शिक्षण	40 मिनट x 3	40 मिनट x 3
शारीरिक शिक्षा	40 मिनट x 3	40 मिनट x 3
कृषि शिक्षा /शिल्प / प्रा0	40 मिनट x 3	40 मिनट x 3

श्रोत डायट गोण्डा

प्राथमिक विद्यालय:-

उपरोक्त सारणियों से स्पष्ट होता है कि हमे विद्यालय प्रबन्धन में समय-विभाजन चक्र के अनुसार प्रत्येक विषय के प्रति कुछ समय बढ़ाने की आवश्यकता हैं ।

डायट स्तर पर जनपदीय कोर टीम की सहायता से शिक्षण समय को और अधिक बढ़ाने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा । जिसके फलस्वरूप आवश्यका दिशा निर्देश के साथ समय सारिणी का निर्माण किया जायेगा । जिससे शिक्षण समय को और अधिक बढ़ाया जा सके ।

पाठ्य सामग्री

डी0पी0ई0पी0 अर्न्तगत नवविकसित पाठ्य पुस्तकें प्राथमिक कक्षाओं को जुलाई में लागू किया गया इन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। उसके पश्चात एस. सी. ई. आर. टी. उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का यथा आवश्यक संसोधन किये जाने पर तद्नुरुप पाठ्य पुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से प्राथमिक विद्यालयो के सभी बालक बालिकायें लाभान्वित हुये है।

नवीन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाएं डी. पी. ई. पी. के अनतर्गत विकसित कर विद्यालयों को उपलबध कराई गयी।

नवीन पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संसोधन किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण द्वारा इस बात के लिये प्रोत्साहित किया गया। कि वे इसका अधिकत्म उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इसका फालों अप बी. आर. सी. तथा एन. पी. आर. सी. द्वारा किया जा रहा है।

कक्षा 6-० के लिये संसोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस. नी. ई. आर. टी. के. तत्वाधान में किया जा रहा है। ये पाठ्य पुस्तकें एस. सी. ई. आर. टी. के विशिष्ट संस्थानों राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों शिसकों बाह्य विशेषयों आदि के सहयोंग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया में अर्न्तगत विकसित की जा रही है।

इन पाठ्य पुस्तकों की फील्ड ट्रायलिग की जा रही है जुलाई 2002 से आरम्भ होने वाले क्षैशिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जा रहा है जो उच्य प्राथमिक विद्यालयो को नि:शुल्क प्राप्त कराया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति तथा जन जाति के बालकों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्त्कें उपलब्ध करायी जायेगी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नांमाकित सभी बच्चे लाभान्वित होगें तथा इस पर अनुमान धनराशि 60 लाख व्यय होगी।

<u>किशोरी बालिकाओं के लिये पाठ्य सामग्री</u>- सर्व शिक्षा अभियान में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया गया है उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी। जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह से तैयार कर सके। यह विशेष रुप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकायें जीवनोपयोगी कौशल का यथेष्ट एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सके । इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी ।

<u>गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका</u>-डायट द्वारा जनपद में प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक समर्थन प्रदान किया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिये योजनाये बनायी जायेंगी जिसकी सफलता के लिये जनपद स्तर पर ब्लाक स्तर पर तथा न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन किया जायेगा । डायट द्वारा शैक्षिक पर्यवेक्षण किया जायेगा । विद्यालयों का श्रेणी करण किया जायेगा । अभिकर्मियों की क्षमताओं का विकास शोध एवं मूल्यांकन कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा । । डायट द्वारा इन कार्यक्रमों का अनुश्रवण, सामग्री विकास ई0एम0आई0एस0 आगड़ों का विश्लेषण आदि दायित्वों को पूर्ण किया जायेगा।

डायट का मुख्य उददेश्य होगा शिक्षकों को उनके कार्य स्थल पर सहयोग व समर्थन प्रदान करने की रणनीतियों का विकास करनके हेतु संस्थागत क्षमता का विकास करना । इस परिपेक्ष्य में डायट द्वारा निम्न क्षेत्रों पर कार्य किया जायेगा।

क्षमता क़ा विकास -जनपद स्तर पर डायट द्वारा शैक्षिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा उसके द्वारा सम्पादित कार्य मुख्य बिन्दु है -

1. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु एवं शिक्षण विधाओं पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना ।
2. बी0 आर0 सी0 एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयकों को पर्यवेक्षण के लिये प्रशिक्षित करना ।
3. वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।
4. वी0ई0सी0 को प्रशिक्षित करना ।
5. ई0 सी0 सी0 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करना ।
6. समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण देना ।
7. विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को कार्यक्रम से जोड़ना ।
8. स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।
9. नवीनतम शोध मूल्यांकन का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित करना ।
10. ए0बी0एस0ए0 एस0डी0आई0 0ी0आर0 सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों संकुल प्रभारीयों की क्षमताओं का विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से करना ।

डायट की क्षमता के विकास के लिये भी संस्थागत क्षमता कार्यक्रम लागू किया जायेगा। डायट के सदस्यों को राज्य स्तर के संस्थानों में प्रशिक्षित करके उनकी क्षमता का विकास किया जायेगा । बाहय संस्थानों के अनुभवी व्यक्तियों से वार्ता एवं व्याख्यानों का आयोजन किया जायेगा । विभिन्न प्रशिक्षणें द्वारा डायट के सदस्यों में नेतृत्व की क्षमता प्रबन्धन एवं नियोजन की क्षमता पर्यवेक्षण की क्षमता तथा शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा ।

<u>शैक्षिक संदर्भ समूह का गुदृढीकरण</u>-जनपद स्तर पर शैक्षिक संसाधन समूह का गठन किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाहय विशेपज्ञ शिक्षाविद हाईस्कूल तथा इण्टर स्तर के योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं । इसका कार्य जनपद स्तर पर गणवत्ता विकास के लिये कार्यक्रमों का नियोजन कियान्वयन तथा अनुश्रवण करने गुणवत्ता विकास के लिये विभिन्न कार्यक्रमों प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैंक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना हैं । जनपद के शैक्षिक उन्नयन में एकादमिक संदर्भ समूह का महत्वपूर्ण स्थान है अत: इसकी क्षमताओं के संर्वद्धन हेतु एस0सी0आर0टी0 के सहयोग से क्षकता विकास कार्यशाला एवं विजय निर्माण हेतु कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी ।

इन कार्यशालाओं के मुख्य बिन्दु होगें । अकादमिक पर्यवेक्षण विषय शिक्षण स्कूल प्रबन्धन शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि ।

<u>स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी</u>– सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत शासकीस संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों जो संसाधन उपलब्ध है उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षकता विकास व अकादमिक संदर्भ समूह को सक्रिय बनाने में लिया जायेगा । जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा उनका चयन किया जायेगा ।

<u>कम्प्यूटर प्रशिक्षण</u>–डायट गोण्डा में कम्प्यूटर की व्यवस्था सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जायेगी । प्रशिक्षण तथा शैक्षिक कार्यक्रमों में इसके बढ़ते हुये महत्व को देखते हुये डायट के सदस्यों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी । सर्वशिक्षा अभियान में उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है अतः डायट स्तर पर शिक्षकों को भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

<u>शिक्षण सामग्री का विकास</u>–डायट स्तर पर एन0पी0आर0सी0 बी0आर0सी0 समन्वयकों कुशल अध्यापकों की सहभागिता से शिक्षण को सुगम बनाने हेतु शिक्षा सामग्री तथा अनुपूरक शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा ।

शिक्षण को रूचिकर बनाने के लिये अधिगम को सरल बनाने में सहायक शिक्षण सामग्री की महती भूमिका को देखते हुये प्राथमिक शिक्षकों को 500 रूपये डी0पी0ई0पी0 द्वारा प्राप्त कराये जाता है जिससे शिक्षक अपने विषय वस्तु के अनुसार पोस्टर चार्ट माडल तथा अन्य उपकरणों का निर्माण करता हैं। सर्वशिक्षा अभियान में इस अनुदान को जारी रखा जायेगा तथा आगे भी 500 रूपये का अनुदान शिक्षकों को प्रदान किया जायेगा । उच्च प्राथमिक स्तर पर भी इस तरह का अनुदान सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता हैं । विज्ञान किट के उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिये जायेगें ।

न्याय पंचायत स्तर पर मेटीरियल मेले का आयोजन किया जायेगा जिससे अध्यापको में निहित क्षमताओं का विकास हो सके शिक्षण सामग्री मेले का आयोजन जनपद व ब्लाक स्तर भी किया जायेगा।

<u>कार्यशाला एवं गोष्ठियों का आयोजन</u>–प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्रा0वि0 की विभिन्न समस्योओं के निराकरण हेतु कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों की जायेगी इन गोष्ठियों के द्वारा अनुपूरक अध्ययन सामग्री का निर्माण बच्चों की सम्प्राप्ति के आंकड़ों पर चर्चा एवं निष्कर्ष मूल्यांकन हेतु परीक्षण सामग्री निर्माण स्कूल

पूर्व शिक्षा के लिये कक्ष कविता संग्रह रूचि पूर्ण शिक्षण किशोरी बालिकाओं की समस्योओं से सम्बन्धित गोष्ठी विशेष बच्चों के शिक्षण से सम्बन्धित समस्याओं आदि पर चर्चा करके परिणाम प्राप्त किये जायेंगे ।

न्याय पंचायत स्तर पर प्रति मास एक बैठक होती है जिसको प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का रूप दिया गया है इन बैठकों में शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करनके के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण सामग्री आदि का निर्माण आदि कार्य किया जाता है । सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन गोष्ठियों का एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा जिससे ये गोष्ठियां अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकें ।

विकलांग बच्चों हेतु शिक्षा व्यवस्था-शारिरिक एवं मानसिक रूप से अक्षय बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना सर्वशिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य है । इन बच्चों के लिये उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी । विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण किया जायेगा । इन बच्चों को पढ़ाने के लिये अलग से शिक्षको को प्रशिक्षित किया जायेगा । डायट से दो प्रवक्ता इस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेगें जिससे जनपद स्तर पर उनके द्वारा सहयोग समर्थन प्राप्त हो सके ।

बाल श्रमिकों के लिये शिक्षा व्यवस्था-वो बच्चे जो रोजी रोटी कमाने में लगे है खेतो में काम करते है बाल श्रमिक है प्राथमिक विद्यालयों के निर्धारित समय तक विद्यालयों में नही रूक सकते ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिये वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की गयी है शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं ।

इन केन्द्रो के शिक्षकों को प्रशिक्षण डायट द्वारा प्रदान किया जायेगा । डायट द्वारा इनकों शैक्षिक सपोर्ट प्रदान किया जायेगा । इनके पर्यवेक्षण अनुश्रवण अध्ययन सामग्री आदि की व्यवस्था डायट द्वारा की जायेगी ।

शोध एवं मूल्यांकन-प्रत्येक जनपद की अपनी अलग-अलग भौगोलिक , सामाजिक परिस्थिति होती है किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम को जनपद विशेष की स्थिति के अनुसार लागू करने पर सफलता मिलने की सम्भावनाये अधिक रहती हैं । अत: शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिये शोध कार्यक्रमों का महत्व विवाद हीन हैं । निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम करना शिक्षण , निरीक्षण विद्यालय प्रबन्धन मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक आकलन कर व्यवहारिक कठिनाइयों के परिपेक्ष्य में उनके निवारण हेतु क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षो को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं शिक्षक प्रशिक्षक निरीक्षक तक पहुचाकर उनकों आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे ।

डायट द्वारा सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े समस्त विन्दुओं पर सर्वेक्षण तथा क्रियात्मक शोध करेगा ।

आकडो का विश्लेषण-डायट द्वारा ई0एमआई0एस0 से प्राप्त ऑकड़ो का विश्लेषण किया जायेगा । जिससे बच्चों की स्थिति स्पष्ट होगी । ब्लाक स्तर , गॉव स्तर, विद्यालय स्तरकी मूल भूत समस्या की जानकारी मिलेगी । किस स्थान पर डाप आउर अधिक है किस जाति लिंग धर्म व वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे है , कारण का एवं निवारण का अध्ययन कर समस्या का समाधान किया जायेगा ।

कक्षा कक्ष में निरीक्षण-कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य का अध्ययन डायट द्वारा ब्लाक मेन्टर ब्लाक समन्वयक न्याय पंचायत समन्वयक ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराया जायेगा । कक्षा में बच्चे सक्रिय है या नही , शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग हो रहा है या नही प्रशिक्षणों का शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा है आदि आधार पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान किया जायेगा । आने वाले प्रशिक्षणों की प्राथमिकताए उसी आधार पर तय की जायेगी ।

मूल्यांकन प्रणाली-एस0ई0आर0टी0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रणाली का विकास किया गया हैं । सर्व शिक्षा अभियान में भी इसका प्रयोग किया जायेगा । इसके लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

कक्षा 5 की परीक्षा न्याय पंचायत स्तर पर तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी0 आर0 सी0 स्तर पर की जायेगी तथा मूल्यांकन व्यवस्था डायट पर हो । प्रश्न पत्रों का निर्माण भी डायट स्तर पर योग्य अध्यापकों के सहायोग से किया जायेगा छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हे फीड बैंक प्रदान करने के लिये सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी ।

सर्वशिक्षा अभियान :-गुणवत्ता सम्वर्द्धन कार्यक्रम (प्रथम वर्ष)

सारणी 9.

प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम	कार्यक्रम	स्थल	प्रतिभागी	अवधि	स्वरूप
1	विजटिंग कार्यशाला	डायट	एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 डी0पी0ओ0 स्टाफ, डायट स्टाफ संसाधन के सदस्य	3 दिवसीय	आवासीय
2	विषयवार अनुपूर प्रशिक्षण कार्यक्रम	ब्लाक	समस्त शिक्षक डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ	5 दिवसीय	अनावासीय
3	विद्यालय प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम	डायट	समस्त प्रधानाध्यापक , डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ	4 दिवसीय	अनावासीय
4	कक्षा 3 से 5 तक	(A) एन0	न्याय पंचायत के समस्त अध्यापक	1 दिवसीय	अनावासीय

	अंग्रजी शिक्षण हेतु कार्यशाला	पी0 आर0 सी0 पर	डी0पी0ओ0 का एक सदस्य डायट का एक सदस्य		
		(B) बी0 आर0 सी0	न्याय पंचायत प्रभारी, विषय विशेषज्ञ शिक्षक, डायट का एक स्टाफ डी0पी0ओ0 का एक सदस्य	1 दिवसीय	अनावासीय
		(C) डायट	बी0आर0सी0 एन0 पी0 आर0 सी0 (समस्त)डायट स्टाफ , डी0 पी0 ओ0 स्टाफ, कुशल विषय शिक्षक	3 दिवसीय	अनावासीय
5	प्रशिक्षण साहित्य तैयार किये जाने हेतु कार्यशाला (तीन चक्रो में)	डायट	डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट द्वारा चिन्हित शिक्षक	3दिवसीय	अनावासीय
6	प्रशिक्षण साहित्य परीक्षण के लिये कार्यशाला	डायट	डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट द्वारा चिन्हित शिक्षक आग्ल भाषा शिक्षा संस्थान इलाहाबाद के विशेषज्ञ	3 दिवसीय	अनावासीय
7	मास्टर टेनर तैयार करने हेतु प्रशिक्षण	डायट	पूर्व चिन्हित अंग्रेजी अध्यापक डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट स्टाफ	5 दिवसीय	आवासीय
			प्रशिक्षक-राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ तथा आग्लभाषा शिक्षा संस्थान द्वारा नामित तीन व्यक्ति		
8	अंग्रेजी भाषा शिक्षण प्रशिक्षण	ब्लाक	समस्त शिक्षक (अंग्रेजी पढ़ाने वाले)	6 दिवसीय	अनावासीय
9	अंग्रेजी भाषा की शिक्षक संदर्शिका निर्माण की कार्यशाला	डायट	डायट स्टाफ , डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट द्वारा चिन्हित शिक्षक आग्लभाषा शिक्षा संस्थान इलाहाबाद के विशेषज्ञ	15 दिवसीय	अनावासीय
10	अकादमिक अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन कार्यशाला	डायट	डी0पी0ओ0 स्टाफ स्टाफ मास्टर ट्रेनर (समस्त सेन्टर)	3 दिवसीय	अनावासीय
11	पश्चपोषण कार्यशाला	डायट	डी0पी0ओ0 स्टाफ , डायट स्टाफ (समस्त सेन्टर)बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 अंग्रेजी पढ़ाने वाले	1 दिवसीय	अनावासीय

द्वितीय वर्ष

क्रम	कार्यक्रम	स्थल	प्रतिभागी	अवधि	स्वरूप
2	कक्षा 3 से 5 तक संस्कृत शिक्षण हेतु कार्यशाला	(A) एन0पी0 आर0 सी0	न्याय पंचायत के समस्त अध्यापक डी0पी0ओ0 का एक सदस्य डायट का एक सदस्य	1 दिवसीय	अनावासीय

		(B) बी0 आर0 सी0 पर	न्याय पंचायत प्रभारी विशेषज्ञ विषय शिक्षक डायट का एक स्टाफ डी0पी0ओ0 का एक स्टाफ	1 दिवसीय	अनावासीय
		(C)डायट	बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ विशेषज्ञ विषय शिक्षक	3 दिवसीय	आवासीय
13	प्रशिक्षण साहित्य तैयार किये जाने हेतु कार्यशाला (तीन चक्रों में)	डायट	डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट द्वारा चिन्हित शिक्षक	3 दिवसीय	आवासीय
14	प्रशिक्षण साहित्य परीक्षण के लिए कार्यशाला	डायट	डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट द्वारा चिन्हित शिक्षक हिन्दी भाषा शिक्षा संस्थान वाराणसी के विशेषज्ञ	3 दिवसीस	आवासीय
15	मास्टर ट्रेनर तैयार करने हेतु प्रशिक्षण	डायट	पूर्व चिन्हित संस्कृत शिक्षक डी0पी0ओ0 स्टाफ , डायट स्टाफ प्रशिक्षक एस0पी0ओ0 लखनऊ तथा हिन्दी भाषा शिक्षा संस्थान द्वारा नामित तीन व्यक्ति	5 दिवसीय	आवासीय
16	संस्कृत भाषा शिक्षण प्रशिक्षण	ब्लाक	समस्त शिक्षक (संस्कृत पढ़ाने वाले)	6 दिवसीय	अनावासीय
17	संस्कृत भाषा की शिक्षक संदर्शिका निर्माण की कार्यशाला	डायट	डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट द्वारा चिन्हित शिक्षक हिन्दी भाषा शिक्षा संस्थान वाराणसी के विशेषज्ञ	15 दिवसीय	अनावासीय
18	अकादमिक अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन कार्यशाला	डायट	डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट स्टाफ मास्टर ट्रेनर (समस्त सेन्टर)	3 दिवसीय	अनावासीय
19	पश्चपोषण कार्यशाला	डायट	डी0पी0ओ0 स्टाफ डायर स्टाफ वी0आर0सी0एन0पी0आर0सी0 अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक समस्त सेन्टर	1 दिवसीय	अनावासीय
20	कक्षा 3 से 5 तक उर्दू शिक्षण हेतु कार्यशाला	(A)एन.पी. आरसी.	न्याय पंचायत के समस्त अध्यापक डी0पी0ओ0 का एक सदस्य डायट का एक सदस्य	1 दिवसीय	अनावासीय
		(B)बी.आरसी.	न्याय पंचायत प्रभारी विशेषज्ञ विषय शिक्षक डायट का एक स्टाफ डी0पी0ओ0 का एक स्टाफ	1 दिवसीय	अनावासीय
		(C) डायट	वी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 डायट स्टाफ डी0पी0ओ0स्टाफ विशेषज्ञ शिक्षक	3 दिवसीय	आवासीय
21	प्रशिक्षण साहित्य तैयार किये जाने हेतु कार्यशाला तीन चक्रो में	डायट	डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट द्वारा चिन्हित शिक्षक	3 दिवसीय	अनावासीय

22	प्रशिक्षण साहित्य परीक्षण के लिए कार्यशाला	डायट	डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट द्वारा चिन्हित शिक्षक उर्दू भाषा शिक्षा संस्थान इलाहाबाद के विशेषज्ञ	3 दिवसीय	अनावासीय
23	मास्टर ट्रेनर तैयार करने हेतु प्रशिक्षण	डायट	पूर्व चिहिन्नत उर्दू शिक्षक डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट स्टाफ प्रशिक्षक एस0पी0ओ0 लखनऊ तथा उर्दू भाषा शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा नामित तीन शिक्षक	5दिवसीय	आवासीय
24	उर्दू भाषा शिक्षण प्रशिक्षण	ब्लाक	समस्त उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक	6 दिवसीय	अनावासीय
25	उर्दू भाषा की शिक्षक संदर्शिका निर्माण की कार्यशाला	डायट	डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट द्वारा चिहिन्नत शिक्षक उर्दू भाषा शिक्षा संस्थान इलाहाबाद के विशेषज्ञ	15 दिवसीय	अनावासीय
26	अकादमिक अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन कार्यशाला	डायट	डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट स्टाफ मास्टर टेनर (समस्ट सेन्टर)	3 दिवसीय	अनावासीय
27	पश्चपोषण कार्यशाला	डायट	डी0पी0ओ0 स्टाफ डायट स्टाफ वी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक समस्त सेन्टर	1 दिवसीय	अनावासीय
28	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला (ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षणो के चयन हेतु)	डायट	ब्लाक स्तरीय प्रथम,द्वितीय,तृतीय आने वाले अध्यापक डायट स्टाफ डी0पी0ओ0 स्टाफ	1 दिवसीय	अनावासीय
29	चयनित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट	चयनित प्रशिक्षक , डायट स्टाफ बी0आर0सी0	4 दिवसीय	अनावासीय
30	ब्लाक के सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण	ब्लाक/न्याय पंचायत केन्द्र	समस्त प्राथमिक शिक्षक	4 दिवसीय	अनावासीय

तृतीय वर्ष

क्रम	कार्यक्रम	स्थल	प्रतिभागी	अवधि	स्वरूप
31	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु कार्यशाला	(A)एन. पी0आरसी0	समस्त शिक्षक	1 दिवसीय	अनावासीय
		(B) बी0 आर0 सी0	एन0पी0आर0सी0 प्रधानाध्यापक डायट के एक सदस्य	1 दिवसीय	अनावासीय
		(C)डायट	डायट स्टाफ , ब्लाक समन्वयक चिन्हित एन0पी0आर0सी0 एवं शिक्षक	4 दिवसीय	आवासीय
32	ब्लाक स्तरीय मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रम	बी0आर0सी0	समस्त शिक्षक	4 दिवसीय	अनावासीय

चतुर्थ वर्ष

क्रम	कार्यक्रम	स्थल	प्रतिभागी	अवधि	स्वरूप
33	बहुकक्षा शिक्षण प्रशिक्षण	N.P.R.C.	समस्त अध्यापक	3 दिवसीय	अनावासीय
34	गणित एवं भाषा के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट	डायट स्टाफ चिन्हित शिक्षक	7 दिवसीय	आवासीय
35	गणित एवं भाषा अनुपूरक प्रशिक्षण	B.R.C.	समस्त शिक्षक	7 दिवसीय	अनावासीय

पंचम वर्ष

36	विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन का अनुपूरक प्रशिक्षण (प्रशिक्षकों)	डायट	डायट स्टाफ चिन्हित शिक्षक	7 दिवसीय	आवासीय
37	ब्लाक स्तरीय विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन का अनुपूरक प्रशिक्षण	ब्लाक	समस्त शिक्षक	7 दिवसीय	अनावासीय
	अतिरिक्त प्रशिक्षण				
38	शिक्षा मित्र आचार्यजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	डायट	समस्त शिक्षा मित्र एवं आचार्य जी	15 दिवस	आवासीय
39	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेश को का प्रशिक्षण (अ) आधार भूत	डायट	वेकल्पिक शिक्षा के अनुदेशक	15 दिवस	आवासीय
	(ब) पुनर्बोधात्मक	डायट	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशक	10 दिवस	आवासीय
40	सर्वशिक्षा अभियान का प्रशिक्षण	डायट	जनपद की कोर टीभ जिला संसाधन समूह	2 दिवसीय	अनावासीय
41	पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण	डायट	वी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 ए0वी0एस0ए0	1 दिवसीय	अनावासीय
42	ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण	ग्राम सभा स्तर	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य समुदाय के जागरूक अभिभावक (हर वर्ग के) प्रा0 वि0 के शिक्षक	3 दिवसीय	अनावासीय
43	कार्यानुभव	डायट	चुने हुए शिक्षक एवं डायट स्टाफ	5 दिवसीय	आवासीय
44	लिंग संवेदीकरण	N.P.R.C.	समस्त शिक्षक	2 दिवसीय	अनावासीय
45	कियात्मक शोध का प्रशिक्षण	डायट	चुने हुए शिक्षक डायट स्टाफ वी0आर0सी0	5 दिवसीय	आवासीय
46	नव नियुक्त शिक्षकों का समेकित प्रशिक्षण	डायट	समस्त नव नियुक्त शिक्षक	8 दिवसीय	आवासीय

सर्वशिक्षा अभियान :-गुणवत्ता सम्वर्धन कार्यक्रम (प्रथम वर्ष)

सारणी 9.

(पूर्व माध्यमिक विद्यालयों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम)

क्रम	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि	स्वरूप
1	संदर्भ समूह कार्यशाला (बी.आर0सी0 पर)	प्राथमिक एवं पूर्वमाध्यमिक के चयनित शिक्षक, एन्जियोज	1 दिवसीय	अनावासीय
2	विजनिंग कार्यशाला/आधारभूत प्रशिक्षण (डायट)	ब्लाक समन्वयक न्याय पंचायत प्रभारी डायट, डी0पी0ओ0 जिला संसाधन समूह के सदस्य	8 दिवसीय	आवासीय
3	प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (डायट) स्तर	डी0आर0जी0 /डायट	8 दिवसीय	आवासीय
4	माड्यूल निर्माण कार्यशाला (डायट स्तर)	समस्त संसाधन समूह कोर टीम	5 दिवसीय	अनावासीय
5	विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण गणित/विज्ञान (समझ एवं रूचि पैदा करना डायर स्तर पर या डायट द्वारा चयनित केन्द्र	समस्त पूर्व माध्यमिक गणित और विज्ञान अध्यापक	7+7 दिवसीय	अनावासीय
6	गणित/विज्ञान से सम्बन्धित किट व सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं प्रयोग का प्रशिक्षण (डायट स्तर) डायट द्वारा चयनित केन्द्र	समस्त पूर्व माध्यमिक गणित और विज्ञान शिक्षक	3+3 दिवसीय	अनावासीय
7	सामग्री प्रदर्शनी ब्लाक स्तर/जिला स्तर पर बी0आर0सी0/डायट या डायट द्वारा चयनित केन्द्र	ब्लाक स्तर पर विद्यालय से एक शिक्षक और जिला स्तर पर प्रत्येक ब्लाक से एक शिक्षक	1 दिवसीय	अनावासीय
8	अनुश्रवण/अनुसमर्थन प्रशिक्षण कार्यशाला	बी0आर0सी0 ए0बी0आर0सी0 बी0एस0ए0, एस0डी0आई0	4 दिवसीय	अनावासीय
9	एजेन्डा निर्धारण (मासिक बैठकों के लिए कार्यशाला डायट स्तर पर	चयनित शिक्षक और जिला कोर टीम के सदस्य	1 दिवसीय (प्रत्येक मास में एक)	अनावासीय
10	मासिक ब्लाक स्तरीय कार्यशाला	समस्त पू0मा0वि0 से एक सदस्य तथा बी0आर0सी	1 दिवसीय	अनावासीय
11	शैक्षिक एवं पश्चपोषण कार्यशाला (प्रत्ये प्रशिक्षण की समाप्ति पर डायट स्तर)	डायट मेन्टर , बी0आर0सी0, डी0पी0ओ0 मेन्टर	1 दिवसीय	अनावासीय
12	कौशलात्मक प्रशिक्षण (बी0आर0सी0 बहुकक्षा/बहुस्तरीय स्तर पर रूचिपूर्ण नैतिक शिक्षा स्वच्छता आदि	प्रशिक्षक एवं चिन्हित विद्यालय के शिक्षक समस्त शिक्षक	1 दिवसीय	अनावासीय
13	समय एवं विद्यालय प्रबन्धन बी0आर0सी0 पर	समस्त शिक्षक	4 दिवसीय	अनावासीय

द्वितीय वर्ष

सारणी 9.

क्रम	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि	स्वरूप
14	शैक्षिक बालमपोविज्ञान कार्यशाला (ब्लाक स्तर पर)	समस्त शिक्षक	3 दिवसीय	अनावासीय
15	नव विकसित पाठ्य पुस्तकों का परिचय (ब्लाक स्तर पर)	समस्त शिक्षक	3 दिवसीय	अनावासीय
16	भाषा दक्षता विकास कार्यशाला हिन्दी/संस्कृत/अंग्रेजी/उर्दू (डायट स्तर पर)	समस्त विषय शिक्षक, विषय विशेषज्ञ	8 दिवसीय	अनावासीय
17	भाषा शिक्षण सामग्री निर्माण एवं उयोग कार्यशाला	समस्त विषय शिक्षक	3 दिवसीय	अनावासीय
18	भाषा शिक्षण सम्बन्धी सामग्री मेला (बी0आर0सी0 तथा डायट स्तर पर)	ब्लाक स्तर पर हर विद्यालय से एक शिक्षक तथा डायट स्तर पर ब्लाक से एक शिक्षण	1 दिवसीय	अनावासीय
19	अनुश्रवण तथा अनुसमर्थन प्रशिक्षण	प्रथम वर्ष की भाति		
20	एजेण्डा निर्धारण कार्यशाला	प्रथम वर्ष की भाति		
21	मासिक ब्लाक स्तरीय कार्यशाला	प्रथम वर्ष की भाति		
22	शैक्षिक अनुश्रवण एवं पश्चपोषण कार्यशाला	प्रथम वर्ष की भाति		
23	किशोरी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर	समस्त शिक्षक	3 दिवसीय	अनावासीय

तृतीय वर्ष

सारणी 9.22

क्रम	कार्यक्रम	स्थल	प्रतिभागी	अवधि	स्वरूप
24	समेकित शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण	B.R.C. पर	समस्त शिक्षक	3दिवसीय	अनावासीय
25	सतत व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यशाला	B.R.C.	समस्त शिक्षक	2 दिवसीय	अनावासीय
26	सामाजिक विषय /कृषि सा0ऊ0 का शिक्षण कार्यशाला	डायट या डायट द्वारा चयनित	समस्त शिक्षक (विषय)	5दिवसीय	अनावासीय
27	शारीरिक शिक्षा /संगीत आधारित कार्यशाला	डायट	विषय शिक्षक	4 दिवसीय	अनावासीय
28	सामाजिक विषय/कृषि सा0उ0का0 शिक्षण सामग्री व किट निर्माण कार्यशाला	डायट तथा डायट द्वारा चयनित	विषय शिक्षक	3 दिवसीय	अनावासीय

	किट निर्माण कार्यशाला	केन्द्र			
29	शेष विषयों से सम्बन्धित सामग्री मेला कार्यशाला	B.R.C	विषय अध्यापक	1 दिवसीय	अनावासीय
30	अनुश्रवण अनुसमर्थन सम्बन्धी कार्यशाला	द्वितीय	वर्ष की भाति		
31	एजेण्डा निर्धारण सम्बन्धी कार्यशाला	द्वितीय	वर्ष की भाति		
32	मासिक ब्लाक स्तरीय कार्यशाला	द्वितीय	वर्ष की भाति		
33	शैक्षिक अनुश्रवण एवं पश्चपोषण कार्यशाला	द्वितीय	वर्ष की भाति		

चतुर्थ वर्ष

सारणी 9.

क्रम	कार्यक्रम	स्थल	प्रतिभागी	अवधि	स्वरूप
34	विषयवार शिक्षण अभ्यास कार्यशाला	B.R.C	समस्त शिक्षक	7 दिवसीय	अनावासीय
35	सेवारम्भ (नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट	समस्त नव नियुक्त शिक्षक	10 दिवसीय	अनावासीय
36	जन संख्या शिक्षा लिंग संवेदीकरण कार्यशाला	B.R.C	समस्त शिक्षक /अन्तिम दिवस को अभिभावक गोष्ठी	5 दिवसीय	अनावासीय
37	कार्यानुभव एवं पर्यवेक्षणीय प्रशिक्षण	डायट	डायट प्रवक्ता, ए0बी0एस0ए0 , वी0एस0ए0, बी0आर0सी0	5 दिवसीय	अनावासीय
38	ब्लाक सन्दर्भ समूह प्रशिक्षण	B.R.C	बी0आर0सी0 सदस्य	3 दिवसीय	अनावासीय
39	ग्राम शिक्षा समिति /एस0टी0ए0, पी0टी0ए0 / कोर टीम	N.P.R.C	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	3 दिवसीय	अनावासीय
40	अनुश्रवण अनुसमर्थन कार्यशाला	प्रथम	वर्ष की भाति		
41	एजेण्डा निर्धारण कार्यशाला	प्रथम	वर्ष की भाति		
42	मासिक ब्लाक स्तरीय कार्यशाला	प्रथम	वर्ष की भाति		
43	शैक्षिक समर्थन एवं पश्चपोषण सम्बन्धी कार्यशाला	प्रथम	वर्ष की भाति		
44	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	ब्लाक /डायट	समस्त शिक्षकB.R.C.,B.S.A..A.B.S.A. मेन्टर संसाधन समूह	5 दिवसीय	अनावासीय

चतुर्थ वर्ष

सारणी 9.

क्रम	कार्यक्रम	स्थल	प्रतिभागी	अवधि	स्वरूप
45	कियात्मक शोध कार्यशाला	डायट	डायट स्टाफ बी0आर0सी0 प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक	6 दिवसीय	आवासीय
46	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यशाला	डायट d.p.o	डायट/डी0पी0ओ0 स्टाफ चयनित बेसिक शिक्षक	30 दिवसीय	आवासीय
47	बाल सहित्य रचना कार्यशाला	डायट	डायट द्वारा सचीबद्ध जनपद के रचनाकार	4 दिवसीय	अनावासीय
48	रूचिपूर्ण शिक्षण कार्यशाला	डायट	चयनित शिक्षक	5 दिवसीय	अनावासीय
49	पूनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		चतुर्थ वर्ष की भाँति		
50	अनुश्रवण अनुसमर्थन कार्यशाला		प्रथम वर्ष की भाँति		
51	एजेण्डा निर्धारण कार्यशाला		प्रथम वर्ष की भाँति		
52	मासिक ब्लाक स्तरीय कार्यशाला		प्रथम वर्ष की भाँति		
53	शैक्षिक समर्थन एवं पश्चपोषण सम्बन्धी कार्यशाला		प्रथम वर्ष की भाँति		

अन्य प्रशिक्षण

सारणी 9.28

क्रम	कार्यक्रम	स्थल	प्रतिभागी	अवधि	स्वरूप
54	नवागत प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण (प्रबन्धकीय एकेडमिक प्रशासनिक दक्षता सम्बन्धी	डायट	समस्त प्रोन्नत प्रधानाध्यापक	4 दिवसीय	अनावासीय
55	अनुपूरक प्रशिक्षण	B.R.C. डायट	पथावश्यक प्रतिभागी	5 दिवसीय	अनावासीय
56	पत्रिका प्रकाशन हेतु कार्यशाला	डायट	डायट द्वारा सूची बद्ध शिक्षाविद शिक्षक लेखक तथा अन्य विशेषज्ञ	4 दिवीय	अनावासीय

शैक्षिक पर्यवेक्षण में डायट, बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 की भूमिका :-

शैक्षिक पयर्वेक्षण एवं अनुसमर्थन में डायट, बी0 आर0 सी0 तथा एन0 पी0 आर0 सी0 की समेकित एवं सक्रीय भूमिका रहेगी। एन0 पी0 आर0 सी0 विद्यालयों का अनुश्रवण करके प्रतिबेदन बी0 आर0 सी0 को देगा तथा इसकी गहन समीक्षा के उपरान्त बी0 आर0 सी0 अपना प्रति बेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए0 आर0 जी0 के सदस्यों में पायी गयी मुख्य समस्याओं की चर्चा कराई जायेगी तथा समीक्षो परान्त भावी कार्ययोजना हेतु एजेण्डा तैयार किया जायेगा। जनपद स्तर पर डायट शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा प्रभावी कार्य संस्कृति के विकास एवं गुणवत्ता सवर्द्धन हेतु सभी बी0 आर0 सी0 तथा एन0 पी0 आर0 सी0 डायट के निर्देशन में कार्यों का सम्पादन करेगें। प्रभावी कार्य संस्कृति के विकास एवं विद्यालयों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मासिक बैठकों का आयोजन भ्रमण, कार्यो का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण कार्य किया जायेगा। अकादमिक पयर्वेक्षण एवं अनुसमर्थन की परिधि में, अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाई स्कूल, इण्टर कालेजों में जहां 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों वैकल्पिक शिक्षा ई0 सी0 सी0 ई0, ई0 जी0 एस0 केन्द्र को भी लाया जायेगा।

बी0 आर0 सी0 तथा एन0 पी0 आर0 सी0 के प्रस्तावित भूमिका हेतु गुणवत्ता तथा नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में इस बात पर विशेष बल दिया जायेगा कि डी0 पी0 ई0 पी0 के अर्न्तगत चलाई गयी शैक्षिक पयर्वेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सकें विद्यालयों, आर0 सी0 तथा बी0 आर0 सी0 द्वारा प्रभावी कार्य निष्पादन एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावनाओं के विकास हेतु श्रेणीकरण का कार्य किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों अथवा संसाधन केन्द्रों को चिन्हित किया जायेगा तथा उनका स्तर उठाने तथा समुचित प्रदर्शन के लिए विशेष बल दिया जायेगा।

प्रभावी पयर्वेक्षण, अनुसर्मथन एवं विद्यालयों के स्तर को ऊंचा उठाने में डायट की भूमिका नेतृत्व शक्ति के रूप में है किन्तु खेद का विषय है कि बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 तथा विद्यालयों पर डायट का कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे अनुश्रवण एवं श्रेणी करण कार्य करने के उपरान्त दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में विद्यालय स्तर पर रूचि नहीं ली जाती। अत: विद्यालय एवं संसाधनों के गुणवत्ता में वृद्वि हेतु इनका नियंत्रण डायट द्वारा किया जाना चाहिए।

बी0आर0सी0भूमिका: -

ब्लाक स्तर पर स्थापित संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेंगे।

1- बी0 आर0 सी0 स्तर पर गुणवत्ता संवर्द्वन हेतु संदर्भ समूह का गठन।
2- सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन।
3- बी0 आर0 सी0 स्तर पर सामग्री निर्माण की कार्यशालाओं का आयोजन।
4- विद्यालयों में प्रशिक्षण के प्रभाव का पयर्वेक्षण।
5- ई0 एम0 आई0 एस0 आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करना।
6- अकादमिक सतस्याओं के निवारण हेतु एन0 पी0 आर0 सी तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य।
7- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग एवं प्रेरणा प्रदान करना।
8- बैकलिपक शिक्षा ई0 जी0 एस0 शिशु शिक्षा केन्द्रों का पयर्वेक्षण।
9- विद्यालय विकास योजना का विकास कराने तथा शैक्षिक तथा शैक्षिक अनुश्रवण का कार्य।
10- समुदाय के सदस्यों का बी0 आर0 सी के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पेचायत राज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना।
11- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय अभिभावकों को संचार माध्यमें से प्रेरित करना।

एन0 पी0 आर0 सी0 की भूमिका :-

न्याय पंचायत केन्द्र अपनी वार्षिक कार्य योजना का विकास करेंगे।

1- शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु मासिक बैठक प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं का आयोजन।
2- बी0 ई0 सी0 के सदस्यों, डब्लू0 एम0 जी0/पी0 टी0 ए0/एम0 टी0 ए0 सदस्यों के प्रशिक्षण का आयोजन
3- आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण करना।
4- ई0 एम0 आई0 एस0 आकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करना।
5- स्कूल के विकास के योजनाओं का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करना।
6- शोध एवं मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को सहायोग देना।
7- एन0 पी0 आर0 सी0 न्याय पंचायत स्तर पर एक स्रोत के रूप में विकसित करेंगे जिसमें । शिक्षक अभिभावक व बच्चे अपनी आवश्यकता एवं जिज्ञासा की पूर्ति कर सके।

सर्व शिक्षा अभियान में नवाचार कार्यक्रम

6 से 14 वय वर्ग से सभी बच्चों की बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कई नवाचार कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लाये गये है जिनके द्वारा इस अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करना सभंव होगा :-

1. <u>जीवनोपयोगी उत्पादक कार्य की शिक्षा</u>-अनेकानेक प्रयास करने के पश्चात् हम अपने शतप्रतिशत नामांकन एवं धारण के लक्ष्य की प्राप्ति तक नही पहुच पाये इस सम्बन्ध में जनसमुदाय शिक्षा विदो स्केल न जाने वाले बच्चों के माता पिता से बात चीत करने पर एक बात उभर कर सामने आयी कि काफी बच्चे अपने माता पिता के साथ उनके व्यवसाय में जुड़े रहते है अत: वो विद्यालय में आकर शिक्षा ग्रहण करने में कोई रूचि नही लेते है शिक्षा का उन्हे कोई तत्कालीन लाभ नजर नही आता है ।

ऐसे बच्चो का नामांकन बढ़ाने हेतु उन्हे स्वालम्बी बनाने हेतु कौशल विकास में दस करने के लिये यदि कार्यानुभव प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा जाये तो अत्यन्त प्रभावी होगा ।

बालिकाओं के नामांकन धारण एवं ठहराव बनाये रखने के लिये भी इस प्रकार के प्रशिक्षण अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगें । उच्च प्रा0 वि0 स्तर पर बालक बालिकाओं की रूचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे सन का काम, पेटुआ का काम फोटोग्राफी रेक्सीन का काम, बेंत का काम, होजरी वर्क चाक बनाना, मोमबत्ती बनाना, प्लास्टर आफ पेरिस का काम । कम्प्यूटर आदि रखे जा सकते है । इस प्रकार के पायलट प्रोजेक्ट बी0ई0पी0 जनपदों मे चल चुके है जिसके परिणाम सकारात्मक रहे है इससे न केवल नामांकन में वृद्धि हुयी है वरन् ठहराव भी बना रहा है ।

कार्यानुभव कार्यक्रम बालिकाओं के ठहराव में अत्यन्त सहायक सिद्ध होता है । इस आधार पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव शिक्षण जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा । इस हेतु जनपद के सभी 16 विकास खण्डों के दो-दो उच्च प्रा0 वि0 को चिन्हित किया जायेगा । और स्थानीय बालक बालिकाओं की रूचि और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर कौशल विकास कार्यानुभव कार्यक्रम रखा जायेगा ।

कार्यानुभव प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन इस प्रकार किया जायेगा कि सर्वप्रथम में कच्चे माल एवं उपकरण की व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जायेगी तत्पश्चात् उससे तैयार सामान विक्रय करने पर प्राप्त धनराशि में से कुछ बच्चे को प्रोत्साहन धनराशि देकर शेष धनराशि का पुन: कच्चा माल कय कर लिया

जायेगा । इससे विघालय पर अतिरिक्त बोझा नही पड़ने पायेगा । और प्रक्रिया की निरंन्तरता भी बनी रहेगी ।

2. <u>समुदाय विद्यालय को पूरक के रूप में विकसित किया जाये</u> -ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से समुदाय को विद्यालय के निकट लाने का प्रयास किया गया है परन्तु प्राय: यह देखा गया है कि ग्राम शिक्षासमितियों के बैठक नियमित नही होती है व पूर्ण रूप से विद्यालय से जुड़ नही पायी है उनकी बैठकों का बिन्दु केवल भौतिक संसाधनों के मुहैया कराने तक सीमित है । ग्राम शिक्षा समिति के दृष्टि केण को व्यापक करना होगा । उनकी बैठको के नियमित समुदाय के लोगो को कक्षा कक्ष तक ले जाना होगा उन्हे कक्षा शिक्षण देखने के लिये निमंत्रित किया जायेगा । अभिभावक को उनके बच्चों की उपलब्धियों से परिचित कराना होगा । वार्षिक समारोह पर अच्छे बच्चों को उनकी उपलब्धि के लिये सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जायेगा । समाज के योग्य लोगो की निशुल्क शिक्षण कार्य में सहयोग के लिये आगे आने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा । समुदाय से जुड़ कर विद्यालय की प्रगति होगी । समुदाय इसे अपना अंग स्वीकार कर लेगा और इसके विकास के लिये प्रयत्न शील रहेगा ।

3. <u>पूरक शिक्षण सामग्री विकास</u>-प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पूरक शिक्षण सामग्री विकसित की जायेगी इस शिक्षण सामग्रीमें गोण्डा जनपद की भौगोलिक सामाजिक ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी होगी ।

जनपद के महान विभूतियों की जीवनी होगी । जनपद की विशेष उपलब्धियों की चर्चा होगी । इस पूरक शिक्षण सामग्री को पाठ्यक्रम के साथ-साथ रखा जायेगा । इसके विकास के लिये स्थानीय शिक्षा विदें शिक्षको समाज सेवी वयक्तियों स्वयंसेवी संगठनों की कार्यशालायें आयोजित की जायेगी । उपलब्ध स्थानीय साहित्य के सहयोग से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा ।

<u>प्रोत्साहन व्यवस्था</u>-किसी भी कार्यक्रम की सफलता में प्रोत्साहन एक नई गति प्रदान करता है तथा कार्य करने वाले अभिकर्मियों को ऊर्जा से भर देता है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का कियान्वयन में विकास खण्ड न्याय पंचायत ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी । कार्यक्रम की सफलता की दृष्टि से उत्तम कार्य करने वाले के लिये प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी हैं ।

जनपद स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो बी0आर0सी0 को रूपये 10,00.00 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड से एक एन0पी0आर0 सी0 को 7000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा ।

प्रत्येक विकास खण्ड से कार्य निष्पादन के आधार पर दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः 15000 रूपये तथा 10000 की दर से पुरस्कार किया जायेगा । पठन पाठन की दृष्टि से प्रत्येक विकास खण्ड से एक शिक्षक को रूपये 5000 का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा ।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का सम्बर्द्धन

सारणी-9.

पद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01		1
उपप्राचार्य	01		1
वरिष्ट प्रवक्ता	06	1	5
प्रवक्ता	17	3	14
कार्यानुभव शिक्षक	01	1	
तकनीकी सहायक	01	1	
सांख्यकीकार	01	1	
प्रति नियुक्ति पर तैनात	04	4	
प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक			

डायट गोण्डा का कार्यक्षेत्र:-

डायट गोण्डा के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर भी है उसके इस विस्तृत कार्यक्षेत्र को क्षमता संवर्द्धन के लिए सबसे पहले वहां के सारे रिक्त पदों को भरा जाये। तथा संकाय के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है-

1- सकेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण।
2- मेनावैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण।
3- कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
4- शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने के लिये प्रशिक्षण।
5- लाइब्रेरी संचालन हेतु प्रशिक्षण।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण :-

डायट गोण्डा का भवन 1996 में दर्जीकुआं फैजाबाद रोड पर बना है। डायट गोण्डा का कार्यक्षेत्र जनपद बलरामपुर भी है। छात्रावास भवन आदि नया ही बना है स्थिति ठीक है परन्तु दो जनपदों का कार्य देखने के कारण प्रशिक्षण कक्षों का आभाव है अधिक क्षमता वाले दो प्रशिक्षण कक्षों की आवश्यकता है। डायट के लिए 200 कुर्सी तथा 200 सै मेज की आवश्यकता है । डायट में कम्प्यूटर नहीं है सर्व शिक्षा

अभियान में डायट के बढ़ते हुये कार्यक्षेत्र को देखते हुये चार कम्प्यूटर प्रिन्टर की आवश्यकता है। पानी की व्यवस्था न होने के कारण एक जेट पम्प की आवश्यकता है।

<u>जिला शिक्षा एवं संस्थान का सुदृढीकरण</u> :-

भवन का विस्तार :- अनुमानित लागत रू0 लाख मे

सारणी १.

1	दो समाकक्ष का निर्माण (सुसज्जित)	40.00
2	दो अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	10.00
	योज-	50.00

उपकरण साज सज्जा :-

1	कम्प्यूटर(6) प्रिन्टर्स, यू0 पी0 एस0	6.00
2	इलेक्ट्रो फोटो कापीयर	1.50
3	ओवरहेड प्रोजेक्टर वाटर कूलर	1.00
4	जेट पम्प फैक्स मसीन	0.50
5	पुस्तकं रैक कुर्सी पेज	1.00
	योग-	10.00

प्रतिवर्ष :-

1	कियात्पक शोध अध्ययन	2.00
2	कार्यशालाएं/सेमीनार	2.00
3	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4	कटीजेन्सी	1.00
5	वाहन रख-रखाव	0.50
	योग-	10.00

अध्याय-10

परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण

शिक्षा मानव जीवन के विकास में गतिशील प्रक्रिया है। इसी क्रम में बदलते जीवन मूल्यों की विकास एवं संवर्द्धन हेतु शिक्षा की विभिन्न धाराओं की संकल्पना की गयी। सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी दोष रहित एवं व्यवस्थित करने के लिए लागू की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से 2010 तक होगी। इस अवधि में 6-14 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को गुणक्ता परक शिक्षा दी जायेगी। इसका कियान्वयन एवं प्रबन्धन "उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में अभूत पूर्व क्षमता उच्चकोटि का प्रबन्धन विकसित करने का भी लक्ष्य है। परियोजना का प्रबन्धन लोकतांत्रिक भावना पर आधारित होगा जिसमें टीम भावना एवं व्यक्तिगत सहयोग अपेक्षित होगा। सामायिक समीक्षा एवं कार्यक्रमों में परिवर्तन हेतु तत्परता अनिवार्य होगी किन्तु यह परिवर्तन भी सहभागिता के पटल पर होगा। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी जो शिक्षा व्यवस्था के अभिन्न अंग है, को और अधिक सक्रिय तथा सुरूचिपूर्ण वातावरण प्रदान किया जायेगा।

प्रबन्ध तन्त्र :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता को महत्वपूर्ण आधार मानते हुए उसकी शैक्षिक प्रबन्ध प्रणाली का विकेन्द्री करण किया जाय, ताकि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनी करण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस व्यापक कार्य के सफल संचालन हेतु प्रशासनिक कार्यो के कियान्वयन में लचीलापन लाने सुनिश्चित जिम्मेदार प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों से प्रवाह प्रदान करने एवं सकरात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उ0 प्र0 सर्वशिक्षा अभिमानने एक प्रबन्ध तंत्र का प्रारूप तैयार किया है जो निम्नवत है।

निर्णयकर्ता समितियॉ	सर्व शिक्षा अभियान को प्रबन्धन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्य कारिणी समिति यू0पी0ई0एफ0 ए0पी0बी0	राज्य परियोजना कार्यायालय	एस0सी0ई0आर0टी साइमेट एस0आई0ई0टी0 एन0जी0ओ0,आदि
जिला परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट0एन0जी0ओ0 आदि
क्षेत्र विकास समिति	व्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संशाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानध्यापक/अध्यापक	संकुल संशाधन केन्द्र

संगठनात्मक व्यवस्था/प्रबन्ध-निर्धारित नीति की रूप रेखा :-

बेशिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु समुदाय के विभिन्न कार्य प्रतिनिधियों की सहभागिता के आधार पर ही विभिन्न स्तरों पर एक संगठनात्मक ढ़ाचे का निर्माण किया गया है जो अपने स्तर पर विभिन्न राजनीतियों का निर्माण कियान्वयन एवं अनुश्रवण के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इस प्रकार निम्नलिखित स्तर पर अलग-2 समितियों का गठन किया गया है।

ग्राम शिक्षा समिति:-

बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यो के निष्पादन प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। यह समिति बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 व उसके उपरान्त संशोधित अधिनियम वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति गठित होकर कार्य करती है।

समिति का गठन:-

1- **ग्राम पंचायत का प्रधान** -अध्यक्ष

2- **ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक** -सचिव

(यदि उसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक बेसिक स्कूल स्थित हैं तो उनमें वरिष्ठतम अध्यापंक ही सचिव होगा)

3- **बेसिक स्कूल के अध्यनरत छात्रों के 3 अभिभावक जिसमें एक अभिभावक महिला** होगी,जो सहायक वे0 शि0 अधिकारी द्वारा नामित होंगे-

ग्राम शिक्षा समिति के कार्य एवं उत्तर दायित्व:-

1- ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूलों के प्रशासन नियंत्रण एवं प्रबन्ध।

2- स्कूल के विकास एवं उसके सुधारात्मक कार्यो के लिए योजना निर्माण करना।

3- ग्राम पंचायत में प्रौढ़शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं वेसिक शिक्षा की अभिबृधि एवं विकास।

4- अपने स्कूलों, भवनों तथा उपकरणों हेतु जिला पंचायत को सुझाव देना।

5- स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों कर्मचारियो के समयपालन एवं उनकी नियमित उपस्थिति हेतु आवश्यक कदम उठाना।

6- ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर किसी स्कूल के अध्यापक/कर्मचारी को निर्धारित रीति से लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

7- राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित सौंपे गये समस्त कार्यो को निष्पादित करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में यह समिति अपने नीति निर्धारण के साथ-2 मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य कर रही है। ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से समुदायकी सहभागिता प्राप्त हो सकी है। यह समिति विद्यालय भवन निर्माण, शैक्षिक सुधार एवं शैक्षिक सामाग्रियों की आपूर्ति हेतु विभाग के साथ कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यह समिति विभिन्न मजरों, ग्राम सभाओं हेतु माइक्रो प्लानिंग के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध एवं शैक्षिक नियोजन को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर ही शैक्षिक योजना तैयार कर प्रस्तुत करती है, जिसमें इस बस्ती की विभिन्न स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है।

असेवित वस्तियों में शिक्षा गारन्टी की वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, नवाचार केन्द्र, आंगन बाड़ी केन्द्र आदि संचालित किया जाने की आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। ग्राम शिक्षा समिति ही इन केन्द्रों पर अनुदेशकों आचार्यो, शिक्षामित्रों, का चयन कर जिला समिति को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है। आयुक्त केन्द्रों में कार्यरत अनुदेशकों/कमचारियों के मानदेय/बेतन का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति ही करती है। ग्राम शिक्षा समिति समय-2 पर लाभार्थी बच्चों को छात्रवृति, पोषाहार, निःशुल्क पाठ्य पुसतक आदि भी वितरण कराती है तथा समय-2 पर इन कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण भी करती है।

<u>न्याय पंचायत संशाधन केन्द्रः-</u>

जनपद गोंडा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 166 न्याय पंचायत संशाधन केन्द्रों का निर्माण कराया गया। उक्त संशाधन केन्द्र के रख-रखाव, गतिविधियों के संचालन हेतु न्याय पंचायत संशाधन केन्द्र प्रभारियो की नियुक्ति कर उन्हें डायट द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। संकुल प्रभारी को सम्बन्धित न्याय पंयाचत के समस्त विद्यालयों के अध्यापकों को शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करना होता है।

कार्य एवं उत्तर दायित्व:-

1- न्याय पंचायत स्तरीय समस्त शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

2- सम्बन्धित न्याय पंचायत के अन्तर्गत विद्यालयों का शैक्षिक पर्यवेक्षण।

3- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों/बुद्व जीवियों को प्रशिक्षत कराना।

4- विद्यालयों के गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से रणनीति तैयार कर क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत करना।

विकास खण्ड स्तरीय शिक्षा समिति :-

ग्राम पंचायत की भांति प्रत्येक विकास खण्ड पर ब्लाक शिक्षा सहालकार समिति का गठन किया गया है। ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित यह समिति 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के अनुश्रवन के लिए विकास खण्ड स्तर पर जिम्मेदार होगी।

ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन :-

1-	ब्लाक प्रमुख।	अध्यक्ष
2-	सहा0 वे0 शि0 अधिकारी/प्रति उप वि0 नि0।	सदस्य सचिव
3-	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान।	सदस्य
4-	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतक प्रधानाध्यापक।	सदस्य

कार्य एवं उत्तर दायित्व :-

1- ब्लाक संशाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संशासन केन्द्रो की कार्यो में समन्वय स्थापित करते हुए जिला समिति के नितियों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करना।

2- विभिन्न कार्यक्रमों का कियान्वयन एवं उसका अनुश्रवण ।

3- ग्राम शिक्षा समिति एवं जिला शिक्षा समिति के बीच समन्वयन।

4- सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न योजनाओं के आवंटित धनराशि से शिक्षा के उन्नयन प्रसार एवं सार्वजनिक हेतु प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराना।

उक्त समिति की बैठक माह में एक बार अनिवार्य रूप से होगी।

प्रशासनिक ढॉचा-विकास खण्ड स्तर :-

विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप वि0निरीक्षक सर्वशिक्षा योजना के समस्त कार्यक्रमों को कियान्वित करायेंगें। तथा नियमित रूप से निरीक्षण/पर्यवेक्षण/अनुश्रवण करते रहेगें। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को ग्राम शिक्षा

समितियों ब्लाक संशाधन केन्द्र न्याय पंचायत संशाधन केन्द्र पर नियंत्रण एवं समन्वय हेतु आवश्यक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

माइक्रो प्लानिंग हेतु विद्यालय सांख्यिकी सर्वेक्षण प्रपत्रों को समय-2 पर वी0 आर0 सी0 के माध्यम से एकत्रित कर जिला समिति को प्रस्तुत करना। सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होगा।

विकास खण्ड परियोजना अधिकारी के प्रमुख उत्तर दायित्व :-

1- सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों तथा नीतियों का कियान्वयन।

2- विद्यालय भवन/शौचालय/अति0 कक्ष/संशाधन केन्द्र आदि के निर्माण का निरीक्षण करना।

3- ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4- ब्लाक शिक्षा समिति की बैठक कराना, रणनीति बनाना एवं नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

5- विकास खण्ड स्तर पर शैक्षिक आँकणो का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण करना।

6- समस्त विद्यालयों के छात्रबृति वितरण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।

7- खाद्यान्न वितरण कराना एवं सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना।

8- विद्यालयों में अध्यनरत समस्त छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तक वितरित कराना।

9- समस्त विद्यालयों का निरीक्षण करना एवं गुणवत्ता सम्बर्द्धन हेतु रणनीति बनाना।

10- विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों, तथा छात्र अध्यापक अनुपात के अनुसार अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करना।

11- ग्राम शिक्षा समिति, ब्लाक शिक्षा समिति एवं जिला शिक्षा समिति में बीच समन्वय स्थापित करना।

12- अध्यापकों के बेतन विल प्रस्तुत करना एवं समय से बेतन भुगतान सुनिश्चित कराना।

13- विद्यालयों के किसी अध्यापक/कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी निहित की जाय दण्ड देने की सिफारिश करना।

14- ई0 जी0 एस/ए0 आई0 ई0 के संचालन का अनुश्रवण करना।

15- उपरोक्त समस्त कार्यक्रमों/औपचारिक/अनौपचारिक की प्रगति जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराना।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संशाधन केन्द्र में पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप वि0 निरीक्षक विकास खण्ड परियोजनाधिकारी की भूमिका में समस्त कार्यो को सम्पादित करेंगे। विकास खण्ड परियोजना धिकारी के क्षमता में बृद्वि एवं आवश्यक गतिशीलता बढ़ने के लिए एक मोटर साइकिल की व्यवस्था की जायेगी।इसके साथ यात्रा भत्ता एवं रख रखाव हेतु प्रति विकास खण्ड 18000 रूपये की नियत धनराशि प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जायेगी। विकास खण्ड परियोजनाधिकारी के प्रशासनिक/ शासकीय कार्यो के निष्पादन में सहायता हेतु एक अतिरिक्त वी0 आर0 सी0 सह समन्वयक नियुक्त किया जायेगा। उपरोक्त समस्त कार्यक्रमों के निष्पादान/निरीक्षण/अनुश्रवण हेतु उसे समय-2 पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा

<u>ब्लाक संशाधन केन्द्र</u> :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा सभी विकास खण्डो में ब्लाक संशाधन केन्द्र के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है जिसे शीघ्र ही विद्युतीकृत एंव सुसज्जित किये जाने की योजना है। उक्त संशाधन केन्द्र में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत एक ब्लाक संशाधन केन्द्र समन्वयक एवं एक सह समन्वयक की नियुक्ति की जा चुकी है। कार्यरत समन्वयक प्रशिक्षित होकर परियोजना कार्य में लगे हुए है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा। जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्य के पर्यवेक्षण, सूचना संकलन, विद्यालक सांख्यिकी संकलन एवं बैठकों के आयोजन एवं कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

ब्लाक संशाधन केन्द्रों पर सूचनाओं के संकलन एवं विश्लेषण को सहज बनाने के लिए प्रत्येक वी0 आर0 सी0 पर एक कम्प्यूटर के साथ एक कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति की जायेगी। इस हेतु प्रत्येक वी0 आर0 सी0 एक लाख (100000-00) रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है। एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण दिला कर कम्प्यूटर संचालन हेतु नियुक्त किया जा सकता है।

<u>कार्य एवं उत्तर दायित्व</u> :-

1- अध्यापकों के समय-2 पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

2- विद्यालय का अकादमिक पर्यवेक्षण करना और इस सम्बन्ध में सुझाव देना कि क्या कक्षाओं में प्रशिक्षण के अनुरूप नवीन विधाओं का उपयोग हो रहा है या नही।

3 - ब्लाक स्तर पर अकादमिक संशाधन समूह/केन्द्र टीम का गठन।

4 - विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन एवं संकलन करना।

5 - न्याय पंचायत संशाधन केन्द्र एवं डायट के बीच समन्वय स्थापित करना।

6 - बाल गणना के विरूद्ध नामांकन की एक नीति बनाना तथा शाला त्यागी विद्यालय न आने वाले बच्चों की कम्प्यूटराज्ड सूची तैयार कराना।

7 - विद्यालय सर्वेक्षण पपत्र एवं विद्यालय सांख्यिकी का वितरण, एकत्रीकरण एवं 100% NPRC व 10% BRC द्वारा नमूने की जांच करना।

8 - ब्लाक स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक हित में अंश नियोजित करना

<u>जनपद स्तरीय समिति</u> :-

शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत रणनीति बनाने और उसके अनुश्रवण हेतु जिला शिक्षा परियोजना समिति कार्य करेगी। यह समिति जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित की जा चुकी है।

<u>गठन</u> :-

⇒ **जिलाधिकारी** - अध्यक्ष

⇒ **मुख्य विकास अधिकारी** - उपाध्यक्ष

⇒ **जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी** - सचिव

⇒ प्राचार्य डायट - सदस्य

⇒ जिला समाज कल्याण अधिकारी - ''

⇒ जिला विद्यायल निरीक्षक - ''

⇒ जिला श्रम अधिकारी - ''

⇒ वित्त एवं लेखाधिकारी वेसिक शिक्षा - ''

⇒ अधिशासी अभियंता (आर0इ0एस0/जलनिगम) सदस्य

⇒ अधिशासी अभियंता (पी0डब्लू0डी0) ''

⇒ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय) '' (जिलाधिकारी द्वारा नामित) सदस्य

⇒ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त) (जिलाधिकारी द्वारा नामित) सदस्य

⇒ शैक्षिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित) सदस्य

⇒ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णानुक्रम में- (जिलाधिकारी द्वारा नामित) सदस्य (एक वर्ष के लिए)

<u>अधिकारी एवं दायित्व</u> :-

शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से संचालित करने के लिए जिला शिक्षा परियोजना समिति सर्वोच्च समिति के रूप में कार्य करेगी। जिसे अपनी सीमाओं में रहकर जनपद स्तर पर निर्माण, गुणवत्ता सुधार, जन सहभागिता, तथा रणनीतियों में परिवर्त्तन हेतु आवश्यक निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। नामांकन, ठहराव, सम्प्राप्ति, निमार्ण एवं प्रशासनिक/तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण यही समिति करेगी।जो ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0 आदि नवाचार केन्द्रों के प्रस्तावों का अनुमोदन व संचालन करायेगी। इसके अतिरिक्त सर्वशिक्षा अभियान, के समस्त कार्यक्रम इसी के निर्देशन में संचालित होगें।

<u>तकनीकी पर्यवेक्षण</u> :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में ही विद्यालयों के निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता जलनिगम द्वारा किया जा रहा है इसके लिए वर्तमान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहद् प्रति प्रा0 विद्यालय 1000,-00 रूपये, प्रति अति0 कक्षा कक्ष/ न्यापंचायत संशाधन केन्द्र हेतु 500/ तथा प्रति शौचालय हेतु 200/ अनुमन्य की गयी है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यही व्यवस्था जारी रखी जायेगी, परन्तु विद्यालय भवन के साथ निर्मित होने वाले शौचालय के लिए अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय के दर में संशोधन किया जा सकता है। यह मानदेय संतोष जनक पर्यवेक्षण पर जिलाधिकारी के अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा।

जिला स्तरीय बेसिक शिक्षा समिति :-

सर्वशिक्षा अभियान के तहद् प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला बेसिक समिति का गठन किया गया है। यह समिति उत्तर प्रदेश के लिए वेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में गठित है।

गठन :-

1-	जिला पंचायत अध्यक्ष	-अध्यक्ष
2-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	-सचिव
3-	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	-पदेन/सदस्य
4-	जिला विद्यालय निरीक्षक	-सदस्य
5-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	-''
6-	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उपनिरीक्षक,	-सदस्य
7-	तीन जिला पंयायत सदस्य (राज्य सरकार द्वारा नामित)	-सदत्य
8-	विद्यालय उप निरीक्षक पदेन (यह समिति का सहायक सचिव भी होगा।)	-सदस्य

निम्नलिखित कार्य करेगी।

1- जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

2- नये स्कूलों की स्थापना करना।

3- बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार, सुधार के लिए योजना बनाना।

4- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नये स्कूल हेतु स्थल चयन करना एवं क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रबन्धन करना।

प्रशासनिक ढॉचा : जिला परियोजना कार्यालय:-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से जनपदीय परियोजना अधिकारी ही कियान्वित करायेगा। जिसमें जिला शिक्षा परियोजना समिति का निर्देशन एवं मार्ग दर्शन रहेगी।

जिला परियोजना अधिकारी के सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी होंगे।

उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार पदसृजित कर उसमें नियुक्ति की जायेगी।

1-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (पदेन जिला परियोजनाधिकारी)		~~एक~~
2-	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (वैकल्पिक शिक्षा)	(प्रति नियुक्ति पर)	~~एक~~
3-	समन्वयक	(प्रति नियुक्ति/नियत वेतन पर)	चार
4-	सलाहकार	नियत वेतन पर @ 10,000/	दो
5-	~~ई0एम0आई0एस0~~ अधिकारी	'' @	एक
6-	कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक,	'' @ 7000/	तीन
7-	सहायक लेखाधिकारी	प्रति नियुक्ति पर	एक
8-	लिपिक	नियत मानदेय पर	एक
9-	परिचारक	''	एक

उपरोक्त समस्त पद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के तारतम्यता कार्यवाही के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नही है।

सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला परियोजना के समस्त अधिकारी/कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे। समस्त अधिकारी अपने-2 कार्यो के प्रति जबाब देह होंगे। इसके अतिरिक्त सभी उपबेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजनाधिकारी होंगे और अभियान के तहद् अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों की प्रगति अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार होंगे। ये समस्त अधिकारी/ कर्मचारी शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु सर्वशिक्षा अभियान के सभी कार्य सरकारी कार्य की तरह करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपबेसिक शिक्षा अधिकारी को कार्यालय में उपलब्ध कर्मचारियो द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के कियान्वयन में पूरी तरह सहयोग प्रदान करेंगे।

<u>शैक्षिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली</u> - (ई0 एम0 आई0 एस0)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम/ब्लाक/जिलों स्तर से सर्वेक्षण पपत्रों के आधार पर सूचना तैयार करने हेतू एम0 आई0 एस0 डाटा कैप्चर सिस्टम व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्ट बेयर स्थापित है और प्रत्येक जनपद में कम्प्यूटर हार्डवेयर भी कार्यरत है। सर्वशिक्षा अभिभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करने व अनुश्रवण

करने हेतु जिला मुख्यालय पर स्थित जिला परियोजना कार्यालय में स्थित एक व्यवस्थित एम0 आई0 एस0 द्वारा तैयार किया जायेगा। जो समस्त सूचनाओं के विश्लेषण एवं संकलन का कार्य करेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त कम्प्यूटर द्वारा वर्ष 97-98 से अद्यतन शैक्षिक आंकड़े विश्लेषित एवं संकलित हैं।

इसी प्रकार उच्चप्राथमिक स्तर के लिए साफ्ट बेयर डाटा वेस तथा कम्प्यूटर हार्ड वेयर की उपयुक्त वयवस्था कराने का प्रावधान है जिससे शिक्षा के सार्वभौमीकरण में विशेष प्रगति सम्भव हो सकेगा।

इन्हीं कम्प्यूटरों द्वारा प्रोजेक्ट मानी टरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा। जिला परियोजना कार्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी तथा तीन कम्प्यूटर आपरेटर रखने की व्यवस्था की गयी है जो शैक्षिक सूचनाओं का समय-2 संकलन एवं विश्लेषण करेंगे। प्राथमिक स्तर के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (ई0 जी0 एस0) और अन्य प्राथमिक स्तर (ए0 आई0 ई0) की प्रतिवर्ष शैक्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी। जिसके फीड बैंक से अगले वर्ष की कार्य योजना (ए0 डबल्यू पी0 बी0) में सम्बन्धित केन्द्रों के संचालन की रणनीति तय की जायेगी। परियोजना कार्यालय की कम्प्यूटर शाखा आंकड़ों के विश्लेषण के उपरान्त महत्वपूर्ण पैरामीटर्स एवं इन्डीकेटर्स तैयार करेंगे। जिसका उपयोग शैक्षिक आंकड़े के संशाधन के रूप में होगा। जो शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में सहायक सिद्व होगा।

<u>ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व</u> :-

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत जनपद स्तरीय कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटर शाखा जो जनपद की विभिन्न सूचना ऑकड़ो का संकलन और विश्लेषण करती है। जिसमें नियुक्ति ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य होंगे।

1- सर्वेक्षण प्रपत्रो, सांख्यिकी पपत्रों, के अलावा समय-2 पर विकसित पपत्रों जैसे स्वास्थ्य परीक्षण, विकलांग सर्वेप्रपत्र आदि का मुद्रण एवं वितरण।

2- पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार खण्ड संशासन केन्द्र, न्याय पंचायत संशाधन केन्द्र, के समन्व्यय को तथा प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित कराना, जिसमें समय से कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा सके।

3- अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से संकलित पपत्रों का एकत्रीकरण करना।

4- प्राप्त पपत्रों की नमूना जांच कराना तथा यदि कोई संशोधन परिवर्धन हो तो उसे अभिलिखित करना।

5- समय वद्व कार्यकम के अनुपालन में अक्टूबर 2001 के अंत तक प्राप्त डाटा को पूर्ण करके तथा उसकी रिपोर्ट तैयार करके राज्य परियोजना कार्यालय को भजना।

6- न्याय पंचायत वार तथा विकास खण्ड वार जनपद की ई0 एम0 आई0 एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार करके बेसिक शिक्षा अधिकारी,प्राचार्य, डायट ५र्जा कुऑ, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारीयों को उपलब्ध कराना।

7- जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त करना। तथा प्रदेश स्तरीय बैठकों तथा कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

8- सूक्ष्म नियोजन द्वारा प्राप्त डाटा का कम्प्यूट्रीकरण, उनका विशलेषण, तथा विस्तृत आख्या तैयार कर विभाग के सम्बन्धित अनुभागों को उपलब्ध कराना।

ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर संचालक के शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने साथ सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तथा तकनीकी आदि की विस्तृत जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

<u>प्रशिक्षण</u> :-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य के संचालन हेतु कम्प्यूटर संचालन, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, विकास खण्ड संशाधन समन्वयक सहायक के वेक्षिक शिक्षा अधिकारीयों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमें ई0 एम0 आई0 एस0 सम्बन्धी पपत्रों को भरनें, संकलन करने तथा उनके विश्लेषण के विधा की जानकारी दी पायेगी। जिसमें विद्यालय में सम्बन्धित ऑकड़ों को 2 प्रतिशत नमूना जांच के लिए फील्ड स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया जायेगा। जिससे ऑकड़ो की सुचिता शुद्व हो सके।

1- <u>जिला स्तरीय ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण</u> :-

जिला स्तर पर जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, संचालक, तथा लेखा स्टाफ का सामूहिक दो दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा।

2- <u>खण्ड स्तरीय ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण</u> :-

प्रत्येक विकास खण्ड में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं वी0 आर0 सी0 समन्वयक तथा सह समन्वयक का सामूहिक प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा।

3- <u>न्याय पंचायत स्तरीय ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी का प्रशिक्षण</u> :-

न्यान पंचायत स्तर पर सभी समन्वयक तथा विद्यालयों के प्रधानाध्यापक दो दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

4- <u>प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्तर पर ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण</u> :-

राज्य परियोजना कार्यालय तथा सीमेंट द्वारा आयोजित एक सप्ताह का प्रशिक्षण होगा, जिसमें जिला परियोजना अधिकारी तथा वी0 आर0 सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। जिसमें प्रथम तीन ई0 एम0 आई0 एस0 प्रबन्धन तथा अन्तिम तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

<u>आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा उसके सुद्वता की जांच</u> :-

प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर के छात्र संख्या के अनुसार समस्त आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा। जिसे कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री के पश्चात् ई0 एम0 आई0 एस0 रिर्पोट तैयार किया जायेगा। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त पपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को भेजा जायेगा। जिससे उन्हें सूचनाओं की पूरी जानकारी हो सके, एवं शुद्वता प्रमाणित हो सके। यह समस्त प्रपत्र नीपा नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। जिसके आधार पर कार्य संचालन किया जायेगा।

<u>ऑकडो का उपयोग</u> :-

ई0 एम0 आई0 एस0 आंकड़ों के विश्लेषण करने पर अति महत्वपूर्ण एवं वेतन जैसे -जी0 ई0 आर0, एन0 ई0 आर0, शाला त्यागी तक, पूर्व प्रवेश दर, छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षाकक्ष अनुपात, एकल अध्यापकी विद्यालय प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग आधार भूत नियोजन में कियान्वयन किया जायेगा। जिससे सूचनाओं के संकलन में श्रम एवं समय की वचत हो सके। डायस के अन्तर्गत ई0 एम0 आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पाती है और विद्यालय में अध्ययनरत तथा स्कूलों से वाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पाता है इसलिए सूक्ष्म नियोजन से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों तथा ई0 एम0 आई0 से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा। तद्नुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश अथवा संशोधन किया जायेगा। जिसकी रूपरेखा निम्नवत है।-

1- क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार नवीन विद्यालय के सृजन हेतु असेवित वस्तियों का चिन्ही करण।

2- जन संख्या के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा गारन्टी केन्द्र हेतु वस्तियों का चिन्हीकरण करना।

3- छात्र संख्या में बृद्वि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा की आवश्यकता का मूल्यांकन करना।

4- एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण करना।

5- बालिकाओं के नामांकन दर कम वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण करना।

6- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण में लाभार्थी छात्रों की संख्या का आकलन करना।

7- छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हेतु विद्यालय का चिन्हीकरण करना।

8- अवस्थापना सम्बन्धी मॉग एवं पूर्ति का आकलन एवं निर्धारण करना। शिक्षक सम्बन्धी समस्त सूचनायें प्राप्त करना, विद्यालय सम्बन्धी निरीक्षण का रोस्टर तैयार करना।

9- विकलांग बच्चों की संख्या अनुसार उनके लिए उपकरण उपलब्ध कराना।

ई0 एम0 आई0 एस0 आंकड़ों से प्राप्त महत्व पूर्ण निष्कर्षो, सूचनाओं का उपयोग विषय क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकता निर्धारित करेंगो, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा कार्य के प्रति उत्तर दायी बनाया जायेगा।

कोहार्ट स्टडी :-

इस प्रकार का अध्ययन तीन वर्ष में एक बार किसी वाह्य एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। जिससे छात्र छात्राओं के ठहराव की स्थिति तथा शला त्यागी बच्चों की दर का मूल्यांकन किया जायेगा, जिसका अनुश्रवण सीमैंट द्वारा कराया जायेगा। इस प्रकार का अध्ययन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पृथक-2 होगा, जिसकी अनुमानित लागत रू0 200000/(दो लाख मात्र) होगी।

परियोजना प्रबन्धन एवं सूचना प्रणाली :-

एम0 आई0 एस0 के द्वारा जनपद के परियोजना सम्बन्धी कार्यक्रमों की क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना प्रति माह तैयार करके राज्य परियोजना कार्यालय को भेजा जायेगा और जिस कार्यक्रम में प्रगति मन्द होगी उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम आधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा। तथा प्रगति को बढ़ाने के लिए प्रभावी

कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0 ए0 सी0 आई0 में निहित कम्प्यूटर खण्ड तित्तीय प्रबन्धन प्रणाली विकसित करेंगे। जिसका उपयोग सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जायेगा।

जिसके लिए ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रयोग किया जायेगा।

<u>जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान</u> :-

जनपद का शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। जिसका मुख्य कर्तब्य गुणात्मक सुधार करना है इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य निर्धारित किये गये है-

1- जिला स्तर पर एकाडमिक संशाधन समूह का गठन करना।

2- जिले स्तर पर विभिन्न विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना, एवं शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

3- जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निवारण हेतु शोधकार्य करना, उसके परिणामें तथा निष्कर्षो की जानकारी सर्व सम्बन्धित को उपलब्ध कराना, जिसके कियान्वयन के उपाय किये जा सकें।

4- जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों का मार्ग दर्शन कराना।

5- शैक्षिक आंकड़ों की ई0 एम0 आई0 एस0 के माध्यम से संकलित करना, विश्लेषण करना, तथा नियोजन में उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

6- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थाओं से सम्पर्क करना तथा शिक्षा के नवीनतम कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोधकार्यो डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

7- न्यूनतम अधिगत स्तर सुनिश्चित करना, जिसके लिए वेस लाइन सर्वे करना।

8- ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों शिक्षण विधियों एवं लक्ष्यों से अवगत कराना।

9- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के अभियोजन हेतु मास्टर ट्रेनर तथा संदर्भ व्यक्तियों को चयनित एवं प्रशिक्षित करना।

10 - ब्लाक संशाधन केन्द्रो के समस्त शैक्षिक क्रिया कलापों का निर्देशन एवं नियंत्रण करना।

11 - शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

12 - शिक्षकों समन्यवकों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के अनुदेशकों, शिक्षामित्रों ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

<u>वित्तीय हस्तांतरण</u>-(FLOW OF FUND)

प्रतिवर्ष जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अपना वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार करके राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। जो सइमेमैट के परीक्षण के उपरान्त उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि अवमुक्त किया जायेगा। खण्ड [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा संबन्धित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के खाते के माध्यम से धन हस्तांतरित किया जायेगा। जनपद स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के नाम से बैंक में अलग खाता होगा। जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। इस संबन्ध में शिक्षा परियोजना परिषद के वित्तीय संदर्शिका में प्रख्यापित है। जिसके अनुसार जिला अधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में रूपये पांच हजार (Rs.5000) मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिला अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। यही व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी प्रख्यापित है। जिसका खाता डायट प्राचार्य तथा लेखाधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक स्तर पर समन्यवयक एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का संयुक्त खाता होगा। इसी प्रकार से न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर भी संयुक्त खाता खोला गया है। द्वितीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के लिए वित्तीय नियम निर्देश निर्धारित है। कय एवं रखरखाव के समस्त नियम भी संदर्शिका में निर्धारित है। जिसका अनुपालन परियोजना में भी किया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान योजना के रूप रेखा में यदि कोई संसोधन की आवश्यकता होगी तो उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। लेखा संबन्धी समस्त कर्मचारियों को सर्वशिक्षा आभियान के नियमों तथा

वित्तीय प्रवंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-2 पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। परियोना कार्यक्रम के अधिकांश कार्यो हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को दिया जायेगा। जिनमें खाते बैंक में संचालित है। परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को अवमुक्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैयमासिक आधार पर जिले को उपलब्ध कराया जायेगा।

वित्तीय निधायन की चित्ररेखा

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
1- बी0 आर0 सी0 एन0 पी0 आर0 सी0	बी0 आर0 सी0 एवं एन0 पी0 आर0 सी0
2- ग्राम शिक्षा समिति	
3- अध्यापक	
4- स्वंय सेवी संस्था आदि	

सम्प्रेक्षण व्यवस्था-

जनपद के लेखे-जोखे का सम्प्रेक्षण उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा के अन्तगर्त प्रतिवर्ष स्वतन्त्र सम्प्रेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से कराया जायेगा, जो प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद होगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन व टर्म्स ऑफ रिफरेन्स फॉर आडिट का निर्धारण सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा जो राज्य सरकार एवं भारत सरकार के नियमों पर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा अन्तरिक सम्प्रेक्षण तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा भी समय-2 पर सम्प्रेक्षण कार्य सम्पन्न किया जायेगा।

मध्य सत्रीय सुधारात्मक प्रणाली की व्यवस्था -

सर्वशिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य एवं उदेश्यों के अनुरुप संचालित करने हेतु जनपद स्तर पर जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप वेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, जिला समन्वयक तथा वी0 आर0 सी0 समन्वयको की पाक्षिक समीक्षा वैठक करके परियोजना कार्यो को सम्पादित करने

में आने वाली कठिनाइयों के विषय में विचार-विमर्श करेंगे एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास करेंगे, इसी प्रकार प्राचार्य, डायट द्वारा अनुभाग सदस्यों व बी0 आर0 सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक अयोजित करेंगे जो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूत कठिनाइयों पर फीड बैक प्राप्त करेंगें। राज्य स्तरीय निर्देश के आवश्यकता वाली समस्याओं को [illegible] परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा प्राप्त मार्गदर्शक व निर्देश पर प्रभावी कार्यवाही करके समय-2 पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यालाओं के माध्यम से इस शिक्षा योजना को सशक्त किया जायेगा। जनपद में प्रतिमाह कम्प्यूटर एण्ड ई0 एम0 आई0 एस0 रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके विश्लेषण से प्राप्त कार्य योजना के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण में आवश्यक परिवर्तन किया जायेगा। वार्षिक ई0 एम0 आई0 एस0 डाटा के निष्कर्षो से प्राप्त संकेतो का उपयोग भी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन व नियोजन करके यथावश्यक सुधारात्मक प्रयास किया जायेगा। यही नहीं विगत वर्ष की प्राप्त [illegible] को आगामी वर्षों में [illegible] सुधारात्मक कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है

आकाशवाणी द्वारा [illegible] के माध्यम से मासिक गोष्ठियों वाद विवाद / वार्ताओं के प्रसारण [illegible]

नेशनल प्रोग्राम फार द एजूकेशन आफ गर्ल्स ऐट द एलीमेण्ट्री लेवल

(एन0पी0ई0जी0ई0एल0) कार्यक्रम

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के सम्बर्धन हेतु एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में एन0पी0ई0जी0ई0एल0 नामक कार्यक्रम चलाया जायेगा। यह कार्यक्रम उन विद्यालयों में लागू होगा जहाँ महिला साक्षरता दर 30.62 (वर्ष 91 जनगणना) और पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में जेण्डर गैप 27.25 से अधिक हो तथा 642 Urban Wards के मलिन बस्तियों में सम्मलित किया जायेगा। प्रथम चरण में वर्ष 2003–04 हेतु कुल 2374 ऐसे विद्यालय चिन्हित किये गये है। अगामी वर्ष में समस्त चिन्हित विकास खण्ड एवं नगरीय वार्डो के अन्य विद्यालयो के आच्छादन की योजना है। परियोजना हेतु, सर्व शिक्षा अभियान की भांति ही व्ययभार का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन होगा।

प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन ढाँचा

- राज्य स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। परिषद के अन्तर्गत विकरित जेण्डर यूनिट द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- जनपद स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन गठित जिला परियोजना समिति द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्षमता सम्वर्धन हेतु एक जेण्डर यूनिट का गठन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- ब्लाक स्तर पर परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत ब्लाक स्तरीय दो सहायक समन्वयक में से एक जेण्डर को–आर्डिनेटर के रूप में कार्य करेगा जोकि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।

- जिन जनपदों के विकास खण्डों में महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम परियोजना के समन्वय के साथ महिला सामाख्या द्वारा क्रियान्वयन किया जायेगा तथा ब्लाक जेण्डर समन्वयक के रूप में महिला सामाख्या के ब्लाक प्रतिनिधि कार्य करेंगे / करेंगी। परियोजना में 5 जनपदों में महिला सामाख्या कार्यरत है तथा कुल 5 ब्लाकों में कार्यक्रम संचालित कर रही हैं।

बजट व्यवहार -- परियोजना के पूर्व तक नियमानुसार एन0पी0ई0जी0ई0एल0 बजट व्यवहृत किया जायेगा। केवल ऐसे विकासखण्ड जहाँ महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर किया जाने वाला व्यय महिला सामाख्या द्वारा व्यवहृत किया जायेगा। परन्तु विद्यालय स्तर का व्यय परियोजना में नियमानुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। जिसकी मानीटरिंग महिला सामाख्या करेगी।

प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु एवं बजट विवरण

➢ आच्छादित क्षेत्रः– भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उ0 प्र0 के 70 जनपदों के 774 विकासखण्डों तथा 642 नगर क्षेत्रों के कुल 2374 विद्यालयों को प्रथम चरण मे मॉडल क्लस्टर विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है, अगामी वर्षो में अन्य विद्यालयों के चयन की योजना है।

➢ मदवार बजट :–

1. क्लास्टर विद्यालय हेतु आवर्तक अनुदान :– बालिका शिक्षा सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से विद्यालय का रख–रखाव करनें तथा कौशल आधारित विषयों पर प्रति विद्यालय अनुदेशक की व्यवस्था हेतु कुल रू0 20,000.00 प्रति विद्यालय

आवर्तक अनुदान रखा गया है। अनुदेशक का मानदेय रू0 1000.00 प्रतिमाह होगा तथा एक विद्यालय पर अधिकतम तीन माह के लिए अनुदेशक रखा जायेगा। अनुदेशकों की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

आवर्तक अनुदान का मदवार विवरण–

- अनुदेशक मानदेय – 3000.00
- लकड़ी की बेंच एवं मेज (बच्चों के बैठने हेतु)– 15000.00
- अन्य रख–रखाव – 2000.00

2. छात्र मूल्यांकन, Remedial Teaching, ब्रिजकोर्स, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत बालिकाओं के सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने, विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के लिए ब्रिजकोर्स अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के संचालन हेतु प्रति विद्यालय रू0 10,000.00 की धनराशि प्रस्तावित है।

3. अध्यापक प्रशिक्षण – बालिकाओं के कौशल विकास हेतु पर एक विद्यालय के 4 अध्यापकों को कार्यानुभव शिक्षा प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसकी ईकाई लागत प्रति अध्यापक प्रति दिन रू0 70.00 होगी।

4. शिशु शिक्षा केन्द्र :– आंगनवाड़ी विभाग के साथ कन्वर्जेंस करते हुए क्लस्टर विद्यालय पर ई.सी.सी.सी.ई. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं वहाँ पर केन्द्र संचालन मीना मंच द्वारा किया जाने का प्रस्ताव है। प्रति केन्द्र रू0 6000 की दर से बजट प्रस्तावित किया गया है।

केन्द्र संचालन की प्रक्रिया तथा बजट का ब्रेक–अप निम्नवत है।

- चयन प्रक्रिया – मंच की आम सभा में संचालिका का चयन किया जायेगा तथा मंच के प्रस्ताव पर ग्राम शिक्षा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- मीना मंच की कार्यकारिणी समिति केन्द्र संचालन का सुपरविजन करेंगी।
- मंच की अन्य बालिकाएं केन्द्र का सहयोग करेंगी।
- केन्द्र संचालन मीना कक्ष में किया जायेगा।

संचालिका हेतु पात्रता–

14–18 वय वर्ग की मीना मंच की सदस्य हो तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास हो।

बजट विवरण –

मानदेय : 400 प्रतिमाह प्रति संचालिका। (10 माह हेतु)

कक्ष स्थापना : 2000 प्रति केन्द्र (सामग्री सूची तथा क्रय प्रक्रिया ई0सी0सी0ई0 की भांति रहेगी)।

5. क्लस्टर विद्यालयों की बालिकाओं हेतु यूनिफार्म तथा वर्क बुक हेतु प्रति बालिका रू0 150.00 की दर से धनराशि अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

6. सामुदायिक सहभागिता :– सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रति जनपद कुल रू0 1,40,000.00 की धनराशि का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार तथा टी0ए0/डी0ए0 की व्यवस्था शामिल है। उक्त धनराशि का कॉटवार विवरण निम्न है।

प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक चयनित क्लस्टर विद्यालय पर एक विशेष डिजाइन का रिक्शा होगा जो लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार–प्रसार करेगा। क्लस्टर विद्यालय हेतु बालिकाओं की सांस्कृतिक टीम को गांव में भ्रमण करायेगा, ऐसी बालिकायों जो विकलांग हैं अथवा विद्यालय दूरी के कारण स्कूल नहीं आती हैं। उन्हे विद्यालय

लाने ले जाने का कार्य करेगा। रिक्शा चालक के रूप में गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को चयनित किया जायेगा, जिसका चयन ग्राम शिक्षा समिति करेगी । रिक्शा चालक को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जायेगा। वह खाली समय में रिक्शा का प्रयोग अपनी रोजी हेतु कर सकता है। यदि समुदाय चाहे तो रिक्शा चालक को मानदेय दे सकती है।

बजट ब्रेक अप–

- रिक्शा – 10,000.00 X क्लस्टर विद्यालयों की संख्या (यह बजट जनपदवार अलग–अलग होगा)
- टी0ए0 / डी0ए0– 20,000.00 प्रति जनपद
- मेला सेमिनार, कार्यशाला एवं प्रचार प्रसार – 20,000.00 प्रति जनपद

7. **लायब्रेरी स्थापना खेलकूद की सामग्री आदि** – क्लस्टर विद्यालयों में लायब्रेरी स्थापित की जायेगी तथा खेलकूद के लिए झूलों आदि की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिए प्रति विद्यालय रू0 30,000.00 की धनराशि प्रस्तावित की गयी हैजिसका बजट ब्रकअप निम्नवत है।

1	झूला	@ 15000.00
2	सायकिल	@ 900.00 X 5=4500.00
3	वेइंग मशीन	@ 500.00
4	किताबें	@ 5000.00
5	साउन्ड सिस्टम 1	@ 1500.00

6 आडियो सिस्टम 1 (टू इन वन) @ 1500.00

7 अन्य आवश्यकतानुसार 3000.00

8. अतिरिक्त कक्षा--कक्ष के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय रू0 2,00,000 (दो लाख की दर से लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर नगर जनपदों हेतु धनराशि वर्ष 2003--04 हेतु प्रस्तावित की गयी है।

9. प्रदेश के 623 नगर क्षेत्रों के लगभग 8000 वार्डों के 20 प्रतिशत (लगभग 1600 वार्डों) विद्यालयों हेतु रू0 5 लाख प्रति वार्ड प्रस्तावित हैं।

10. कुल बजट का 6 प्रतिशत मैनेजमेंट कास्ट अनुमन्य है।

नोट :-- विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की पी0ए0बी0 में उक्त प्रस्ताव गया था जिसमें कुछ संशोधन मांगे गये थे जिनको अवगतार्थ प्रेषित हैं। उनके द्वारा कुछ विस्तृत सूचनायें मांगी गई हैं। जिनका approval माँगा गया है।

प्रस्ताव :-- **(A)** कार्य क्रम समिति एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम से उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहें जिससे इस कार्यक्रम को औपचारिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को योजना की मंजूरी हेतु प्रेषित किया जा सके।

LIST Regarding 8 selected districts

N.P.E.G.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता दर जनपद (%)	जेन्डर गैप जनपद (%)	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर (%)	जेन्डर गैप (%)	विद्यालय न जाने वाले बच्चें		
							बालक	बालिका	योग
1	वहराइच		21.17	शिवपुर	5.01	21.8			0
				पयागपुर	13.32	35.1			0
				चित्तौरा	8.11	31.81			0
				कैसरगंज	10.35	25.76			0
				महसी	10.64	26.56			0
				जरवल	9.62	26.04			0
				निहीपुरवा	7.53	22.03			0
	13			वलहा	5.59	22.55			0
				तेजवा पुर	8.2	24.65			0
				हुजूरपुर	14.48	24.51			0
				विश्वेश्यर गंज	11.01	34.74			0
				फखरपुर	8.92	24.04			0
				नवाबगंज	8.42	27.01			0
2	गोण्डा	13.42	30.06	झंझरी	13.3	34			0
				पण्डरी कृपाल	8.1	28.8			0
				मुजेहना	8.7	30.5			0
				इटियाथोक	8.1	30.9			0
				रूपैडीह	7.7	31.02			0
				वजीरगंज	12.3	33.01			0
				नवाबगंज	10.2	27.05			0
	16			तरबगंज	10.8	30.09			0
				वेलसर	10.7	29.03			0
				कटराबाजार	5.5	28.06			0
				करनैलगंज	9.8	27.8			0
				वभनजोत	9.7	28.6			0
				छपिया	15.8	32.3			0
				हलधरमऊ	9.9	33			0
				मनकापुर	14.1	31.04			0
				परसपुर	12.6	32.06			0
3	श्रावस्ती		34.34	गिलौला	23.99	29.54	1924	1597	3521
				जमुनहा	18.31	24.24	4750	4158	8908
				हरिहरपुर रानी	20.12	24.02	7157	6380	13537
				सिरसिया	15.12	20.58	4112	3596	7708
				इकौना	24.63	29.73	6256	5780	12036
4	वलरामपुर		23.21	उतरौला	17.7	26.33	2395	2458	4853
				रहरा बाजार	10.4	27.3	2510	2264	[illegible]
				हरैया सतधरवा	4.5	22.3	4639	3932	[illegible]
				वलरामपुर	9.9	25.6	4691	4234	[illegible]
				तुलसीपुर	7.2	18.6	4520	3939	8459
				पचपूड़वा	8.7	25.3	5346	5547	10893
				वैसडी	7.2	20.5	3872	3724	7596

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें बालक	बालिका	योग
				गैण्डासबुजुर्ग	9.8	23.8	1497	1475	2972
				श्रीदत्त गंज	7.8	24.2	2942	2691	5633
5	रामपुर		18.48	स्वार	9.08	17.03	9448	9380	18828
				विलासपुर	16.8	18.01	7511	7167	14678
				सैदनगर	3.07	17.02	5769	6812	12581
				चमरौआ	3.09	18.05	5583	5143	10726
				शाहबाद	5.04	22.01	8744	8837	17581
				मिलक	8.03	25.07	5639	5244	10883
6	बदायूं			कावर चौक	6.44	21.25	3752	3645	7397
				उझानी	13.44	25.63	4212	4435	8647
				इस्लामनगर	9.33	24.96	4507	4371	8878
				सालार पुर	9.52	24.57	4643	4399	9042
				सहसवान	4.84	17.89	10997	9544	20541
				जगत	11.08	25.7	4179	4748	8927
				जूनावई	4.08	20.99	4160	4281	8441
				दातागंज	9.36	22.19	4490	4278	8768
				उसावा	6.47	20.89	4447	3445	7892
				मिआउल	10.62	26	4413	4757	9170
				समरेर	7.33	23.34	4800	4443	9243
				वजीरगंज	10.35	26.16	864	912	1776
				अम्वियापुर	9.71	23.32	6346	6230	12576
				गुन्नौर	3.81	19.58	8271	9093	17364
				आसफपुर	10.63	27.06	5901	5305	11206
				विसौली	10.42	26.81	5478	5975	11453
				रजपुरा	3.4	16.18	7549	8553	16102
				दहगवा	3.76	13.59	9102	8397	17499
7	सिद्धार्थनगर	11.92	29.4	साथा	12.62	34.86			0
				खसहरा	10.79	31.28			0
				वांसी	8.01	26.32			0
				मिठवल	11.96	32.56			0
				डुमरियागंज	19.22	28.39			0
				भनवापुर	9.57	26.75			0
				इटवा	10.63	23.65			0
				खुनियांव	6.44	25.94			0
				जोगिया	5.07	27.77			0
				उसका	11.02	30.38			0
				नौगढ़	10.64	33.19			0
				शोहरतगढ़	8.68	30.94			0
				वढ़नी	9.34	22.08			0
				वर्डपुर	11.05	32.06			0
8	महाराजगंज		35.04	विठौरा	27.05	39	2214	2779	4993
				निचलौल	25.5	27.06	12094	5711	17805
				सिसवां	28.04	37	3997	5476	9473

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें बालक	बालिका	योग
				घुघली	29.03	39.02	1526	2320	3846
				पुरतापल	29.02	43.03	3242	3538	6780
				पनियरा	26.04	40.05	2734	2236	4970
				फरेंदा	26.8	40.08	2385	1355	3740
				धानी	28.05	37.09	904	913	1817
				लक्ष्मी पुर	29.02	34.06	4579	4739	9318
				नौतनवा	28.09	35.08	13290	5717	19007

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रोग्राम आफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमेन्ट्री लेवल (NPEGEL) की कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2003-04

S.No	Name of Item	Unit	Balrampur		Budaun		Srabasti		Gonda		Bahraich	
		Cost	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Recurring grant	20000	9	180000	18	360000	5	100000	16	320000	14	280000
2	Awards to teachers	5000	9	0		0	0	0	0	0	0	0
3	Student evaluation, Remedial teaching, Bridge course, Alternative Schooling	10000	9	90000	18	180000	5	50000	16	160000	14	140000
4	Learning through open schools	50000					0		0		0	
5	Teachers Training	140	36	5040	72	10080	20	2800	64	8960	56	7840
6	Child care Centers	6000	9	54000	18	108000	5	30000	16	96000	1	6000
7	Uniforms and workbooks for girls	150	2712	176280	3600	234000	903	58695	4090	265850	3500	227500
8	Coommunity Mobilization	35000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000
9	Library, Spots Etc..	30000	9	270000	18	540000	5	150000	16	480000	14	420000
10	Construction of Additional Class room	200000	9	1800000	18	3600000	5	1000000	16	3200000	1	200000
	Total			2715320		5172080		1531495		4670810		1421340
	Management cost (6%)			162919.2		310324.8		91889.7		280248.6		85280.4
	Grand Total		**2806**	**2878239.2**	**3766**	**5482404.8**	**952**	**1623385**	**4238**	**4951059**	**3604**	**1506620**

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चे बालक	बालिका	योग
				गण्डासबुजुर्ग	9.8	23.8	1497	1475	2972
				श्रीदत्त गंज	7.8	24.2	2942	2691	5633
5	रामपुर		18.48	स्वार	9.08	17.03	9448	9380	18828
				विलासपुर	16.8	18.01	7511	7167	14678
				सैदनगर	3.07	17.02	5769	6812	12581
				चमरौआ	3.09	18.05	5583	5143	10726
				शाहबाद	5.04	22.01	8744	8837	17581
				मिलक	8.03	25.07	5639	5244	10883
6	बदायूं			कावर चौक	6.44	21.25	3752	3645	7397
				उझानी	13.44	25.63	4212	4435	8647
				इस्लामनगर	9.33	24.96	4507	4371	8878
				सालार पुर	9.52	24.57	4643	4399	9042
				सहसवान	4.84	17.89	10997	9544	20541
				जगत	11.08	25.7	4179	4748	8927
				जूनावई	4.08	20.99	4160	4281	8441
				दातागंज	9.36	22.19	4490	4278	8768
				उसावा	6.47	20.89	4447	3445	7892
				म्याऊल	10.62	26	4413	4757	9170
				समरेर	7.33	23.34	4800	4443	9243
				वजीरगंज	10.35	26.16	864	912	1776
				अम्वियापुर	9.71	23.32	6346	6230	12576
				गुन्नौर	3.81	19.58	8271	9093	17364
				आसफपुर	10.63	27.06	5901	5305	11206
				विसौली	10.42	26.81	5478	5975	11453
				रजपुरा	3.4	16.18	7549	8553	16102
				दहगया	3.76	13.59	9102	8397	17499
7	सिद्धार्थनगर	11.92	29.4	साथा	12.62	34.86			0
				खसहरा	10.79	31.28			0
				वांसी	8.01	26.32			0
				मिठवल	11.96	32.56			0
				डुमरियागंज	19.22	28.39			0
				भनवापुर	9.57	26.75			0
				इटवा	10.63	23.65			0
				खुनियांव	6.44	25.94			0
				जोगिया	5.07	27.77			0
				उरका	11.02	30.38			0
				नौगढ़	10.64	33.19			0
				शांहरतगढ	8.68	30.94			0
				वढ़नी	9.34	22.08			0
				वर्डपुर	11.05	32.06			0
8	महाराजगंज		35.04	विठोरा	27.05	39	2214	2779	4993
				निचलौल	25.5	27.06	12094	5711	17805
				सिसवां	28.04	37	3997	5476	9473

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें बालक	बालिका	योग
				घुघली	29.03	39.02	1526	2320	3846
				पुरतापल	29.02	43.03	3242	3538	6780
				पनियरा	26.04	40.05	2734	2236	4970
				फरेंदा	26.8	40.08	2385	1355	3740
				धानी	28.05	37.09	904	913	1817
				लक्ष्मी पुर	29.02	34.06	4579	4739	9318
				नौतनवा	28.09	35.08	13290	5717	19007

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रोग्राम आफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमेन्ट्री लेवल (NPEGEL) की कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2003-04

S.No	Name of Item	Unit	Balrampur		Budaun		Srabasti		Gonda		Bahraich	
		Cost	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Recurring grant	20000	9	180000	18	360000	5	100000	16	320000	14	280000
2	Awards to teachers	5000	9	0		0	0	0	0	0	0	0
3	Student evaluation, Remedial teaching, Bridge course, Alternative Schooling	10000	9	90000	18	180000	5	50000	16	160000	14	140000
4	Learning through open schools	50000					0		0		0	
5	Teachers Training	140	36	5040	72	10080	20	2800	64	8960	56	7840
6	Child care Centers	6000	9	54000	18	108000	5	30000	16	96000	1	6000
7	Uniforms and workbooks for girls	150	2712	176280	3600	234000	903	58695	4090	265850	3500	227500
8	Coommunity Mobilization	35000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000
9	Library, Spots Etc..	30000	9	270000	18	540000	5	150000	16	480000	14	420000
10	Construction of Additional Class room	200000	9	1800000	18	3600000	5	1000000	16	3200000	1	200000
	Total			2715320		5172080		1531495		4670810		1421340
	Management cost (6%)			162919.2		310324.8		91889.7		280248.6		85280.4
	Grand Total		**2806**	**2878239.2**	**3766**	**5482404.8**	**952**	**1623385**	**4238**	**4951059**	**3604**	**1506620**

Rampur		Maharajganj		Siddarthngar		Total	
Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
6	120000	11	220000	12	240000	91	1820000
0	0	0	0	0	0	9	0
6	60000	11	110000	12	120000	91	910000
0		0		0		0	0
24	3360	44	6160	44	6160	360	50400
3	18000	0	0	6	36000	58	348000
1500	97500	2750	178750	3000	195000	22055	1433575
4	140000	4	140000	4	140000	32	1120000
6	180000	11	330000	12	360000	91	2730000
3	600000	10	2000000	6	1200000	68	13600000
	1218860		2984910		2297160	0	22011975
	73131.6		179094.6		137829.6	0	1320718.5
1552	1291992	2841	3164005	3096	2434990	22855	45344668.5

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में .....05..... प्राथमिक एवं .....05..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2002-03 में 40, 2003-04 में 200 की प्राप्ति इस प्रकार कुल लक्ष्य 918 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	300	
2005-06	228	
2006-07	150	
योग	678	